खण्ड-355, अंक-5
शुक्रवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(26 फरवरी, 1982 ई0)

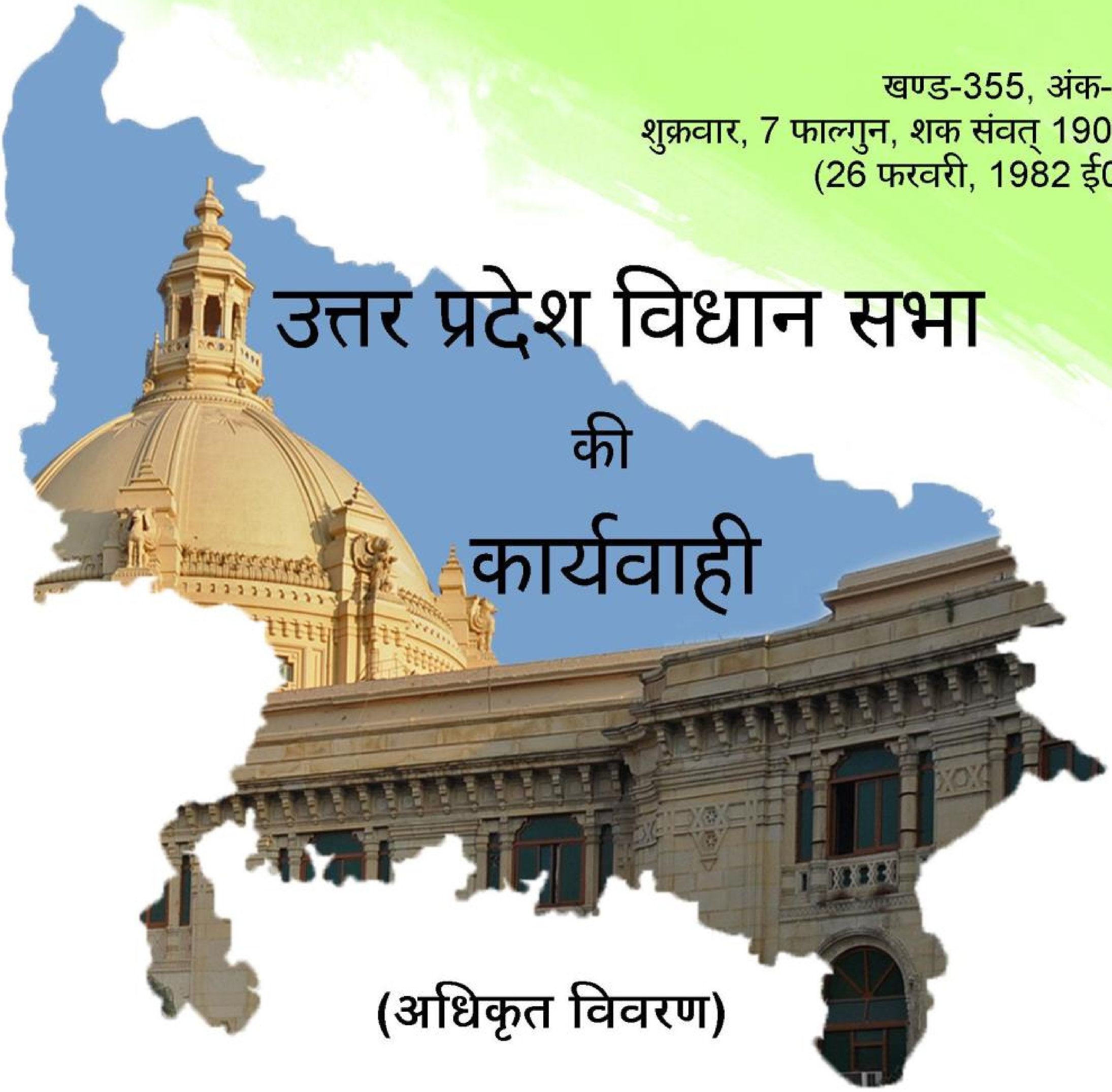

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	531–534
प्रश्नोत्तर	535–580
सदन को स्थगित किये जाने की मांग	580
जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिक्षकों द्वारा धरना देने की धमकी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	582–583
ग्राम अलीपुर मुजफ्फरनगर निवासी श्री मीरजंग को झूठे इन्काउन्टर में मारने वाले दरोगा श्री सर्वेश कुमार को प्रशासन द्वारा संरक्षण दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	583
लक्ष्मी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर द्वारा अनुबंधित गन्ने की पेराई न करने से किसानों के समक्ष संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	584
विद्युत् विभाग द्वारा फैजाबाद में "विद्युत् कनेक्शन काटो अभियान" से जन जीवन त्रस्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	584–585
बस्ती जनपद के हरिजन छात्रों को सत्याग्रह से छोड़ने के बाद पुनः गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	
कतिपय विषय	585–586
विधान सभा सदस्य श्री गोरे लाल शाक्य के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	586–587
श्रीमती महारानी दोहरे व श्री त्रिवेनी राय के मध्य घटी घटना के संबंध में विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	587–589
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	590
गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	591
गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	591
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	591–593
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 11-खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	593–642
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	642–643
मथुरा के किशोरी रमण इन्टर कालेज स्थित सिन्डीकेट बैंक की शाखा को दिन दहाड़े लूटे जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	643–646
नत्थियां	647–658

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य---299

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रूखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री	बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह,श्री	खीरी
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या)	खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
खरपत, श्री	वाराणसी
खानगुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाम नबी श्री	आगरा

गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवरधन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री — पीलीभीत
चारू चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती,' श्री — फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
घुपराय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्दकिशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभूनारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूथर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मलिक मो0 जमीर अहमद, श्री	एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्यक्ष, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतीराम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राजकिशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय डा0	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द ,श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर

राम लाल वर्मा, श्री हरदोई
रामशिरोमणि, श्री जौनपुर
रामसमुझावन, श्री जौनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
रामन सिंह, श्री सहारनपुर
राम सिंह, श्री सुल्तानपुर
रामसिंह खन्ना, श्री बरेली
राम सिंह रावल, श्री एटा
राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री बहराइच
राम हर्ष राय, श्री गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री मुरादाबाद
रूप राम, श्री शाहजहांपुर
लटूरी सिंह, श्री एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
लालसा, श्री आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री गाजीपुर
विद्या सागर नौटियाल, श्री टिहरी गढ़वाल
विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
विशन लाल, श्री बिजनौर
विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
विष्णुदयाल वर्मा, श्री मैनपुरी
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री वाराणसी
शंकर सिंह, श्री जालौन
शम्भूनाथ, श्री आजमगढ़
शिरोमणि, श्री बांदा
शिव दर्शन, श्री रायबरेली
शिव नरेश, श्री बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिव बालक, श्री रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री बिजनौर
श्याम नारायन तिवारी, श्री गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री बाराबंकी
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री सुल्तानपुर
सकंठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
सतीश अजमानी, श्री खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री शाहजहांपुर
सन्त बक्श रावत, श्री लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री मथुरा
साहब सिंह, श्री गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री शाहजहांपुर
सुग्रीव सिंह, श्री देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री बहराइच
सुरेन्द्र कपिल, श्री सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सूबेदार सिंह, श्री मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री सीतापुर
हरदेव, श्री बलिया
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
हरि सिंह, श्री बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर
हरीशंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

श्रम मंत्री श्री जगदीशचन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[24वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम नौवा अव्वल, जिला गोरखपुर में हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने के विरोध में कार्यवाही

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ग्राम नौवा अव्वल तहसील सदर, जिला गोरखपुर में हरिजनों को जो पट्टा मिला था उस भूमि पर कब्जा न मिलने के विरोध में 20 जुलाई, 1978 को जिलाधीश, गोरखपुर के कार्यालय के सामने जन प्रतिनिधियों ने अनशन किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त गांव हरिजनों को अभी तक उनके लिये आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

राजस्व उप मंत्री (श्री सरजू प्रसाद सरोज)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस प्रश्न को दिये हुये 4 महीने हो गये हैं। इसके पहले भी गत वर्ष यह प्रश्न दिया गया था लेकिन विधान सभा को स्थगित (एडजोर्न) हो जाने के कारण वह नहीं आ सकता था। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना एकत्रित करने में और कितना समय लगेगा?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)

सूचना तो आयी थी लेकिन उसको मैंने ठीक नहीं समझा था क्योंकि मैं उससे संतुष्ट नहीं था। इसलिये उस अधूरी सूचना को मैं सदन में देना नहीं चाहता था। इसलिये मैंने यह उत्तर दिया है।

ग्राम अल्हेमऊ व सरौदा, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी में शुद्ध स्थल व अभिलेखों, मानचित्रों को बनाने के आदेश तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*3--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के तहसील मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत ग्राम अल्हेमऊ व सरौदा में चकबन्दी द्वारा की गयी अनियमितताओं व गलतियों का निराकरण कर शुद्ध स्थल व अभिलेखों व मानचित्रों को बनाने का आदेश चकबंदी आयुक्त ने अपने पत्र संख्या 216 सी0 जी0 1475, दिनांक 13-3-78 द्वारा श्री डी0 एन0 लाल, डी0डी0 सी0 आजमगढ़ को निर्गत किया गया था? उक्त आदेश के अनुपालन में शुद्ध मानचित्र व अभिलेख व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही को सदन के संज्ञान में लायेंगे?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

चकबन्दी आयुक्त ने पत्रांक 216/सी0 जी0-14/75, दिनांक 13-3-79 (दिनांक 13-3-78 नहीं) के द्वारा श्री डी0 एन0 लाल, उप संचालक चकबन्दी , आजमगढ़ को निर्देशित किया था कि ग्राम अल्देमऊ में जिन स्वत्व या बंटवारे के वादों में पारित आदेशों का अमलदरामद नहीं हुआ है, उनको चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (2) में दुरुस्ती की कार्यवाही की जाये तथा ग्राम सरौदा के मानचित्र में आवश्यक दुरुस्ती के प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष एल0 आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जायें ।

उप संचालक चकबन्दी ने गल्तियों का अध्ययन किया एवं डी0जी0सी0, रेवेन्यू की राय ली जिनके मतानुसार चूंकि दोनों ग्रामों का चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन वर्ष 1968 में हो चुका था और प्रख्यापन के समय कथित त्रुटियों के संबंध में कोई वाद अथवा प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही था अत: उन त्रुटियों को चकबन्दी अधिनियम की धारा 52(2) के अन्तर्गत दुरुस्त नहीं किया जा सकता है । उनकी राय में इन त्रुटियों की दुरुस्ती नियमित न्यायालयों द्वारा लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सम्भव हो सकेगी । उक्त राय के बारे में न्याय विभाग की राय ली जा रही है और उक्त राय प्राप्त करने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । त्रुटियों के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ।

श्री झिलमिट राम--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ग्राम अल्देमऊ में जिन स्वत्व या बंटवारे के वादों में पारित आदेशों का अमलदरामद नहीं हुआ है, उनको चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (2) में दुरुस्ती की कार्यवाही की जाये, के आदेश दिये गये हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या धारा 52 (2) के अन्तर्गत हर प्रकार की त्रुटियां दुरुस्त कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो इन्होंने बता दिया और उत्तर में आ गया है कि दुरुस्ती की कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये हैं लेकिन धारा 52 (2) के अन्तर्गत प्रख्यापन वर्ष 1968 में हो चुका था और उस समय कथित त्रुटियों के संबंध में कोई वाद अथवा प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं था । अत: इनको दुरुस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं कर सके । अब यह मामला न्याय विभाग द्वारा देखा जा रहा है कि कहां उस पर कार्यवाही हो सकती है ।

श्री झिलमिट राम--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो त्रुटियां पायी गयी हैं क्या उनको दुरुस्त कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

उसके बारे में भी उत्तर में है ।

श्री झिलमिट राम--

क्या मंत्री जी इन त्रुटियों के आधार पर ग्राम अल्हेमऊ व सरौदा में फिर से चकबन्दी करायेंगे ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री रामनरेश शुक्ल)--

अभी कानूनी राय ली जा रही है, उसके बाद उन त्रुटियों को ही ठीक करा दिया जायेगा ।

श्री दूधनाथ राजभर--

जो जांच की कार्यवाही चल रही है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री रामनरेश शुक्ल--

इसको शीघ्र पूरा करा देंगे ।

[शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[8वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम घुरदा तप्पा बनगवा, जिला बस्ती की जमीन पर भूतपूर्व जमींदार तथा काश्तकारों द्वारा कब्जा तथा उसे हटाने हेतु कार्यवाही

*2--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री को विदित है कि ग्राम घुरदा तप्पा बनगवा परगना आमोदा तहसील हरैया जिला बस्ती की जमीन खसरा नं0 188 खतौनी नं0 152 की बंजर भूमि जमीन चकबन्दी के समय अनधिकृत रूप से कब्जे से बेदखल की गयी है ? क्या यह सही है कि उस बंजर भूमि पर गांव के भूतपूर्व जमींदार और कुछ बड़े काश्तकार लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिनका अभी तक कब्जा नहीं हटाया जा सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है

प्रदेश के विद्युत् विभाग की हिन्डालको पर बकाया धनराशि

*3--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देश के विद्युत विभाग का हिन्डालको पर गत वर्षों से कितनी धनराशि बकाया है ? क्या विद्युत विभाग ने अपने बकाये की वसूली की कार्यवाही हिंडालको पर की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

सर्वश्री रेणूसागर पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा हिन्डालको को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्भरित ऊर्जा पर विद्युत की बकाया धनराशि 11.5 करोड़ रुपये है । उक्त धनराशि 1970 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि का है । कर के भुगतान से छूट प्रदान करने की प्रार्थना हिंडालको द्वारा की गयी थी जिसे शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था । वर्ष 1971 में विद्युत कर की 108.44 लाख रुपये बकाये को भू-राजस्व के रूप में वसूलने के लिये कलेक्टर मिर्जापुर को लिखा गया था । परन्तु हिंडालको ने कर से छूट न प्रदान करने संबंधी शासन को निर्णय के विरुद्ध एवं विद्युत् कर की वसूलयाबी न कराये जाने के संबंध में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दिया । मामला पुनः सर्वोच्च न्यायालय में भी पेश किया गया, उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विद्युत् कर से छूट संबंधी हिंडालको के प्रार्थना पत्र पर शासन द्वारा पुनः विचार किया गया तथा उसे अस्वीकृत कर दिया गया है । उक्त धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का हिंडालको पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को विद्युत देय का रु0 7,96,18,981.62 बकाया है जिसमें रु0 54,51,040.13 पंच-निर्णय के अधीन है तथा शेष धनराशि रु0 7,41,67,941.49 की वसूली के संबंध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्णय लिया जा रहा है ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

हिंडालको को क्या इस वक्त जो साधारण रेट चल रहा है उससे कम रेट पर बिजली दी जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस वक्त उनको केवल 10 मेगावाट की आपूर्ति की जा रही है तथा दूसरे उद्योगों को जिस रेट पर बिजली दी जाती है उसी रेट से उनको बिल दिये जा रहे हैं ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

हिंडालको पर जो 7 करोड़ 41 लाख, 67 हजार, 641 रुपया बकाया है उसकी वसूलयाबी में शिथिलता क्यों बरती जा रही है और इसको शीघ्र वसूल करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो अनुबन्ध उनका था वह 30-6-81 को समाप्त हो गया। पुराने अनुबंध में एक धारा यह थी कि नये रेट के बारे मे केन्द्रीय सरकार के परामर्श से वह तय होगा। वह रेट अभी तय नहीं हो पाया है। केन्द्रीय सरकार से क्लैरीफिकेशन लिया जा रहा है। इस समय बिल हम उनको दूसरे उद्योगों के रेट के अनुसार दे रहे हैं, पर वे जमा पुराने रेट पर ही कर रहे हैं। केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त हो जायगा और नया एग्रीमेंट हो जायगा तो यह समायोजित करके उनकी वसूली की जा सकती है ।

श्री हुकम सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हिंडालको के ऊपर जो पुराना रेट था, उस पुराने रेट के अनुसार कोई रुपये की धनराशि वाजिब है या नहीं ? अगर बाकी है तो उसको वसूल न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पुराना जो रेट है उसका कोई रुपया बकाया नहीं है । लेकिन विवाद बहुत सारे हैं--- जैसे रेणूसागर पावर हाउस का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मामला अलग है, जिसके बारे में पूछा नहीं गया है । कुछ रेट के बारे में है, कुछ अधिभार के बारे में है और कुछ एच0 बी0 -2 टैरिफ के संबंध में है । लेकिन पुराना रुपया वह पेमेन्ट करते रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 11.5 करोड़ रुपये की जो रिकवरी के आदेश जारी किये गये तो वह हाईकोर्ट में चला गया, तो क्या उस पर हाईकोर्ट ने कोई स्टे-आर्डर दिया था ? यदि नहीं दिया था, तो शासन को वसूल करना चाहिये था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन ने उसकी अस्वीकृति कब दी ? और तब से उनसे रेवेन्यू एरियर्स की तरह वसूल न किये जाने का क्या कारण है? फिर जो 7.41 करोड़ रुपये की बात कही है, जो विवादित पैसा है, जो पंच निर्णय में गया है, लेकिन जिसका कोई विवाद नहीं है वह ढ़ाई-तीन करोड़ रुपया ह, इसकी वसूली एरियर्स आफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

1 करोड़, 88 लाख, 44 हजार की वसूली के लिये भू-राजस्व की तरह दिया गया था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ कि सरकार उस पर दुबारा निश्चय करे, तो

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट जब मामला गया था, तो क्या हाई कोर्ट ने उस पर स्टे-आर्डर दे दिया था, जिस पर आपने वसूली रोक दी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वसूली रोकी नहीं गयी थी, क्योंकि कागज वहां पर थे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जब हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो शासन ने उसमें, उस समय रिकवरी क्यों रोक दी ? तब उसके बाद मामला सुप्रीम, कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया और उनकी एप्लीकेशन को आपने फिर खारिज कर दिया। तो वसूली आपने एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह की ? और दुबारा खारिज कर दिया तो क्यों नहीं वसूल किया ? तीसरा सवाल है कि जो करीब दो करोड़ रुपया अविवादित है, तो इसको क्यों नहीं वसूल किया गया, वसूल करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा पुनर्विचार करने का निर्णय लिया, तब उस समय यह उचित था कि रिकवरी न की जाय जब तक की कोई विचार न हो जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हाई कोर्ट ने स्टे दिया नहीं, उसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया होगा, तो मैं यह पूछ रहा हूं कि हाई कोर्ट ने जब स्टे नहीं दिया या जब रिकवरी का मामला बराबर चालू था, तो रिकवरी क्यों नहीं की गयी और शासन द्वारा उसमें शिथिलता बरतने का क्या कारण था ? और जो दुबारा खारिज कर दिया तो आपने फिर शिथिलता क्यों बरती ? जो 7 करोड़ रुपये का मामला है और दो करोड़ का कोई विवाद नहीं है, उसकी वसूली न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जो सात करोड़ का मामला है। वह तो जमा हो ही रहा है। इसमें केवल रेट तय करना है केन्द्र सरकार के निर्देश के मुताबिक। एच0 बी0 (2) टैरिफ के हिसाब से वह भेज रहे हैं। जब तक नया एग्रिमेन्ट नहीं हो जायगा, तब तक वसूली न करने की कार्यवाही उचित तरह से नहीं की जा सकती है ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में इतना जानना चाहता हूं कि छोटे आदमी से वसूली के लिये जल भेज दिया जाता है 2 सौ 4 सौ के लिये कनेक्शन काट दिया जाता है, क्या इस प्रकार की नोटिस हिन्डालको को देकर बिजली काटने का आदेश भेजगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

उनका जीरो किया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 35 मेगावाट की सप्लाई कम से कम होनी चाहिये लेकिन 10 मेगावाट दी जा रही है ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने जब स्थगन आदेश नहीं दिया था रिकवरी रोकने के संबंध में, तो सरकार ने किन परिस्थितियों में रिकवरी नहीं की ?

श्री ब्रह्म दत्त--

31-3-77 को 3 करोड़ 39 लाख रुपये था और यह निरस्त करना पड़ा, सरकार को 48 लाख रुपया और देना पड़ा । जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुर्नविचार करने का निर्देश दिया तो उसके बारे में अधिक कार्यवाही करना उचित नहीं था ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछला एग्रीमेंट जो हुआ था मंत्री जी ने जवाब दिया कि उसके अनुसार जो प्रतिबन्ध की शर्तें थी उनका उल्लंघन हो रहा है तो नया अनुबन्ध किन परिस्थितियों में करने की बात कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी कोई अनुबन्ध न करने का फैसला करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह प्रमुख उद्योग से संबंधित है और पिछले अनुबन्ध में है कि नया अनुबन्ध किया जायेगा । शैल बी रिन्यूड । यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के निर्देशन के अनुसार किया जायेगा ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जितना बकाया है हिन्डाल को पर, प्रमुख उद्योग देखते हुये उसको माफ कर देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माफी का सवाल नहीं उठता है ।

प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति का कोटा

*4--श्री बलबीर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शहरी क्षेत्रों में आजकल बिजली 24 घंटे दी जाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 7 घंटे दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों (प्रथम श्रेणी एवं जिला मुख्यालयों विशेष श्रेणी तथा कारपोरेशन नगरों) को आजकल प्रतिदिन क्रमशः 18 घंटे, 20 घंटे तथा 22 घंटे विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है तथा ग्रामीण क्षेत्रों को 5 से 7 घंटे प्रतिदित विद्युत आपूर्ति की जा रही है । ऐसी व्यवस्था विद्युत की कमी और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोग की आवश्यकता को देखते हुये की गई है । केवल पर्वतीय एवं बुन्देलखंड क्षेत्रों को व लखनऊ को उनकी विशेष परिस्थिति के कारण 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है ।

श्री मुनीन्द्र लाल श्रीवास्तव, सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील महाराजगंज गोरखपुर के विरुद्ध गंभीर मामलों की शिकायतें तथा स्थानान्तरण

*5—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के कर्मचारी महासंघ तहसील शाखा महाराजगंज के अध्यक्ष (श्री मुनीन्द्र लाल श्रीवास्तव) के विरुद्ध माह जून, 1980 से अब तक कुछ कर्मचारियों को बरगला कर उपद्रव कराने, आगजनी की स्थिति पैदा करने अनायास हड़ताल कराकर सरकारी काम न करने आदि जैसे अनेक गंभीर मामलों की शिकायतें तहसीलदार, परगनाधिकारी एवं प्रश्न-कर्ता ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं शासन को भेजा है ? यदि हां, तो अब तक इसे यहां से हटाकर इसके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 अक्तूबर, 1981 शासन में प्राप्त हुआ था जिस पर की गई जांच के बाद श्री मुनीन्द्र लाल श्रीवास्तव सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील महाराजगंज का स्थानान्तरण तहसील फरेन्दा में कर दिया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपरोक्त कार्यवाही ही पर्याप्त समझी गई।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखें प्रश्न में कितने गम्भीर आरोप हैं जो सरकार को लज्जित करने वाले हैं। मैंने पत्र लिखकर भी सूचित किया शासन को कि कार्यवाही की जाय। आप देख रहे हैं कि केवल स्थानान्तरण करके अन्य प्रशासनिक कार्यवाही करने का औचित्य नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मूल–2 में शिकायत तहसीलदार और परगनाधिकारी के द्वारा क्या-क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय विधायक का पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है। जो शिकायत है उसकी जांच कराई जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

तहसीलदार को मारने से संबंधित और नायब तहसीलदार के पीटने के संबंध में षड़यन्त्र को हमने लिखा है, जांच चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जांच किस स्तर के अधिकारी को दी गई और कब दी गई और क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जो शिकायती पत्र है उसमें जो शिकायतें है वह इस किस्म की है कि कुछ लोगों को भड़काया है, गलत परचे निकाले हैं और कुछ जलूस निकाला है। कोई ऐसी शिकायत नहीं है जिसकी बड़ी भारी गंभीरता उसमें दी गई हो। स्थानान्तरण कर दिया गया है प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त है। माननीय सदस्य यह पर्याप्त नहीं समझते हैं। जो जांच पड़ताल हुई उसमें कोई चीज नहीं निकली। फिर से देख-भाल करा लेंगे अगर कुछ चीज निकला, तो कार्यवाही की जायेगी। अभी तक जो जांच आई उसमें कोई अलग कार्यवाही नहीं मिली।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई खास चीज नहीं निकली। कोई बात थी तो उस आम बात के लिये स्थानान्तरण की सजा क्यों दी गई, क्या उस स्थानान्तरण को वापस लें लेंगे ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, आपने स्वयं संकेत किया कि किस अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई ? उसको कितना गोलमाल कर रहे तो हम लोगों के प्रश्न को क्या करेंगे ? मैं फिर जानना चाहता हूं कि जो गम्भीर आरोप लगाये गये उसकी जांच कौन अधिकारी कर रहा है और क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बता दें जांच कोई अधिकारी कर रहा है या नहीं ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

कोई जांच नहीं कर रहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं । मंत्री जी ने अभी कहा कि जांच चल रही है ।

श्री मुहम्मद आजम खां:--

मान्यवर, संरक्षण दीजिये । मान्यवर, मंत्री जी ने फरमाया की जांच चल रही है अब कह रहे हैं कि जांच नहीं की जा रही है तो पहली बात सही है या दूसरी बात ?

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की सूचना दिया है । उसमें रक्षा होगी ।

*6--श्री केदार नाथ सिंह तथा श्री सूबेदार सिंह--

[21वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गन्ना उत्पादकों से गन्ना आपूर्ति के समय की जा रही गन्ना मूल्य में कटौती

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि हाल ही में गन्ना आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार सीतापुर सहित अनेक जिलों में गन्ना उत्पादकों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति के समय प्रत्येक पर्चा पर 5 रुपया की कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो कटौती का उद्देश्य क्या है तथा यह कटौती किस-किस जिले में लागू है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)----

गन्ना आयुक्त द्वारा वर्णित प्रकार का कटौती के कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं । गन्ना उत्पादकों से गन्ना आपूर्ति के समय निम्नलिखित कटौतियां की जा सकती हैं :--

(1)	केवल बाह्य क्रय-केन्द्रों पर यातायात आदि व्यय से संबंधित ..	50 पैसे प्रति कुंतल
(2)	गन्ना कृषि निवेश सेवानिधि में अमानत --स्वरूप	50 पैसे प्रति कुंतल
(3)	लिंक रोड योजना ..	25 पैसे प्रति कुंतल
(4)	केवल सहकारी चीनी मिल क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी के लिये ।	75 पैसे प्रति कुंतल

गन्ना कृषि निवेश सेवा-निधि का उद्देश्य गन्ना किसानों को खाद तथा कीट नाशक दवायें उपलब्ध कराने के लिये एक कोष बनाने से है जिससे किसानों पर ब्याज का भार कम किया

जा सके तथा जमा की गई धनराशि अमानत के रूप में है और उसे ब्याज सहित 5 वर्ष बाद वापस करने की व्यवस्था है। लिंक रोड योजना गन्ना किसानों की सुविधा के लिये संपर्क–मार्ग निर्माण के लिये है, ये दोनों कटौतियां स्वैच्छिक है।

सहकारी चीनी मिलों में गन्ना–आपूर्ति-कर्ताओं से अंश पूंजी जमा कराने का प्राविधान है। सहकारी चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों की ही मांग पर लगाई जाती है और केन्द्रीय वित्तीय संसाधन तथा दूसरे संस्थागत वित्तीय श्रोतों से इसी आधार पर ऋण सहायता मिलती है कि गन्ना-उत्पादकों की अवशेष अंश-पूंजी उनके गन्ना-मूल्य से इकट्ठी की जायेगी।

जिले वार कटौतियों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह शब्द प्रयोग कर लूंगा कि मंत्री जी ने झूठ कह दिया तो शब्द असंसदीय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष---

आपने तो प्रयोग ही कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं निबन्धक सहकारी गन्ना समितियां द्वारा जारी किया गया सरकुलर मेरे पास है, जिसकी संख्या पी0ए 727/81, दिनांक लखनऊ दिसम्बर, 24, 1981 और वह आर0 एन0 त्रिवेदी, गन्ना आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। यह वह सर्कुलर है जिसके बाद समादेश याचिका दायर हुई है, हाईकोर्ट में। इसकी दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। यह पत्र गन्ना आयुक्त द्वारा सचिव, उ0 प्र0 की समस्त सहकारी गन्ना समितियों को संबोधित है। उसमें लिखा है कि "गन्ना मूल्य से विभिन्न प्रकार की कटौतियों को लेकर इस समय प्रदेश के कई स्थानों से इस प्रकार के समाचार प्राप्त हुए हैं कि गन्ना उत्पादकों में ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि यह कटौतियां उनके हितों के विरुद्ध हैं। मुख्यत: इस वर्ष गन्ना किसानों से यह अनुरोध किया गया था कि वे "गन्ना कृषि निवेश निधि" हेतु पचास पैसे प्रति कुंटल के लगभग अमानत जमा करवायें और अपने क्षेत्र के विकास के लिये रोड फंड के लिये 25 पैसे प्रति कुंटल की दर से धनराशि जमा करायें ताकि सारे क्षेत्र का विकास बराबर रूप से हो सके। "मान्यवर, हमने 5 रुपये कहा है एक गाड़ी पर। तो एक गाड़ी में 10–12 कुंटल गन्ना होता है जो 50 पैसे के हिसाब से 5 रुपये बैठता है। यह साफ आदेश है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि समितियों के बायलाज में नियम है कि काश्तकारों से कोई कटौती बिना ए0जी0एम0 की संस्तुति के नहीं होगी। ए0जी0एम0 की मीटिंग हुई नहीं, तो गन्ना आयुक्त के इस सर्कुलर के तहत जिसको मंत्री जी ने इनकार कर दिया है, मैं उनके पास सर्कुलर भेज दूंगा, इसलिये क्या कारण है कि गन्ना किसानों से कटौती की जा रही है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

श्रीमन्, पिछले वर्ष भी विभिन्न प्रकार की कटौतियां हुई हैं और एन0आर0डी0 की कटौती होती रही है, तो तमाम सारी परिस्थितियां आयीं जिनका अध्ययन किया। तो मैंने स्वयं स्पष्ट आदेश किये हैं और मा0 सदस्यों को भी पत्र लिखकर भेजा है कि किसी प्रकार की कोई कटौतियां अनिवार्य नहीं हैं, सारी ऐच्छिक हैं। केवल यातायात की बाद के लिये आदेश किये कि 50 पैसे की कटौती की जाय, इसमें 32 पैसे केन्द्र सरकार द्वारा यातायात व्यय और 18 पैसे क्रय केन्द्रों का खर्चा है, जो कुल मिलाकर 50 पैसे होता है। अन्य सारी कटौतियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और वह ऐच्छिक हैं। आपका जो कहना है कि मैंने

काउन्सिल में स्टेटमेंट दिया था तो आपको भी लिखा है जैसे हमारे यहां खाद के बारे में मालूम है कि 18 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों से पैसा मिलता है और साढ़े 18 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को देते हैं, इसलिये उन पर ब्याज का बोझा अधिक पड़ता है, इसका कैसे किसानों को लाभ मिले इसके लिये तय किया गया है कि गन्ना किसानों से स्वेच्छा से 50 पैसे प्रति कुंटल खाद में अमानत स्वरूप जमा करेंगे जो 5 साल बाद 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर उनको वापस करेंगें। यह पैसा समिति इकट्ठा करके किसानों को 13-14 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से खाद किसानों को हम दे सकेंगें। यह कटौती केवल स्वैच्छिक है अनिवार्य नहीं है। इसलिये शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि अनिवार्य कटौती न की जाय।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बताया है कि कटौती सीतापुर में स्वैच्छिक है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो वसूली की जा रही है वह 5 रुपये प्रति बैलगाड़ी, 15 रुपये प्रति ट्राली और 30 रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से वसूली की जा रही है। इसलिये मंत्री जी क्या बतायेंगे कि पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कि काश्तकारों का जो केन यूनियन में पैसा जमा होता रहा है उससे किसी किसान को फायदा नहीं मिल रहा है कि तो क्या सरकार ऐसी योजना बनायेगी जिससे किसानों को कोई गारंटी हो जाय कि उनका पैसा जमा हो रहा है क्योंकि जो वसूली की जा रही है वह स्वैच्छिक नहीं है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि कटौती स्वैच्छिक है। जो किसानों से पैसा लिया जायगा वह लिखित रूप से लिया जायगा, उसका लेखा-जोखा कायदे से रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो।

श्री हुकम सिंह--

ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी जो आदेश करते हैं विभाग वह मानता नहीं है। आपने कहा कि 50 पैसे यातायात के रूप में लिया जा रहा है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि 23 तारीख तक एक रुपया प्रति क्विंटल कटौती की जा रही है। किसी मिल ने प्रस्ताव पारित नहीं किया है और ए0जी0एम0 ने भी कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन कटौती की जा रही है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, जो शासन के अधीन मिलें हैं जो पूर्वी क्षेत्र की मिलें हैं, हमने निर्णय लिया है कि....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्षमा करेंगे आप फैसला लेने वाले कौन हैं। गन्ना समितियों ने ए0जी0 एम0 ने क्या इस कटौती का फैसला किया है, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

फैसला तो केन्द्रीय सरकार करती है उत्तर प्रदेश शासन तो किसानों के हित में फैसला करता है। हाई कोर्ट में एक केस गया था प्राइवेट मिल की तरफ से तो उन्होंने कहा कि 2 पैसे आजकल जो खर्च होता है उसके लिये नाकाफी है इसलिये केन्द्रीय सरकार पुनर्विचार करें। आपका जो प्रश्न था उसके बारे में अर्ज करूं कि शासन के अधीन जो मिलें

पूर्वी जिला में हैं, 32 पैसे काट रही हैं। चार प्राइवेट मिलें एक रुपया काट रही हैं। मध्य और पश्चिमी क्षेत्र की प्राइवेट मिलें एक रुपया काट रही हैं। उनके लिये प्रयास किया गया है, मिल एसोशियेशन ने 2 मार्च को मीटिंग बुलायी है और बलपूर्वक कहा जा रहा है कि शासन का जो फैसला है तो सरकारी और प्राइवेट मिलें समानरूप से शासन के फैसले का पालन करें। 2 मार्च को उनके एसोशियेशन की मीटिंग बुलायी गयी है प्रयास इस बात का है कि 50 पैसे काटें। शासन इस बात का प्रयत्नशील है कि जो आदेश किया गया उसका पालन कायदे से किया जाय।

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने रेडियो में घोषणा की है कि प्रत्येक मिल चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो तो 50 पैसे की कटौती की जायगी। सरकारी मिलों द्वारा 50 पैसे की कटौती की जा रही है और प्राइवेट मिलें एक रुपया की कटौती कर रही हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जो एक रुपया प्राइवेट मिलें कटौती कर रही हैं वह वापस करायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मिल मालिक एसोशियेशन ने 2 मार्च को मीटिंग अपनी बुलायी है। जो सारी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के अधीन है। उत्तर प्रदेश शासन जो कर सकता है जनहित, कर रहा है।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि सारी कटौती स्वैच्छिक है। कोई एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलायी। जो संचालक मंडल है उसकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना और जो गन्ना नियमावली है उसके नियम 17 के अनुसार ए0जी0एम0 की स्वीकृति आवश्यक है। यह उनके बाई-लाज में दिया हुआ है कि कोई कटौती बिना ए0 जी0 एम0 की स्वीकृति के नहीं हो सकती, तो उस नियम को शिथिल क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

स्वेच्छा का कोई आधार होता है ? यह तो अपनी इच्छा है।

श्री चेतराम गंगवार--

लेकिन मान्यवर, मेरा प्रश्न अपनी जगह सही है इन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलायी। मेरा प्रश्न "टु दि प्वाइन्ट" है। नियम 17 के अनुसार ए0 जी0 एम0 की स्वीकृति होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चेतराम जी। यह प्रश्न दो बार पूछ चुके हैं गुप्त जी।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

डेलीगेट्स ने पास नहीं किया, तो स्वेच्छा क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का है, उन्हें पूछ लेने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि अगर कोई शिकायत मिलेगी कि स्वेच्छा के विरुद्ध कोई वसूली हुई है तो कार्यवाही की जायगी। मैं अपने क्षेत्र की महौली, जिला सीतापुर की बात कर रहा हूं। वहां वसूली जबरन हो रही है। जो कोई कटौती नहीं कराता है, तो उसको पेमेन्ट नहीं दिया जाता है। मैं स्वयं सेक्रेटरी के कार्यालय में गया था और उनसे प्रार्थना की कि जो कटौती हो रही है, उसकी रसीद की व्यवस्था तो करें। महौली, सीतापुर में जितनी कटौतियां की गयी हैं, उसका लेजर तैयार नहीं है। क्या मा0 मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि ऐसे आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे कि यह वसूली स्वेच्छिक होगी और रसीद दी जायगी? क्या मा0 मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि सीतापुर समिति के कई काश्तकारों ने आपके निर्णय के खिलाफ रिट भी दायर की है? जहां नहीं काटा गया, वहां पेमेन्ट भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस आशय के आदेश तत्काल जारी करने की कृपा करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मैंने तो स्पष्ट किया और मैंने आदेश भी कर दिया है कि जो भी मेरे निर्देश हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जायगा। जिस मिल में अनियमित रूप से कार्यवाही हो रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। इसके अलावा जहां तक रसीद न देने की बात है, तो कायदे से रसीद देने के लिये आदेश करूंगा।

श्री अकबाल हुसैन--

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पूर्वी क्षेत्र की 4 चीनी मिलें 50 पैसे से अधिक कटौती कर रही हैं। मा0 मन्त्री जी ने 6 जनवरी को मा0 विधायकों को एक पत्र लिखकर यह कहा था कि जहां पर इस तरह की कटौतियां चीनी मिलें कर रही हैं, वहां विधायक जाकर किसानों की सहायता करें और कटौतियां न होने पायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुलसीपुर जनपद गोण्डा की चीनी मिल, बलरामपुर, नवाबगंज, मसौधा की चीनी मिलें हैं, वे 1 रु0 के हिसाब से काट रही हैं जब कि पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें 32 पैसे से 50 पैसे काट रही हैं। क्या मन्त्री जी इस असमानता को दूर करने की कृपा करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह तो जवाब दे चुका हूं, न केवल 4 मिलें वरन् हमारे प्रदेश में 27 मिलें ऐसी हैं जो 1 रु0 काट रही हैं। शासन के जरिये दबाव डाला जा रहा है कि 1 रु0 न काटकर 50 पैसे काटें। पूर्वी क्षेत्र में शासन ने 50 पैसे कहा है, लेकिन वे 32 पैसे काट रही हैं।

जो बजाय 50 पैसे के 1 रुपया ले रहे हैं ऐसी दो चीनी मिलें हैं एक महौली और दूसरी बरेली, जहां 50 पैसे के बजाय 1 रुपया लिया गया है। यह रिसीवर की मिलें हैं, उनका पैसा वापस कर दिया जायेगा।

श्री चेतराम गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कृपा करेंगे कि जो पैसा है वह ए0 जी0 एम0 के पास आये और तब वापस किया जाय क्योंकि इसमें बीच में लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी है, आप बैठें।

टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में बाला जी कम्पनी कलकत्ता द्वारा रेलवे वैगन से मंगाई गई स्टील की मात्रा में कमी तथा भुगतान में घपला

*8—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री शेरबहादुर तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद में बाला जी कम्पनी कलकत्ता द्वारा 5 लाख की स्टील रेलवे वैगन से मंगाई गई थी व उसकी मात्रा कम थी ? यदि हां, तो कितनी स्टील कम थी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा मात्रा कम प्रदर्शित करने के बावजूद उच्चाधिकारियों ने भुगतान बिना जांच कराये क्यों कर दिया ? संबंधित उच्चाधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

टांडा तापीय परियोजना (जनपद फैजाबाद) के लिये मैसर्स बाला जी स्टील एण्ड स्टोर्स कम्पनी कलकत्ता को 154 मैट्रिक टन स्टील का कुल कीमत रु0 5,34,369.00 (सेल्स टैक्स, एक्साइज डियूटी, पैकिंग तथा भाड़ा किराया अतिरिक्त) पर सप्लाई आर्डर दिया गया था जिसके अन्तर्गत स्टील रेलवे वैगन द्वारा भेजी गयी थी। रेलवे रसीद में अंकित 154 मैट्रिक टन वजन के विपरीत प्राप्त स्टील का वास्तविक वजन केवल 35.9603 मैट्रिक टन पाया गया और इस प्रकार वास्तविक प्राप्ति 118.0397 मैट्रिक टन कम पायी गयी। सप्लाई आर्डर में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार भुगतान करके माल छुड़ाने हेतु रेलवे रसीद प्राप्त की गयी। उक्त रेलवे रसीद रेल विभाग को माल की डिलीवरी देने हेतु जब प्रस्तुत की गयी उस समय ही माल की कमी का पता चला। विस्तृत जांच राज्य सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रश्नगत मामले में यथोचित कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वैगन जिस पर यह स्टील लदा था टांडा रेलवे स्टेशन पर किस तारीख को आया था और वहां कितने दिन खड़ा रहा, किस दिन इसकी डिलीवरी ली गयी तथा इसकी आर0 आर0 बैंक द्वारा आयी थी या कोई व्यक्ति इसे लेकर आया था ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इसकी तीन आर0आर0 आयी थीं। दो आर0 आर0 तो 20 मई की हैं और एक आर0 आर0 31 मई की है। इसे बैंक से छुड़ाया गया और हर आर0 आर0 में माल कम पाया गया।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि माल कब छुड़ाया गया। मेरा प्रश्न यह था कि आर0 आर0 बैंक के द्वारा आया, कितने दिन वैगन खड़ा रहा और कब छुड़ाया गया ? मंत्री जी ने आधा जवाब दिया है और आधा नहीं दिया।

श्री मोहन सिंह—

यही हो रहा है आजकल।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मंत्री जी प्रश्न फिर सुन लें कि माल का वैगन स्टेशन पर कब लगा, कितने दिन बाद उसकी डिलवरी ली गयी और आर0 आर0 बैंक द्वारा आया था या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

पूरी जांच मान्यवर, हो रही है। प्रश्न में पूछा गया था कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में बाला जी कम्पनी, कलकत्ता द्वारा 5 लाख की स्टील रेलवे वैगन से मंगाई गई थी व उसकी मात्रा कम थी ? इसका उत्तर दे दिया है। फिर था कि कितनी स्टील कम थी ? इसका भी उत्तर आ गया है। फिर था कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा मात्रा कम प्रदर्शित करने के बावजूद उच्चाधिकारियों ने भुगतान बिना जांच कराये क्यों कर दिया ? तो मान्यवर, इसमें शर्त यह थी कि आर0 आर0 देखते ही माल ले लिया जायेगा। स्टेशन पर वैगन कब आया था, कब छुड़ाया गया यह ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह सारा मसला छिपाया जा रहा है। वहां पर 12 दिन वैगन स्टेशन पर खड़ा रहा। संबंधित अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि माल कम है। उसके बावजूद भी माल छुड़ाने के आदेश दिये गये। केवल यही नहीं, चार लाख रुपये की रिकवरी का मामला है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी द्वारा उसे छुड़ाने के आदेश दिये गये थे ? क्या माल की डिलीवरी डिस्पैच होने के पहिले कलकत्ता थरमल स्टेशन से कोई अधिकारी गया था ?

श्री ब्रह्मदत्त--

यह सुपरिटेन्डेन्ट इंजीनियर, मैकेनिकल ने जनवरी 21 को टेण्डर का आर्डर दिया था। जब यह माल कम पाया गया तो इसके लिये विजिलेन्स डिपार्टमेंट को भी दे दिया गया है। इसके अलावा राजकीय विद्युत् परिषद् का सतर्कता का कोष्ठ है उससे भी जांच करा ली गयी है। अब सतर्कता विभाग से जांच जैसे ही हो जायेगी, उसको बतला दिया जायेगा। इसमें कोई तथ्य छिपाने की बात नहीं है।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। यह मई की बात आपने बताई और अब फरवरी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सतर्कता विभाग की अन्तरिम रिपोर्ट आपके पास आई है? और उसने क्या यह सिफारिश की है कि इसमें कुछ अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैंने बताया कि परिषद् का भी सतर्कता कोष्ठ होता है, उसने दिया है। सारे मामले को अब जांच के लिये सतर्कता विभाग को दिया गया है इसलिये उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, जैसे ही वह आयेगी, उसकी जो सिफारिश होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकम सिंह--

क्या सतर्कता विभाग ने सिफारिश की है कि इसमें कुछ अधिकारी दोषी शामिल हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैंने अभी कहा कि सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही कहां से होगी ?

श्री मुईद अहमद--

यह मेसर्स बाला जी कम्पनी, कलकत्ता द्वारा माल मंगाया गया तो क्या यह माल डाइरेक्ट आया था या फिर टेण्डर द्वारा आया था ?

श्री ब्रह्म दत्त---

यह माल टेण्डर द्वारा ही 21 जनवरी को आदेश से आया था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो विद्युत विभाग का सतर्कता सेल है उसने किस अधिकारी के विरुद्ध 4 लाख रुपये की रिकवरी की और क्या यह सही है कि बोर्ड ने उसे 4 लाख रुपये से बदल कर 40 हजार रुपये कर दिया ? कृपया उसका नाम मन्त्री जी बता दें और यह भी बता दें कि क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त---

विजिलेन्स सेल ने 9 आदमियों को दोषी पाया और उनके खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

वह 9 व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उत्तर मुंह से निकला नहीं कि दूसरा प्रश्न का उत्तर चाहने लगे यदि उत्तर नहीं देन देंगे तो फिर मैं बजाय इसके अगला प्रश्न लूं ।

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है और इसको मैं भी गम्भीरता से ले रहा हूं । यदि प्रश्न सही रूप में आता है तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। सतर्कता कोष्ठ ने 9 आदमियों के खिलाफ दोष पाया उसके बाद मामला गम्भीर होने के कारण सतर्कता विभाग को जांच सौंप दी गयी और जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, सतर्कता कोष्ठ की रिकमेण्डेशन, विद्युत परिषद् के लिए महत्वपूर्ण है । यदि उसने कोई संस्तुति की है औरभ्रष्टाचार में लिप्त पाया है तो मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि मामले को टकराने के लिये सतर्कता विभाग को मामला दिया गया इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब संस्तुति में आरोप आयद कर दिया है तो उनको तुरन्त निलम्बित कर के जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त---

सतर्कता विभाग की प्रतीक्षा है....

श्री मोहन सिंह---

जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तो इन्क्वायरी के मध्य उनको निलम्बित करने के आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न है कि जांच के मध्य, जब तक सतर्कता विभाग से जांच हो रही है, संस्तुति हुई है सेल की तो उस के अनुसार कार्यवाही करेंगे ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, जब विभाग में सतर्कता कोष्ठ सेल, एप्वाइंट किये हैं, या उनको विदड्रा करें या उसके अनुसार कार्यवाही करें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विजिलेंस सेल की जांच प्राप्त हुई है और उसके बाद राज्य विद्युत परिषद् ने और शासन ने भी महसूस किया कि सतर्कता विभाग से जांच हो लेकिन मैं फिर भी विद्युत् परिषद् को माननीय सदस्यों की भावना से अवगत कराऊंगा कि वह उसके अनुसार कार्यवाही करे ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है, शासन को प्राप्त हुई है, उनके नाम क्या हैं और क्या वह रिपोर्ट शासन सदन के पटल पर रखने को कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जब सतर्कता विभाग की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तो सदन के पटल पर जरूर रखी जायेगी ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

9 लोग दोषी पाये गये, मामला बड़ा गम्भीर है ।

(शोर)

(वित्त मंत्री को कई बार पुकारे जाने तथा उनके खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष--

वित्त मंत्री जी, मैं आपको बुला रहा हूं । प्रश्न संख्या 9 का उत्तर देने के लिये ।

(विपक्ष से शेम-शेम की आवाजें) ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, क्षमा करें । यह इस तरह से सम्भव नहीं हो पाता है ।

लखनऊ में मेफेयर सिनेमा के लाइसेन्स का निलम्बन व बहाली

*9--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि जून, 1978 में लखनऊ के मेफेयर सिनेमा को टिकटों की चोर बाजारी के अपराध में एक माह के लिए निलम्बित कर दिया गया था और एक सप्ताह के पश्चात् ही निलम्बन आदेश को वापस ले लिया गया ? यदि हां, तो सिनेमा को किस अधिकारी के आदेश से निलम्बित किया गया ? निलम्बन आदेश को निरस्त करने की सूचना समाचार-पत्रों में क्यों नहीं प्रकाशित की गयी ? टैक्स के राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां ।

सिनेमा का लाइसेंस शासन द्वारा निलम्बित किया गया था

सिनेमा अधिनियम/नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नही है जिसके तहत, सिनेमा लाइसेंस निलम्बित, बहाल किये जाने की सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जाये । शासन द्वारा लाईसेंस निलम्बित किये जाने की सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं कराई गई थी ।

सिनेमा का लाईसेंस कतिपय अनियमितताओं के पाये जाने पर नियमों के अन्तर्गत, निलम्बित किया गया था। अतः राजस्व की हानि के लिये किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जैसा उन्होंने कहा मेफेयर सिनेमा में चोर बाजारी में पकड़े गये टिकटों की, तो क्या उस समय जो अधिकारी रहे वह किसी की रिपोर्ट पर यह पाया गया या स्वयं शासन से कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचा था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

16 जून, 1978 को तत्कालीन संस्थागत वित्त मंत्री ने सिनेमा के मध्य आकस्मिक निरीक्षण स्वयं किया ।

सिनेमा की टिकटों की चोरबाजारी में पकड़ा गया और उसी दिन कारण बताओ नोटिस दिया गया । एक महीने के अन्दर उत्तर मांगा गया और साथ ही साथ सिनेमा का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया बार-बार सिनेमा के मालिक के कहने पर अब वह भविष्य में सिनेमा के टिकटों की चोरबाजारी नहीं करेंगे, 22 जून, 1978 को निलंबन आदेश वापस ले लिये गए ।

*10--श्री राम आसरे वर्मा--

[29वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा श्री लालसा राम, तहसीलदार, टाण्डा, जनपद फैजाबाद का स्थानान्तरण तथा आरोपों की जांच

*11--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-7-81 को जिलाधिकारी, फैजाबाद ने श्री लालसा राम, भू0पू0 तहसीलदार, तहसील टांडा के विरुद्ध 19 आरोपों की एक सूची आयुक्त, फैजाबाद को प्रेषित की थी? क्या यह सत्य है कि उक्त आरोपों के आधार पर आयुक्त फैजाबाद ने उक्त तहसीलदार का स्थानान्तरण नानपारा, तहसील बहराइच कर दिया था ? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच कराई गयी ? सत्य पाये गये आरोपों के आधार पर अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज--

जी हां ।

आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा प्रशासनिक आधार पर श्री लालसा राम, तहसीलदार टाण्डा, जनपद फैजाबाद का स्थानान्तरण बहराइच जनपद को किया गया जहां जिलाधिकारी के आदेश से उन्होंने तहसील भिन्गा में चार्ज लिया ।

उल्लिखित आरोपों में से ग्राम बिडहर खास में फर्जी तकावी वितरण विषयक एक आरोप के सम्बन्ध में थाना जहांगीरगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 419/420/416/468 एवं 471, भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी है, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है । अन्य आरोपों के सम्बन्ध में अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, फैजाबाद द्वारा फिर से जांच कराई जा रही है ।

चूंकि उपरोक्तानुसार आरोपों की विवेचना/जांच जारी है अतएव, अभी तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नही उठता है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तहसीलदार के विरुद्ध इतने गम्भीर आरोप की सूचना और रिपोर्ट थाना जहांगीर गंज में दी गई और इतने गम्भीर आरोपों के बावजूद उस तहसीलदार को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

एफ0 आई0 आर0 एस0 डी0 ओ0 की चिट्ठी पर लिखा गया है उसमें तहसीलदार का नाम नहीं है इसलिये पुलिस की जांच और ए0 डी0 एम0 की जांच के पश्चात् ही कोई और कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि तहसीलदार का नाम नहीं था मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके तहसील में क्या दो तहसीलदार रखे जाते हैं ? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उसी तहसीलदार के विरुद्ध यह धारायें लगाई गई हैं । यह जानबूझ कर इस मामले को दबाना चाहते हैं । उस तहसीलदार को निलंबित क्यों नहीं किया गया ? मान्यवर, इसका स्पष्ट उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप यदि कुछ उत्तर देना चाहें, तो दे दें ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, तथ्यों को छिपाने का कोई इरादा नहीं है । प्रश्न यह है कि जांच से स्पष्ट हो जाय कि उनके खिलाफ क्या आरोप हैं तब उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम कुण्डा, जनपद मेरठ में अनियमित रूप से आवंटित की गई भूमि का भूमिहीनों में वितरण

*12--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 23-11-81 का ग्राम कुण्डा तहसील व जनपद मेरठ में कुछ लोगों को अनियमित रूप से आवंटित की गयी भूमि के आवंटन को निरस्त करने व उसी ग्राम के भूमिहीनों को आवंटित करने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे परिषद् से किसी अधिकारी को भेजकर समस्त प्रकरण की जांच करायें तथा जांच रिपोर्ट शासन को शीघ्र भेजें।

बस्ती जनपद के केन यूनियन, बढ़नी द्वारा गन्ना उत्पादकों का गन्ने का बकाया मूल्य का भुगतान

*13--श्रीमती कमला साहनी--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद केन यूनियन, बढ़नी द्वारा गन्ना उत्पादकों को गत 4 वर्षों से गन्ना के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, और गन्ने के मूल्य का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां, बस्ती जनपद की केन यूनियन, बढ़नी पर गन्ना उत्पादकों का पिछले 2 वर्षों का अवशेष गन्ना मूल्य निम्न प्रकार है:--

वर्ष 1979-80	..	1.57 लाख रु0
वर्ष 1980-81	..	0.46 लाख रु0
	योग ..	2.03 लाख रु0

यह धनराशि बढ़नी केन यूनियन की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भुगतान नहीं हो सकी है। इस धनराशि का भुगतान जून, 1982 तक सम्भावित है।

श्रीमती कमला साहनी--

किसानों के पैसे को केन यूनियन द्वारा किसानों को न देकर कैसे खर्च कर दिया गया और किन व्यक्तियों ने किस चीज में इसको खर्च किया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

किसानों का यह पैसा इन्होंने कीटनाशक दवाओं और खाद वगैरह में खर्च कर दिया है। इसके कमीशन की आमदनी 40 हजार है। अब वहां पर किसानों से जो पैसा वसूल करना है वह 6 लाख 38 हजार रु0 किसानों के यहां बाकी पड़ा है उसका भुगतान करा दिया जाय।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। आप कृपया बैठ जायें। (व्यवधान) मैं अब समय बढ़ाऊंगा नहीं। तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया (व्यवधान)। श्री केदारनाथ सिंह जी आप बैठ जायं। दूसरी तरह से उठावें प्रश्न।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हरदोई के सदर कानूनगो सेक्शन में लेखपालों के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति की जांच

*14--श्री राज किशोर राव--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि अक्तूबर-नवम्बर, 1981 में कार्यालय जिलाधिकारी, हरदोई के सदर कानूनगो सेक्शन में 38 लेखपालों को फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति करने का कोई मामला प्रकाश में आया है ? क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, हरदोई ने उक्त सभी लेखपालों की नियुक्ति समाप्त करके विस्तृत जांच के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा जांच किस माध्यम से कराई जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। ऐसा मामला प्रकाश में आया है। जिलाधिकारी, हरदोई ने प्रारम्भिक जांच के उपरान्त 38 लेखपालों की सूची निरस्त करते हुए यह आदेश दिया था कि शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धी गलत तथ्यों के आधार पर प्रमाण-पत्र दाखिल करने वाले व्यक्तियों के बारे में जांच कर उन्हें सेवा से अलग कर दिया जाय तथा गलत प्रमाण-पत्र दाखिल करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इसी बीच शासन द्वारा परिषद् के माध्यम से जांच भी कराई गयी जिसमें सभी 38 लेखपालों की नियुक्तियां अनियमित पाई गयी और उन सभी लेखपालों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं। गलत प्रमाण-पत्र दाखिल करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के भी आदेश दिये गये हैं। गलत सूची तैयार करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के भी आदेश दिये गये हैं।

गन्ने के मूल्य बढ़ाने के संबंध में पत्र

*15--श्री राजकुमार राय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र गन्ना का मूल्य बढ़ाने के संबंध में नवम्बर, दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने उस पर कौन सी कार्यवाही किया और जब कृषि में प्रयुक्त होने वाले सभी चीजों के दाम बढ़े हैं तो गन्ने का मूल्य बढ़ाने या पिछले वर्ष के मूल्य बरकरार रखने में शासन को क्या-क्या कठिनाई है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्न में इंगित केवल दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है।

इस वर्ष भारत सरकार ने 8.5 प्रतिशत या उससे कम परते से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य रु0 13.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। इस आधार पर प्रदेश को विभिन्न चीनी मिलों के लिये चीनी परते के अनुसार गन्ने का मूल्य रु0 13.00 तथा रु0 16.52 पैसे प्रति कुंतल के बीच आता है। फिर भी प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गन्ने का अधिक लाभकर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पश्चिमी मध्य तथा पूर्वी चीनी क्षेत्रों के लिये क्रमशः रु0 21.50 पैसे तथा रु0 20.50 पैसे प्रति कुंतल परामर्श मूल्य के रूप में उच्चतर गन्ना मूल्य इंगित किये हैं।

गत वर्ष पश्चिमी तथा मध्य चीनी क्षेत्रों के लिये रु0 20.00 तथा पूर्वी चीनी क्षेत्र के लिये रु0 19.00 प्रति कुंतल की दर से गन्ना मूल्य इंगित किये गये थे। बाद में जब चीनी के दामों में बढ़ोत्तरी हुई, तो उसका भी लाभ दिलाने के लिये शासन ने पश्चिमी तथा मध्य-चीनी क्षेत्रों में रु0 23.00 प्रति कुंतल तथा पूर्वी चीनी क्षेत्र में रु0 22.00 प्रति कुंतल की दर से गन्ने के दाम दिलवाये। इस वर्ष पिछले साल की दोनों गन्ना कीमत का औसत निकाल

कर शुरू सीजन से ही सरकार ने एक दाम दिया गया है ताकि सभी किसानों को शुरू से ही समान लाभ मिल सक ।

गन्ने का मूल्य केवल गन्ने की उत्पादन लागत पर ही निर्भर नहीं होता है, अपितु किसानों की दूसरी फसलों पर मिलने वाले मूल्य, कृषि उत्पादनों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता, गन्ने से चीनी का परता आदि अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है ।

गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गन्ने की पैदावार में वृद्धि हुई है, परन्तु खुले बाजार में गुड़, खाण्डसारी तथा चीनी के भावों में गिरावट की प्रवृत्ति चल रही है इस परिस्थिति में अधिक गन्ना-मूल्य दिलाने की स्थिति नहीं बनती ।

जिला बरेली के कस्बा नवाबगंज में सहकारी चीनी मिल लगाने हेतु प्रार्थना-पत्र

*16—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्त्ता का 12-8-81 का एक प्रस्ताव अथवा प्रार्थना-पत्र जिला बरेली के कस्बा नवाबगंज में सहकारी चीनी मिल लगाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या वह केन्द्र सरकार से नवाबगंज में चीनी मिल लगाने हेतु लाइसेन्स दिये जाने की संस्तुति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां, प्राप्त हुआ है । प्राथमिक परीक्षण पर इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं पाया गया, क्योंकि उस क्षेत्र की वर्तमान मिलों की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात एक नई मिल के लिये पर्याप्त गन्ना मिल पाना सम्भावित नहीं है । फिर भी इस विषय का पुनः परीक्षण किया जा रहा है और तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर उपयुक्त निर्णय लिया जायगा ।

उद्योगों के निजी विद्युत् उत्पादन सेटों को कोयले से चलाने का प्रबन्ध पर विचार

*17—श्री जयदीप सिंह—

क्या डीजल की कमी एवं बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा के व्यय को देखते हुए सरकार बिजली उत्पादन एवं उद्योगों के निजी विद्युत् उत्पादन सेटों को तुरन्त कोयले से चलाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ऐसे आदेश पारित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का संबंध है पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे डीजल सेटों के अलावा लगभग समस्त तापीय विद्युत् उत्पादन कोयले पर ही आधारित है । पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे-छोटे सेटों (माइक्रो-डीजल) को कोयले से चलाना संभव नहीं है जहां तक औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध है कोयले से बिजली का उत्पादन करने के संबंध में शासन का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

परन्तु इस संबंध में स्थिति यह है कि छोटी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयां साधारणतः स्टैन्ड बाई-प्लान्ट के रूप में ही डीजल सेट लगाती हैं ताकि परिषद् की ओर से विद्युत् आपूर्ति बन्द होने पर वे डीजल सेट से शीघ्र विद्युत उत्पादन कर सकें । कोयले से चलने वाले थर्मल सेट इस प्रयोजन के लिये काफी मंहगे एवं अनुपयुक्त हैं । तथा उनका रख-रखाव भी काफी कठिन है ।

राजेन्द्रनगर कालोनी, लखनऊ में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से लिया गया मकान किराया भत्ता

*18—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजेन्द्र नगर सरकारी कालोनी, लखनऊ में रहने वाले राज्य कर्मचारियों को वेतन का दस प्रतिशत ही किराया देना पड़ता है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कालोनी के राज्य कर्मचारियों को मकान भत्ता भी दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? क्या सरकार लखनऊ नगर के महानगर और बादशाह नगर सरकारी कालोनी के कर्मचारियों को उपरोक्त की भांति मकान भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त —

दिनांक 1 जनवरी, 1981 से राजेन्द्र नगर कालोनी, लखनऊ में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से उनके वेतन का दस प्रतिशत ही मकान किराया लिया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1 जनवरी, 1981 से उपरोक्त कालोनी के राज्य कर्मचारी नियमानुसार मकान किराया भत्ता पाने के पात्र नहीं रह गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पश्चिमी तथा पूर्वी प्रदेश के बीड़ी मजदूरों की मजदूरी में असमानता

**1—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी के मजदूरों की असामान्य मजदूरी अर्थात् पश्चिमी प्रदेश तथा पूर्वी प्रदेश में भारी असमानता को समाप्त करके, समान वेतन का कानून बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

जी नहीं। पश्चिमी तथा पूर्वी प्रदेश के बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम दरों में असमानता नहीं है।

बीड़ी मजदूरों की मजदूरी की न्यूनतम दर पश्चिमी प्रदेश तथा पूर्वी प्रदेश के लिए अलग-अलग नहीं निर्धारित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न बीड़ी मजदूरों के लिये था लेकिन इसमें गलत छपा है। मजदूरों के लिये लिखा है। मैंने प्रश्न सिर्फ बीड़ी मजदूरों के लिये किया था लेकिन जवाब में बीड़ी मजदूरों के लिये सही आया है। तो मैं चाहता हूं कि इसे दुरुस्त कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसमें तो बीड़ी मजदूरों के लिये छपा है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मेरे पास जो बुक-लेट है उसमें बीड़ी नहीं छपा है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये तो।

श्री मुहम्मद आजम खां—

बीड़ी मजदूर उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख के करीब हैं। पश्चिम और पूरब के बीड़ी मजदूरों की मजदूरी में बड़ी असमानता है। मैं यह नही कहता कि माननीय मंत्रीजी को इसके मालूमात नहीं हैं लेकिन शायद उनको यह मालूमात न हो कि पश्चिमी जिले जैसे रामपुर, अमरोहा में 6 रुपये 20 पैसे और पूर्वी जिले इलाहाबाद, जौनपुर में 5 रुपये 1 हजार बीड़ी बनाने पर दिया जाता है। इसमें पत्ती छांटना, काटना भिगोना और उसके बाद उसे साफ करके उसकी बीड़ी बनाना और इस तरह से एक हजार बीड़ी बनाने पर 6 रुपये 20 पैसे और 5 रुपये पश्चिमी जिलों और पूर्वी जिले में मजदूरी दी जाती है। इससे मालूम होता है कि पश्चिम और पूरब के बीड़ी मजदूरों की मजदूरी में कितनी असमानता है। दूसरी बात यह है कि बीड़ी मजदूरों से एक पैसा या दो पैसा हजार मेडिकल एड के नाम पर लिया जाता है। तो इस बारे में उसका क्या प्रबन्ध किया गया है, क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मजदूरी में असमानता का प्रश्न है, उसका जवाब तो मंत्री जी ने दे दिया है कि जी नहीं, पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम दरों में असमानता नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

ये मालूमात मंत्री जी के सही नहीं हैं। इनके मालूमात इस तरह हो सकते हैं कि बीड़ी मालिकान से पूछा जाय कि पश्चिमी प्रदेश में वह कितना पैसा देते हैं और पूर्वी प्रदेश....

श्री अध्यक्ष—

आप पूछना क्या चाहते हैं?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिमी प्रदेश के जिलों में कितनी बीड़ी की दर दी जाती है मंत्री जी बतायगे?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्रीमन्, सूचना माननीय आजम साहब की सही नहीं है। श्रीमन्, पहली बात यह है कि वेजेज या तो ट्राइब्यूनल के द्वारा जिन्हें क्वासी जुडिशियल एथारटीज समझा जाता है इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत तय होती है या मिनिमवेजेज ऐक्ट में एक्जीयूटिव ऐक्शन के द्वारा निर्धारित होती है। दोनों सेन्ट्रल ला है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण की दो कन्डीशन लगी हैं प्रथम यह कि सरकार सारी चीजों को देखकर के अपनी प्रपोजल बना करके गजट में प्रकाशित करे इस पर जिसको एतराज करना हो वह एतराज कर दे और जिसको जो कुछ कहना हो कह दे। उसके बाद उन पर विचार कर सरकार मजदूरी की दरों को नोटिफाइड कर देते हैं। कहना यह है कि जो मिनिमम वेजेजआज बीड़ी

उद्योग में प्रिवेल कर रहे हैं वह वेजेज 7 अगस्त, 1979 को उत्तर प्रदेश के गजट में प्रकाशित हुए थे। गालिबन यह विचार उस सरकार ने की होगी जो 7 अगस्त, 1979 को रही होगी। उसको मैं मानकर चलता हूं कि वह सरकार बड़ी विवेकशील सरकार थी उसने सारे प्रदेश के स्तरों और स्थल दोनों में व्याप्त मजदूरी दरों की जांच की होगी। समय गुजरा। कोई एतराज नहीं हुआ। उस पर नियमगत 14 अगस्त, 1980 को नोटिफिकेशन होकर के उन प्रपोजल्स को नियमित रूप दे दिया गया। पहला प्रश्न यह है कि जो कुछ 7 अगस्त, 1979 को तत्कालीन विवेकशील सरकार ने किया उसने समझकर किया होगा चाहे इस संबंध में हम भले ही विवेकहीन हों। वेजेज जो 14 अगस्त, 1980 फिक्स हुई वे उस को प्रस्ताव को क्रियान्वित मात्र करने के लिए दूसरा प्रश्न है अन्तर का। अरबन सेक्टर में अन्तर पूरब तथा पश्चिम का नहीं वरन् 6 रुपये 20 पैसे और मुफसिल में 6 रुपये। गवर्नमेंन्ट आर्डर है। मेरे पास है। मैंने तारीख बताई 14 अगस्त, 1980। यह सूचना जो है इसलिए सही नहीं है।

श्री मुहम्द आजम खां--

6 रुपये 20 पैसे की सूचना मंत्री जी की सही है। रामपुर में बीड़ी के तीन-चार बड़े कारखानें हैं, 500, 522, एक्का मार्का, वगैरह। वहां पर तकरीबन दस हजार मजदूर यह काम करते थे। लाखों लोग उससे पलते थे। अब यह हुआ है कि रामपुर के बीड़ी मालिकान अपने कारखानों को वहीं फिक्स रखते हुए सारे पत्ते, तम्बाकू, बनारस, इलाहाबाद जायस ले जाते हैं। रामपुर में 6 रुपये 20 पैसे देने पड़ते हैं और वहां 4 रुपये, 5 रुपये मजदूरी में बीड़ी मिल जाती है लिहाजा इससे नुकसान हुआ है। रामपुर में एक लाख लोगों की रोजी खत्म हो गई। बीड़ी बनारस, इलाहाबाद, जायस से बनकर रामपुर आती है। इसलिए मेरी मालूमात को सही मानते हुए कि रामपुर के कारखानेदार रामपुर से काम हटा लिये, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

6 रुपये मुफसिल एरिया में और 6 रुपये 20 पैसे अरबन एरियाज में, कारपोरेशन, म्युनिस्पल एरियाज आदि पूरे प्रदेश में है, अगर इस आदेश का कोई उल्लंघन कर रहे हैं तो शासन उस पर विधिवत् कार्यवाही करेगा। श्रीमन्, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मजदूरी की दरें जो इनकी सरकार ने अगस्त, 1979 में प्रपोज किया हम उस पर पुनः विचार के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन बुला रहे हैं और अगर सम्मेलन ने राय दी तो मजदूरी की विद्यमान दरों को पुनरीक्षित करेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं दर लागू करने के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि बीड़ी मजदूरों को जो पश्चिमी जिले में हैं उनकी भी वही मजदूरी दी जाती है जो कि पूर्वी जिलों के मजदूरों को दी जाती है तो पश्चिमी जिले वाले बीड़ी मजदूर अपना कारखाना वहां से न ले जाते। पूर्वी जिलों में आप 6 रुपया 20 पैसा दे रहे हैं जबकि पश्चिमी जिलों में केवल 6 रुपया ही दे रहे हैं। यह रिकार्ड आपको ब्रांचों से मिल सकता है। क्या माननीय मंत्री जी उस रिकार्ड को हासिल करने की कृपा करेंगे और समान मजदूरी सभी जगह देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कह दिया कि जहां पर वह दर लागू नहीं होगी, वहां वे करेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो आप कह रहे हैं, मंत्री जी तो नहीं कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, इनको आप पुनः सुना दें कि वही दर सब जगह लागू करेंगे।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, वहरहाल मैंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में चाहे वह पूर्वी जिले हों या पश्चिमी जिले हो, जायस हो, प्रतापगढ़ हो या गोरखपुर हो मुफस्सिल एरियाज में 6 रुपये और कारपोरेशन्स में, म्युनिसपल बोर्ड्स में 6 रुपया 20 पैसे है। अगर कोई इसको नहीं कर रहा है, इस आदेश का उल्लंघन कर रहा है तो हम कार्यवाही करेंगे। मैं मान्यवर, फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये वेज रेट्स 7 अगस्त, 1979 को जो सरकार थी, उसने किये थे और वह समझबूझ कर ही उसने किये होंगे, उसको ज्यादा जानकारी थी।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित उनसे यह पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने एक सुनिश्चित जानकारी यह दी है कि आपने जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत मजदूरी तय की है, पूर्वी और पश्चिमी जिलों क प्रश्न नहीं है, कुछ स्थानों के नाम भी उन्होंने लिये कि वहां पर यह मजदूरी उनको नहीं मिल रही है। इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि जो आपने एक कानून बनाया हुआ है उसके तहत सब जगहों में एक समान मजदूरी 6 रुपया 20 पैसा देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

मान्यवर, आश्वासन तो बहुत छोटी ही चीज है, निकाले हुये आदेशों का कार्यान्वयन करना सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपने इस कर्त्तव्य में नहीं चूकेगी। आश्वासन तो बहुत छोटी बात है।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 6 रुपया बीड़ी वैजेज पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसको देखते हुये कि आज महंगाई बहुत बढ़ गई है और यह 6 रुपये की वैजेज बहुत कम है इसके रेट को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित ---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं पहले ही सूचित कर चुका हूं कि यह 7 अगस्त, 1979 का प्रस्ताव है और अभी तक वही चल रहा है। इसी निमित्त उन पर विचार करने के लिये हम तीनो पक्षों को बुलायेंगे और वहां पर जो सहमति होगी उसके अनुसार जनतांत्रिक पद्धति अपनाते हुये कार्यवाही करेंगे।

श्री मुहम्मद आलम खां--

एक प्रश्न की इजाजत और दे दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें। दूसरे प्रश्न के लिये केवल 5 मिनट ही रह गये हैं।

कृषि योग्य भूमि का सरकारी निर्माण और उपयोग हेतु अधिग्रहण न किये जाने के संबंध में शासनादेश

**2—श्री गोपीनाथ वर्मा —

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी कृषि योग्य भूमि सरकारी निर्माण और उपयोग हेतु अधिग्रहण न किए जाने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

जी नहीं। भूमि अर्जन अधिनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल कोई शासनादेश जारी करना सम्भव नहीं है।

श्री गोपीनाथ वर्मा —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि "दैनिक जागरण" में नई दिल्ली में 13 फरवरी को मुख्य मंत्री ने स्पष्ट एलान किया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में उर्वरक तथा कृषि भूमि को सरकारी तथा गैर सरकारी निर्माण कार्य तथा उपयोग हेतु भविष्य में अधिग्रहण नहीं करेगी। यह वचन राज्य के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विगत वृहस्पतिवार को लखनऊ में कांग्रेस (इ) के राज्य सभा सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह तथा उनके साथियों को दिया है। मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि कृषि योग्य भूमि जो है उसका उपयोग सरकारी या दूसरे कामों मे नहीं किया जायेगा। तो क्या सरकार इस संबंध में कोई शासनादेश जारी करेगी ?

श्री अध्यक्ष —

वह तो उन्होंने लिख दिया है—जी, नहीं। भूमि अर्जन अधिनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल कोई शासनादेश जारी करना संभव नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश करना बहुत आवश्यक है और जनहित में है। क्योंकि मैं देखता हूंकि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन भी अधिग्रहण हो जाती है जिनके पास और कोई जमीन नहीं है। यदि ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये हैं तो पीड़ित और शोषित लोगों की जमीन को बचाने के लिये कोई इस तरह के आदेश जारी करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह जो भूमि अर्जन ऐक्ट है यह सेंट्रल ऐक्ट है उसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी जो कृषि योग्य भूमि है उसको बचाने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी होते रहते हैं और आवश्यकता हुई तो आगे भी होंगे। अभी यह निश्चत आदेश हैं कि जहां तक संभव हो कृषि योग्य भूमि किसी और प्रयोजन के लिये न ली जाय, यदि 4 फर्लांग के अन्दर ऊसर या बजर भूमि एवेलेबिल है। जब जिलाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है भूमि अर्जन के लिये तो उसे सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। उनको या तो यह कहना पड़ता है कि भूमि कृषि योग्य नहीं है जिसको कि अर्जन किया जा रहा है या फिर यह

कहते हैं कि कृषि योग्य तो है लेकिन लेना आवश्यक है और इसके इर्दगिर्द 4 फर्लांग के अन्दर कोई ऊसर या बंजर भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिये लेना जरूरी है। तो इस तरह के शासनादेश हैं कि जहां तक हो कृषि योग्य भूमि न ली जांय।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने राजकीय विभाग हैं चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो या सिंचाई विभाग सब कृषि योग्य भूमि पर ही निर्माण कर रहे हैं। आवास विकास परिषद् के जो मकान बन रहे हैं वह एक मंजिले और दो मंजिले बन रहे हैं और प्रदेश के 44 जिलों में उनका कार्य चल रहा है। आपकी जो रामसागर कालोनी है उसमें सब एक मंजिला और दो मंजिला भवन बन रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये यह तो आप भाषण दे रहे हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

तो क्या सरकार अपनी नीति को बदलेगी और कृषि योग्य भूमि का जबरदस्ती अधिगृहण करती है और उसमें एक और दो मंजिला भवन आफिसरों के लिये बना रही है उसको बंद करके ज्यादा में जिला भवन बनायेगी और कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे दिया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1967 में सबसे पहले यह आदेश जारी हुआ था कि जहां तक संभव हो कृषि योग्य भूमि न ली जाय और ऊसर और बंजर भूमि पर कारखाने लगाये जांय। अभी मंत्री जी ने बताया कि 4 फरलांग तक में अगर ऐसी भूमि है तो कृषि योग्य भूमि को न लिया जाय। लेकिन जहां 4 फरलांग तक बंजर या ऊसर भूमि नहीं है वहां कृषि योग्य भूमि में कारखाने लगेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे आदेश जारी करेंगे कि कारखाने जहां ऊसर और बंजर भूमि मौजूद है वहीं पर ही लगाये जांय इसके लिए सरकार विवश करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, कारखानों के लिये तो ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है वह दूर ऊसर में लगाये जा सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री बलवीर सिंह--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में भू-खंड संख्या 1152 तालाब को पट्टे पर दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र

2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखंड संख्या 1152 तालाब है और मछली पालन हेतु उपयुक्त है ? यदि हां,

---

नोट:--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

तो क्या इस तालाब को मछली पालने हेतु पट्टे पर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस तालाब को पट्टे पर दिये जाने हेतु 1979 से 30-9-81 तक कोई प्रार्थना पत्र ग्राम समाज एवं मत्स्य निदेशक तथा मत्स्य पालन मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त तालाब को पट्टे पर देने की क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। लेकिन उक्त तालाब मछली पालन हेतु उपयुक्त नहीं है और न ही मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर दिया गया है। प्रश्नगत तालाब के पानी से आस-पास के कृषकों के खेतों की सिंचाई होती है तथा तालाब छिछला होने के कारण पानी भी मात्र 6 माह ही रहता है।

तालाब को पट्टे पर दिए जाने हेतु 1979 से 30-9-81 तक ग्राम सभा, मत्स्य निदेशक को सम्बोधित श्री नुरुल हसन खां का पत्र दिनांक 16-7-79 तथा 17-8-79 सहायक मत्स्य निदेशक, फैजाबाद के माध्यम से जनपद में प्राप्त हुआ था। तीसरा पत्र दिनांक 7-12-81 को माननीय विधायक (प्रश्नकर्ता) के हस्ताक्षर से श्री नूरुल हसन खां का ही पत्र प्राप्त हुआ था। प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र दिनांक 20-11-81 जो कि मत्स्य पालन मंत्री को सम्बोधित था, को दिनांक 5-12-81 को निदेशक मत्स्य को तथा निदेशक मत्स्य ने उक्त पत्र को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए उसकी सूचना माननीय विधायक को अपने पत्रांक 5-8/स0-6-70, दिनांक 4-1-82 द्वारा दे दी है। मत्स्य पालन के लिये पट्टे पर दिए जाने हेतु प्रस्ताव पर भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि इसे पट्टे पर न दिया जाय। परगनाधिकारी मुसाफिरखाना द्वारा जिलाधिकारी से विचार विमर्श के उपरान्त दिनांक 31-8-79 द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य फैजाबाद को उक्त तालाब का मत्स्य पालन हेतु पट्टा न दिए जाने की परिस्थितियों से सूचित किया जा चुका है।

3--श्री मोतीलाल देहलवी--

[22-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 188 द्वारा उत्तरित]

विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिशों पर कार्यवाही

4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] की सिफारिश क्रमशः 91,97,98 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन के पैरा 91 में की गई संस्तुतियों के संबंध में स्थिति यह है कि यद्यपि विद्युत निरीक्षणालय के अधिकारियों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महालेखाकार द्वारा एक जगह के संबंध में जो आपत्ति की जाती है उस प्रकार की आपत्ति अन्य स्थान पर न पाई जाये तथापि समिति की संस्तुतियों का और गम्भीरतापूर्वक पालन कराये जाने के संबंध में अधिकारियों को निदेश जारी कर दिये गये हैं। विद्युत निरीक्षणालय में निरीक्षण अधिकारियों की कमी होने के कारण तथा निरीक्षण कार्य की अधिकता के कारण महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्टों में पहले नहीं दर्शाया जा सका। परन्तु अब इस हेतु आवश्यक पद

सृजित किये जा रहे हैं तथा अधिकारियों को यह निदेश भी जारी किये जा रहे हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभिन्न इकाइयों द्वारा रखे गये विद्युत कर से संबंधित रिकार्ड की तत्परता से जांच करें।

पैरा 97 के संबंध में स्थिति यह है कि वर्ष 1977-78 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 46 के अधीन 12,260 अधिष्ठापनों का निरीक्षण किया गया था तथा अन्य निरीक्षणों को सम्मिलित करते हुये कुल 30,769 निरीक्षण संबंधी कार्य किये गये जो उचित है।

पैरा 98 में की गई संस्तुतियों के अनुसार विद्युत निरीक्षणालय के पुनर्गठन एवं विस्तार करने के उद्देश्य से अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है।

मुजफ्फरनगर जनपद में बिक्री-कर अधिकारी खण्ड-तीन के विरुद्ध शिकायतों की जांच

5--श्री हुकम सिंह--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में बिक्री कर अधिकारी खण्ड तीन के विरुद्ध 3 अक्टूबर, 1981 से समस्त कर अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय का बहिष्कार चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 25 अक्तूबर को ज्ञापन वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत किया था ? सरकार ने उक्त बिक्री कर अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री ब्रह्मदत्त--

शासन को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मुजफ्फरनगर के अधिवक्ताओं ने बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-3 के न्यायालय का बहिष्कार 3 अक्टूबर 1981 से किया है। यह बहिष्कार कुछ समय के लिये किया गया था और अब नहीं चल रहा है।

उक्त अधिकारी के विरुद्ध अधिवक्ताओं की शिकायत की जांच कराई गई। जांच के परिणाम स्वरूप अधिकारी को चेतावनी दी गयी है।

शकर मिल बुढ़वल, बाराबंकी के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

6--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शकर मिल बुढ़वल, (जनपद बाराबंकी) के किसानों का गन्ना मूल्य वर्ष 1968-69 तथा 1970-71 अब भी बाकी है ? जबकि सरकार ने गन्ना यूनियन बुढ़वल को बकाए की सारी धनराशि भुगतान हेतु दे दिया था ? यदि हां, तो गन्ना किसानों को उनका पैसा भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां।

बुढ़वल गन्ना सहकारी समिति में अनपेड तैयार नहीं हुआ था। इसे तैयार कराया जा रहा है और शीघ्र ही भुगतान प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

वर्ष 68-69 की रु0 28,455.16 की धनराशि चीनी मिल तथा समितियों में विवादास्पद है। इसके आर्बीट्रेशन निर्णय हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

7--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान कीजांच सन् 1977 से 1981 के बीच चली उनके नाम क्या हैं, अभियोग क्या था तथा जांचोरान्त कौन सी कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्नगत अवधि में सतर्कता अधिष्ठान की जांच निम्नलिखित दो अधिकारियों के विषय में जिनके विवरण निम्नवत् है, पूर्ण हो गई है :--

नाम तथा अन्य विवरण	कृत कार्यवाही
1--श्री के0 एम0 सन्त, उप गन्ना आयुक्त ।	इनके विरुद्ध कुछ नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप था । दण्ड-स्वरूप इन्हें चेतावनी दी गयी ।
2--श्री रमाशंकर सिंह, उप गन्ना आयुक्त ।	इन के विरुद्ध नियुक्तियों में अनियमितता बरतने तथा गन्ना समितियों को कुछ गलत निर्देश देने आदि के आरोप हैं । सतर्कता जांच के आधार पर इनका स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

2--उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य उप गन्ना आयुक्तों/जिला गन्ना अधिकारियों के विरुद्ध भी विभिन्न आरोपों पर गोपनीय सतर्कता जांच चल रही है । इस समय उनके विषय में कोई जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

गन्ना संघ, उ0 प्र0, लखनऊ में कार, जीप तथा अन्य गाड़ियां व उनका उपयोग तथा व्यय

8--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ, उ0 प्र0, लखनऊ में 31 अक्तूबर, 1981 को कितने कार, जीप तथा अन्य गाड़ियां हैं ? किस-किस गाड़ी नं0 को कौन-कौन उपयोग करता है तथा गाड़ी वाइज वर्ष 1979-80, 80-81 में कितना पेट्रोल डीजल खर्च हुआ ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ0, लखनऊ में 31 अक्तूबर, 1981 को 9 गाड़ियां (कार, जीप एवं पिकप) थीं ।

गाड़ियों का नम्बर प्रयोग करने वाले अधिकारियों और गाड़ीवार 1979--80 तथा 1980–81 में पेट्रोल/डीजल पर हुए व्यय का विवरण निम्नवत है :--

गाड़ी सं0	प्रयोग करने वाले अधिकारी का नाम	पेट्रोल व्यय (सहकारी वर्ष में) 1979–80	1980–81
1	2	3	4
यू0टी0 सी0 7571	प्रबन्ध कमेटी के समस्त सदस्यगण एवं अधिकारी।	11553.18	14748.18
यू0 टी0 डी0 8724		10556.74	13625.88
यू0 पी0 एच0 7056	4–8–81 को खराब होने होने के पूर्व संयुक्त सचिव (प्रचार)	6023.03	8473.24
यू0 पी0 एच08709	12–8–81 को खराब होने के पूर्व संस्था के समस्त अधिकारी।	6415.50	8593.14
यू0 टी0 डी02513	प्रेस कार्य हेतु	6007.35	10019.50
यू0 आर0 एल0 7090	प्रबन्ध निदेशक/अतिरिक्त सचिव।	..	6504.63 (फरवरी, 81 से)
यू0 आर0 एल0 9320	उप सभापति	..	1618.59 (मई 81 से)
यू0 टी0 डी0 9116	11–2–81 के उपरान्त प्रबन्ध कमेटी के सदस्यगण एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी	..	4195.15
यू0 टी0 सी0 5206	जांच दल के अधिकारी एवं लेखा खण्ड	6537.70	11279.42 उक्त व्यय वसूली योजना के द्वारा वहन किया गया।

गन्ना संघ, उ0 प्र0, लखनऊ में डेपुटेशन पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एलाउन्स

9---श्री हरिवंश सहाय---

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि 31–10–81 को गन्ना संघ, उ0 प्र0 लखनऊ में कितने अधिकारी व कर्मचारी डेपुटेशन पर कब से हैं उनके नाम क्या हैं तथा ये डेपुटेशन के पूर्व कहां काम करते थे ? संघ को डेपुटेशन में कितना एलाउन्स देना पड़ता है और लोगों के डेपुटेशन पर नियुक्ति का कारण क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ में 31 अक्तूबर, 1981 को प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वांछित विवरण संलग्न है।

इस संस्था में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होता है एवं संस्था के कार्यहित में इन्हें प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 647 पर।)

सहकारी गन्ना विकास समिति, शाहगंज में कार्यरत सीजनल एवं स्थायी कर्मचारी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में अनियमिततायें होने की शिकायत की जांच

10—श्री लालसा प्रसाद—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत सहकारी गन्ना समिति शाहगंज, जौनपुर में कुल कितने कर्मचारी अलग-अलग सीजनल एवं स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी गन्ना विकास समिति शाहगंज में क्रमशः 21 और 71 स्थाई तथा सीजनल कर्मचारी कार्यरत हैं। स्थाई कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के 4 कर्मचारी हैं जिनका प्रतिशत 19 1/2 है। सीजनल कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत शून्य है।

11—श्री लालसा प्रसाद—

क्या यह सही है कि वर्ष 1980–81 में जो सीजनल व स्थायी कर्मचारी की भर्ती की गयी थी उसमें कई अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ बरती गई अनियमितताओं के संबंध में गन्ना समिति के उपाध्यक्ष (श्री पारसनाथ पाण्डे) ने लिखित शिकायत-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उक्त इन अनियमितताओं एवं अनुसूचित जाति आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी गन्ना विकास समिति शाहगंज में 1980–81 में किसी स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई। सीजनल कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में श्री पारस नाथ पाण्डेय उपाध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति, शाहगंज ने शिकायती पत्र दिया था जिसमें पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न होने तथा कुछ अन्य अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की गई थी।

उक्त शिकायत की जांच गन्ना आयुक्त संगठन के जांच दल द्वारा कराई गयी जिसमें यह पाया गया कि पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का चुनाव तो किया गया था किन्तु अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं चुना गया।

पत्र में उल्लिखित दूसरी शिकायतें प्रमाणित या सही नहीं पाई गई।

क्योंकि नियुक्तियां जोनल गन्ना सेवा प्राधिकरण के निर्णय से की गई थीं, अतः किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से दंड देने का प्रश्न नहीं उठता। प्राधिकरण को इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि सीजनल कर्मचारियों में भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का नियमानुसार प्रतिनिधित्व कराने के लिये भविष्य के चुनावों में इस विषय पर शासकीय आदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

गन्ना संघ उ0 प्र0, लखनऊ में अधिकारियों व कर्मचारियों को निवास सुविधा, हाउस एलाउन्स, डेपुटेशन एलाउन्स

11—श्री हरिवंश सहाय—

(क) क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ उ0 प्र0, लखनऊ में वर्ष 1980–81 में किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को निवास सुविधा, हाउस एलाउन्स, डेपुटेशन एलाउन्स, डबल ड्यूटी एलाउन्स मिला है ? और उसका आधार क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समिति संघ लि0, लखनऊ के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1980-81 में निवास सुविधा, हाउस एलाउन्स और डबल ड्यूटी एलाउन्स (अतिरिक्त पद पर कार्य करने के लिये अतिरिक्त वेतन) दिया गया है उनकी सूची संलग्न है। यह सुविधा अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता और संघ के आवासों की उपलब्धता के आधार पर दी गयी है।

जहां तक मकान किराया भत्ता का प्रश्न है यह भत्ता उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को विनियमों के अनुसार निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है :--

1--लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा और कानपुर वेतन का 15 प्रतिशत
2--एक लाख से पांच लाख की आबादी वाले शहरों में वेतन का 7.5 प्रतिशत
3--अन्य नगरों में .. .. .. शून्य

निवास सुविधा आवासों की उपलब्धता और कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर, मकान किराया भत्ता यू0 पी0 केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन्स के विनियम 7 के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति भत्ता शासन के सामान्य आदेशों के अनुसार और अतिरिक्त पद पर कार्य करने के लिये अतिरिक्त वेतन उक्त रेगुलेशन के विनियम 93 के आधार पर दिया जाता है।

(देखिए नत्थो 'ख' आगे पृष्ठ 648 पर)।

सहकारी गन्ना विकास समिति रामकोला, देवरिया के लोन लेजर में गड़बड़ी विषयक शिकायती पत्र

12--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि पंजाबी केन यूनियन रामकोला, देवरिया के लोन लेजर में गड़बड़ी किये जाने के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र जगदीश नारायन शाही ने प्रश्नकर्ता के माध्यम से तत्कालीन गन्ना मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या कारण है

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सहकारी गन्ना विकास समिति रामकोला (पी) पडरौना (देवरिया) में लोन लेजर में गड़बड़ी किये जाने विषयक श्री जगदीश नारायण शाही का पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ, अपितु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-1-81 प्राप्त हुआ था। उस पर जिला गन्ना अधिकारी पड़रौना को जांच करने के आदेश दे दिये गये थे।

प्रश्नकर्ता को मुख्य वसूली अधिकारी के पत्र दिनांक 4-3-81 द्वारा उपरोक्त स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

सहकारी गन्ना विकास समिति सेवरही (देवरिया) के अन्तर्गत गन्ना कृषकों की संख्या तथा बोया गया गन्ना

13--श्री ध्रुप राय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत सेवरही समिति में गन्ना विकास के अन्तर्गत कृषकों की संख्या कितनी है ? 1980-81 में इस जोन में कितने हेक्टेयर में गन्ना था और इस वर्ष कितने हेक्टेयर में गन्ना है ? पिछले वर्ष अतिरिक्त बोरिंग की सुविधा कितने किसानों को दी गयी थी और इस वर्ष कितने किसानों को दी गयी है, यदि संख्या में अन्तर बहुत है तो इसका कारण क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सहकारी गन्ना विकास समिति सेवरही (देवरिया) के अन्तर्गत कुल 32860 गन्ना कृषक हैं। इस जोन में वर्ष 1980-81 में 6388.41 हेक्टेयर तथा इस वर्ष 8045.15 हेक्टेयर में गन्ना बोया गया।

वर्ष 1980-81 में 20 कृषकों तथा इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1981 तक 3 कृषकों को बोरिंग की सुविधा दी गयी। उपरोक्त दो वर्षों में अन्तर का मुख्य कारण यह है कि 1980-81 के आंकड़े सम्पूर्ण वर्ष के हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े पहले तीन त्रैमासों के ही हैं।

सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर में विभिन्न पदों पर स्थानापन्न कर्मचारियों की संख्या

14--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय में कितने स्थानापन्न कर्मचारी रखे गये तथा किन-किन पदों पर रख गए हैं? छटनी शुदा कर्मचारियों को क्यों नहीं रखा गया?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर में क्रमशः 17 व 29 स्थानापन्न कर्मचारी रखे गये। उक्त वर्षों में इन कर्मचारियों को सर्वे कानूनगो, सर्वे लेखपाल, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रखा गया। छटनीशुदा कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे।

जनपद मिर्जापुर में अनपरा तापीय विद्युत् गृह के लिए ग्रामों की अध्याप्त की गई भूमि, मुआवजा तथा विस्थापित परिवारों को प्लाटों का आवंटन

15--श्री ऊदल--

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 3रे शुक्रवार के लिये निर्धारित ता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय विद्युत् गृह के लिये गांव जोड़ी, अनयारा, कुलडमरी की कितनी भूमि कितने किसानों को कब आवंटित की गयी और उसका मुआवजा तथा उनके मकानों, कूपों, बागों आदि का भुगतान किस रेट से और कब किया गया तथा उन्हें बसाने के लिये कहीं 40×60 फिट दो प्लाटों, तीन प्लाटों परिवार के हिसाब से जमीन दी गयी है?

श्री सुनील शास्त्री--

जनपद मिर्जापुर में अनपरा तापीय विद्युत गृह के लिये ग्राम औड़ी, अनपरा, कुलडुमरी में कुल 604 परिवारों की भूमि अध्याप्त की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :--

औड़ी	337-782 हैक्टेर	दिनांक 24-2-79 व 23-6-79 को अध्याप्त की गयी।
अनपरा	595-729 हैक्टेर	दिनांक 24-2-79, 18-5-79, व 30-3-79 को ली गयी।
कुलडुमरी (डिबुलगंज)	294-458	दिनांक 24-2-79, 8-5-79 व 23-6-79 को ली गयी।
	1227-969 है0	

अध्याप्त की गई भूमि का मुआवजा 4500 रु0 प्रति एकड़ की दर से किसानों को भुगतान जुलाई, 1979 से भिन्न-भिन्न तिथियों में किया गया है। मकान और कूपों का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा तथा बागों का मूल्यांकन जिला उद्यान अधिकारी द्वारा कराकर उनका प्रतिकर वितरण किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट द्वारा विस्थापित 604 परिवारों में से 512 परिवारों को 1 से 8 सदस्य के परिवार को 40×60 का एक प्लाट और 9 से 20 सदस्य के परिवार को 2 प्लाट तथा 20 से अधिक सदस्य के परिवारों को 3 प्लाट के हिसाब से कुल 568 प्लाट ग्राम कुलडुमरी (डिबुलगंज) में आवंटित करके बसाया गया है।

गांव हिम्मतपुर व कुचिया परगना भदोही, जिला वाराणसी में आराजी नं0 91 की चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 का प्रकाशन

16--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हिम्मतपुर में चक बगुलचया, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आराजी 91, रकबा 4 बीघा बुद्धि राम पुत्र सनकू गड़ेरिया की थी जो चकबन्दी में चैक नं0 309 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा 15 धुर हो गया है? यदि हां, तो चकबन्दी कब हुई और क्या यह सत्य है कि उक्त गांव का धारा 52 प्रकाशन सन् 77 में हो गया है?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम हिम्मतपुर बकुचिया परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी में आराजी नं0 91 क्षेत्रफल 2 बिस्वा 15 धूर श्री जैराम पुत्र राम चरन के नाम अंकित है। आराजी संख्या 91 रकबा 4 बीघा श्री बुधि राम सनकू गडेरिया के नाम अंकित नहीं है। बुधिराम पुत्र सकतू के नाम चक संख्या 91 अंकित है जिसकी जोत का मूल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा 14 धुर अंकित है, बिसमें 1 बिस्वा 17 धुर चकबन्दी के बाहर तथा 5 बीघा 17 धुर चकबन्दी के अन्दर है।

चक संख्या 309 ग्राम में नहीं है। नई गाटा संख्या 309 है जो 3 बीघा 18 बिस्वा 15 धूर नई खतौनी आकार पत्र 45 में बुधिराम पुत्र सकतू के नाम खाता संख्या 79 में अंकित है तथा पत्रावली संख्या 324 पर उपलब्ध चकबन्दी अधिकारी का आदेश दिनांक 29-12-69 जिसका अमलदरामद तहसील ज्ञानपुर में नामांतर वहीं नम्बर 8, पृष्ठ 301 क्रमांक 6 पर दिनांक 21-12-78 को अंकित हुआ कि चक संख्या 91 के द्वितीय चक आराजी नम्बर 354 आदि रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा 15 धूर से बुधिराम पुत्र सकतू दर्ज खातेदार का नाम खारिज होकर शमीम अहमद व नईम अहमद व मोईन अहमद -पुत्रगण-विसमिल्ला व विसमिल्ला पुत्र गफूर नि0 ग्राम का नाम बतौर बैदार भूमिधर दर्ज हो। आकार पत्र 41 में गाटा संख्या 354 अंकित वाले चक का नया नम्बर 309 रकबा 3-18-15 अंकित है।

चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत उक्त ग्राम का प्रख्यापन होने के उपरान्त चकबन्दी कार्य दिनांक 4-5-1964 को प्रारम्भ किया गया था तथा उक्त अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन विज्ञप्ति संख्या 2238/जी0-244-1963, दिनांक 2-5-1977 द्वारा हो चुका है।

जनपद फैजाबाद के रामपुर बनेथू ग्राम में हरिजनों को पट्टाशुदा जमीनों पर कब्जा न दिलाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

17--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद अकबरपुर तहसील के रामपुर बने ग्राम में हरिजनों को पट्टा शुदा जमीनों पर कब्जा न दिलाए जाने के सम्बन्ध में जनता पार्टी के

भू0पू0 एम0एल0ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 7–9–81 का शिकायती पत्र ग्राम रामपुर बनेथू के हरिजनों के मूल प्रार्थना-पत्र के साथ शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर बनथू निवासी सर्वश्री बरसाती, मूडे व भगवानदीन नें यह शिकायत की थी कि 1976 में उन्हें उक्त ग्राम में आवंटित बन्जर भूमि, गाटा सं0 49 का पट्टा दिया गया था किन्तु एक,श्री राम नरेश सिह व उनके लड़के ने उक्त भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ।

मौके पर जाचोपरान्त सीमांकन कर के प्रार्थीगण का पुन:कब्जा दिला दिया गया । किन्तु श्री राम नरेश सिह ने कब्जे में अवरोध पैदा किया जिस पर उनके विरुद्ध दिनांक 9-12-81 को थाना अकबरपुर में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198–क के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई । फलस्वरूप अभियुक्त, श्री राम नरेश गिरफ्तार कर लिया गया व उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद में ग्राम अरई में चकबन्दी अधिकारी के स्तर से अधिकांश मुकदमों का निस्तारण हुए बिना चक काटा जाना

18—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के सुरहुपुर परगना में ग्राम अरई में चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर अधिकांश मुकदमों का निस्तारण हुए बिना ही चक काट दिये गये हैं ? क्या इस बारे में जनता पार्टी के भूतपूर्व एम0एल0ए0 तथा भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का जिलाधकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 29–1–81 का शिकायती पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत एक ही परिवार के खातों के विभाजन एवं उनके अंश निर्धारण संबंधी वाद संख्या 13552 जिसमें 13 अन्य बाद पत्रावलियां सम्मिलित थी, विचाराधीन था । अन्य कृषकों के हितों का ध्यान रख कर एवं उनके प्रार्थना पत्र पर चक सृजन करा दिया गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का कथित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

सर्वे कानूनगो की पदोन्नति की निरस्तिकरण

19—श्री नन्दकिशोर सिह तथा श्री कुबेर भण्डारी

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्यामदेव सर्वे लेखपाल के आवेदन-पत्र दिनांक 30–4–81 पर जिलाधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 24–5–81 को आदेश पारित कर 6 सर्वे कानूनगो की पदोन्नति को निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील

सूचना एकत्र की जा रही है।

20—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

परगनाधिकारी, टांडा द्वारा निजी भूमि पर लगे व्यक्तिगत नलकूप को हटाये जाने हेतु कार्यवाही

21—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पारसनाथ ग्राम कौडाही, परगना बिडहा, तहसील टांडा, जिला फैजाबाद की निजी भूमि नम्बर 2009/1 रकबा 7 बिस्वा 10 धूर में लगे व्यक्तिगत नलकूप को दिनांक 28 जून, वर्ष 1981 को परगनाधिकारी, टांडा (श्री हीरालाल गुप्त) ने जरिये पुलिस फोर्स के उखड़वा दिया है और उखाड़े गये पाइपों को भी उठा ले गये हैं? यदि हां, तो निजी भूमि पर व्यक्तिगत लगे नलकूप को उखाड़े जाने का क्या कारण था? उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि जिस भूमि पर श्री पारसनाथ नलकूप की बोरिंग कराना चाहते थे नलकूप लगा नहीं था—वह उनकी निजी भूमि संख्या 2009/1 न होकर, गांव सभा की सम्पत्ति, ऊसर भूमि नं 0834/2 है जिस पर ताजिया रखा जाता है व दशहरे का मेला भी लगता है। श्री पारसनाथ के उक्त अनधिकृत कब्जे से ग्राम में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था। अतः उक्त गांव सभा भूमि से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु संबंधित परगनाधिकारी द्वारा पुलिस के माध्यम से वांछित कार्यवाही करनी पड़ी। किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कुन्डा, तहसील मेरठ में अनियमित रूप से आवंटन संबंधी पत्र

22—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-11-80 का ग्राम कुन्डा तहसील मेरठ में कुछ लोगों को अनियमित रूप से आवंटित की गई भूमि के आवंटन को निरस्त करने, उस ग्राम के भूमिहीनों को आवंटित करने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री महोदय यह अवैध आवंटन निरस्त करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम कुण्डा, तहसील मेरठ में अनियमित रूप से आवंटन संबंधी माननीय विधायक का दिनांक 23-11-80 का राजस्व मंत्री जी को सम्बोधित कोई पत्र प्राप्त प्रतीत नहीं होता है। अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गांव डंगहर, वाराणसी में भूमि आवंटन में धांधली के संबंध में पत्र

23—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव डंगहर, ब्लाक सुरियांव, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के 12 हरिजनों ने भूमि आवंटन के सम्बन्ध में की गयी धांधली के खिलाफ 2-12-77 को जिलाधीश, वाराणसी को पत्र दिया था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। उक्त प्रार्थना पत्र पर जांच उपरान्त ज0 वि0 अधि0 की धारा 198(4) के अन्तर्गत पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही ए0 डी0 एम0 (वित्त) के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें शेष सम्पूर्ण शहादत हेतु अन्तिम मौका 17–3–82 को दिया गया है।

गांव सभा, डगरही, जिला वाराणसी में आराजी नं0 83 तालाब क पट्टे का आवंटन की निरस्ति

24—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा चकहर कैश गांव सभा डगहरी, ब्लाक सुरियांवा, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी, में आराजी नं0 83 तालाब व आराजी नं0 85 का आवंटन किया गया है? क्या यह सही है कि ए0 डी0 एम0, वाराणसी ने 21–8–79 को तालाब का पट्टा निरस्त कर दिया है?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। यह भी सही है कि आराजी नम्बर 83 तालाब का पट्टा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय द्वारा दिनांक 21–8–79 को उक्त भूमि को तालाब मानते हुए तथा यह मत व्यक्त करते हुए कि तालाब का सीरदारी पट्टा नहीं दिया जा सकता, आवंटन निरस्त कर दिया।

25—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

गांव सभा, देवराई, जिला वाराणसी में गांव सभा की जमीन पर अनधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

26—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवसभा देवराई, परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में चकबन्दी द्वारा छोड़ी गयी सड़क व उसके किनारे गांव सभा की जमीन को कुछ लोगों द्वारा अपने चकों में मिला लेने के सम्बन्ध में पारस नाथ व शिव शंकर, गांव देहेराई, का प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने तहसीलदार, वाराणसी को 14 मई, 1981 को दिया है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां,

सर्वश्री पारसनाथ तथा शिवशंकर का प्रार्थना पत्र माननीय सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 14–5–81 के साथ तहसीलदार वाराणसी को दिनांक 21–5–81 को दिया था जिसमें गांव सभा सम्पत्ति पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आबादी, चौतरा, मडई आदि सार्वजनिक मार्ग पर रखकर पिन्डा सराय ग्राम को जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर देने की शिकायत व उस मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने की मांग की गई थी। इस शिकायत पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार पर्यवेक्षक कानूनगों एवं लेखपाल से स्थल पर जांच कराई गई। माननीय सदस्य के समक्ष उसका सीमांकन करा दिया गया था। जांच में कुल 44 व्यक्ति अनधिकृत कब्जा में पाये गये थे जिनमें 6 व्यक्ति मकान आदि बनाकर तथा 38 व्यक्ति कृषक रूप से काबिज थे उनसे अपना अनधिकृत कब्जा तुरन्त हटाने को निर्देशित किया गया था। दो व्यक्तियों के अलावा किसी ने कब्जा नहीं हटाया। फलस्वरूप 42 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 122 बी के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

गांव सभा देवराई, जिला वाराणसी में पिंडरा–देवराई सराय मार्ग की भूमि निकलवाने संबंधी पत्र

27–श्री ऊदल––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक पत्र प्रश्नकर्ता ने 3–4 माह पूर्व तहसीलदार वाराणसी को गांव सभा देवराई, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी के बारे में तथा एक परगनाधीश उत्तरी वाराणसी को भी दिया है कि गांव की जमीन जो पिंडरा देवराई सराय मार्ग की है उसे निकलवाया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील––

ऐसा कोई पत्र जांच कराने पर तहसील कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

इल्तफातगंज, ब्लाक टांडा के फीडर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर बदल कर हाई पावर ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में कार्यवाही

28––श्री मित्रसेन––

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र श्री डी0 पी0 एन0 वर्मा, सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध) विद्युत् वितरण मंडल फैजाबाद को दिनांक 1–10–81 को प्राप्त हुआ है जो इल्तफात गंज ब्लाक टांडा के फीडर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर बदल कर हाई पावर ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में था ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी क्या यह सही है कि इल्तफातगंज में मात्र 160 के0वी0ए0 दक्षता का ट्रांसफार्मर लगाया गया है जबकि वहां पर 250 के0वी0ए0 दक्षता के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है ? यदि हां, तो ऐसा न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री––

जी हां, कथित विषय पर प्रश्नकर्ता का दिनांक 28–9–81 का पत्र श्री डी0पी0एन0 वर्मा, सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध) विद्युत् वितरण मंडल, फैजाबाद को दिनांक 1–10–81 को प्राप्त हुआ था।

उक्त पत्र का उत्तर प्रश्नकर्ता को सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध) फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 14-10-81 द्वारा यह अवगत करा दिया था कि इल्तफातगंज ब्लाक टाण्डा, फैजाबाद के उप विद्युत् गृह पर 160 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगा है जिसे 250 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर से बदलने की आवश्यकता है तथा चूंकि 250 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर अकबरपुर डिवीजन में उपलब्ध नहीं है। अतः अधिशासी अभियन्ता, अकबरपुर को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं कि वह उपरोक्त क्षमता का ट्रांसफार्मर निकटवर्ती किसी दूसरे डिवीजन से प्राप्त कर उक्त 160 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को बदल दें।

इल्तफातगंज में मात्र 160 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, क्योंकि उक्त ट्रांसफार्मर लगाने के समय उस क्षेत्र में केवल 160 के0वी0ए0की ही आवश्यकता थी। धीरे-धीरे उपभोक्ताओं के बढ़ने पर 250 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर की अब आवश्यकता हुई है, जिसे प्राप्त करके लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

टाण्डा तापीय परियोजना के अन्तर्गत निर्बन्धित फर्मों की संख्या तथा कराया गया कार्य

29––श्री जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री शेरबहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली––

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद में कितनी फर्में रजिस्टर्ड हैं और उनके स्थायी व अस्थायी पता क्या है ? विभिन्न फर्मों से अलग-

अलग कितनी धनराशि का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि बाहर की फर्मों से ज्यादा कार्य कराया गया ? यदि हां, तो क्यों।

श्री सुनील शास्त्री--

टाण्डा तापीय परियोजना के अन्तर्गत मे निकल प्लांट इरेक्शन सर्किल सीमित निविदाओं के आधार पर कराये जाने वाले कार्यों के लिये निबन्धित फार्मों की संख्या 140 (एक सौ चालीस) है, जिनके नाम पत्राचार के पते संलग्न सूची--1 में दर्शाये गये हैं। फर्मों के निबन्धन के पश्चात् दिनांक 1-9-1980 से 31-12-1981 की अवधि में इनको दिये गये कार्यों की अलग-अलग धनराशि का विवरण संलग्न सूची-2 में दिया गया है। इनके अतिरिक्त बाहर की फर्मों से भी कार्य कराया गया है। इसका कारण यह है कि सीमित निविदाओं के आधार पर कराये जाने वाले कार्यों के लिये, निविदा पत्र निबन्धित फर्मों को भेजे जाने के अतिरिक्त इसकी एक प्रतिलिपि परियोजना से संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाती है, ताकि प्रश्नगत कार्य के लिये अधिक से अधिक तुलनात्मक दरें प्राप्त हो सकें। तत्पश्चात् प्राप्त निविदाओं को निर्धारित तिथि व समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जाता है तथा न्यूनतम दर " क्वोट" करने वाली फर्म को कार्य दिया जाता है जो परिषद् के हित में है।

[देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ 650 पर]

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर के बन्दोबस्त सोयम में अंकित क्षेत्रफलों तथा खेवटों में अन्तर

30--श्री दीपनरायन वन महन्थ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के बन्दोबस्त सोयम तथा 1359 फ0 के खाता संख्या 1 व 2 आला में कितना-कितना क्षेत्रफल अंकित है तथा बन्दोबस्त सोयम में अंकित क्षेत्रफलों में तथा 1359 फ0 के खेवटों में अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है।

ग्राम फुन्दनपुर जिला सुल्तानपुर में फातमा जमीन्दारी होने पर प्रतिकर का भुगतान

31--श्री दीप नरायन वन महन्थ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फुंदनपुर मोहाल पोख्तादारी, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खातमा जमीन्दारी होने पर उनके मालिकान आला की संख्या क्या थी और प्रत्येक को जमीन्दारी प्रतिकर कितना दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम फुन्दनपुर, परगना जगदीशपुर मे खेवट 1359 व 1362 फसली में पोख्तेदारी मोहाल में किसी मालिकान आला का उल्लेख नहीं है बल्कि पोख्तेदार का उल्लेख है जो मध्य-वर्तियों की एक श्रेणी थी। एक पोख्तेदार श्री प्रताप नारायण पुत्र लक्ष्मन प्रसाद का ही इस गांव के खेवट में उल्लेख है जिसको रुपया 225-7 आने-9 पाई में प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है।

श्री फकीर बक्श, सहायक वासिल बाकी नवीस, जिला हरदोई द्वारा गबन किए जाने के संबंध में विभागीय जांच

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री फकीर बक्श, सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील संडीला, जिला हरदोई द्वारा गबन किए जाने के संबंध में कोई विभागीय जांच चल रही है ? जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन तहसीलदार सण्डीला श्री बी0 एम पांडे ने थाना, सण्डीला में दिनांक 19 मार्च, 1981 को दर्ज कराई थी ? उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। विभागीय जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

तत्कालीन तहसीलदार संडीला श्री बी0 एम0 पाण्डेय द्वारा श्री फकीर बक्श, सहायक वासिल बाकी नवीस तहसील संडीला के विरुद्ध थाना सण्डीला में दिनांक 19 मार्च, 1981 को अपराध संख्या-73 सन् 1981 धारा-409 भा0दं0वि0सरकार बनाम फकीर बख्श दर्ज कराई गई थी। इसकी तफतीश पुलिस द्वारा की जाकर मामले में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 तिलहर, शाहजहांपुर में जी0एम0 से लेकर लेबर तक सेवारत कर्मचारी तथा पिछड़े वर्ग, मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति

33—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 तिलहर शाहजहांपुर में जो इस वर्ष चलना प्रारम्भ हुई है, वर्तमान समय में जी0एम से लेकर लेबर तक कुल कितने लोग सेवारत हैं ? इन समस्त सेवारत पदों पर हरिजन कितने हैं पिछड़े वर्ग के कितने-कितने लोग हैं ? क्या यह सही है कि पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की कम नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिये पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की नियुक्ति करेगी !

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उ त चीनी मिल में प्रधान प्रबंधक से लेकर श्रमिकों तक कुल 720 लोग कार्यरत हैं इनमें हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या क्रमश: 60 तथा 231 है। मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के लिये अलग से कोई आरक्षण निर्धारित नहीं है, वरन् पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची में मुस्लिम सम्प्रदाय की कुछ जातियां भी सम्मिलित हैं। मिल में कार्यरत कुल कर्मचारियों में पिछड़ी जाति के लोगों का प्रतिशत 32 है इनमें मुस्लिम सम्प्रदाय के 56 व्यक्ति शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मुस्लिम सम्प्रदाय के 81 अन्य कर्मचारी भी कार्यरत हैं। अत: मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की अतिरिक्त नियुक्तियों की विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता तथा इस मिल में कार्यरत सभी पदों को मिलाकर पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या निर्धारित प्रतिशत से अधिक ही है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर पर गन्ना सहकारी समिति, शाहजहांपुर के कृषकों की बकाया धनराशि

34—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जनपद शाहजहांपुर में गन्ना सहकारी समिति शाहजहांपुर के कृषकों का रु0295211.17 वर्ष 1978-79 का गन्ना मूल्य दि किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर पर बकाया है ? यदि हां, तो उसका भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया है और यह भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वर्ष 1978-79 का रु0 2,95,211.17 पैसे का गन्ना मूल्य गन्ना सहकारी समिति शाहजहांपुर, दि किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर पर बकाया बताती है। चीनी मिल का यह कहना है कि उसने यह धनराशि अंशपूंजी तथा एन0 आर0 डी0 में समायोजित कर ली है। मामले का परीक्षण कराया जा रहा है।

जनपद जौनपुर के ग्राम भाऊपुर एवं बीवनमऊ, इजरी में चकबन्दी के दौरान फर्जी इन्दराज को ठीक कराने के आदेश

35--प्रभुनारायण सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के बीवनमऊ बजरी और भाऊपुर गांवों में चकबन्दी के दौरान भूमि अभिलेखों में परिवर्तन करके कुछ लोगों के नाम फर्जी इन्द्राज करके ग्राम समाज की भूमि का स्वामित्व दे दिया गया है? क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम भाऊपुर एवं बीवनमऊ में चकबन्दी के दौरान कोई फर्जी इन्द्राज नहीं हुआ, परन्तु ग्राम बीवनमऊ के धारा 52(1) के प्रख्यापन के बाद तथा अभिलेख माल अभिलेखागार में जमा हो जाने के बाद अभिलेखों में कुछ फर्जी इन्द्राज किये गये। गलत इन्द्राजों को ठीक कराने तथा इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के आदेश दिये गये हैं।

ग्राम इजरी के अन्तिम अभिलेखों के जिल्द बन्दोबस्त गायब होने के कारण फर्जी इन्द्राजों की जानकारी नहीं हो सकी।

जनपद बहराइच, ग्राम सभा कीर्तनपुर की भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम

36--श्री मोहन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच, तह0 कैसरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कीर्तनपुर में ग्राम समाज की लगभग 12 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सन् 1976 में सम्पन्न कराया गया और उस का उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय (श्री एम0 चेन्ना रेड्डी) ने किया? क्या यह भी सही है कि बाग न लगे होने तथा उस जमीन पर अनधिकृत रूप से श्री बाबू लाल तिवारी, उपरोक्त निवासी ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत श्री कन्धई लाल, निवासी मो0 बशीरगंज, थाना कोतवाली, नगर, जनपद बहराइच ने माननीय मुख्य मन्त्री, पंचायत राज मन्त्री, जिलाधिकारी बहराइच, पुलिस अधीक्षक, बहराइच को दिनांक 10-9-80 को रजिस्टर्ड भेजी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज के ग्राम सभा कीर्तनपुर की 7 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कार्य का उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री एम0 चेन्ना रेड्डी द्वारा दिनांक 16-10-75 को किया गया था। उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये वृक्षों की समुचित सुरक्षा न की जा सकी जिससे अधिकतर वृक्ष या तो सूख गये या पशुओं द्वारा नष्ट कर दिये गये। भूमि जिस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था अब भी परती पड़ी है। इस भूमि पर श्री बाबूराम तिवारी का कब्जा नहीं है। जहां तक श्री कन्धई लाल निवासी बशीरगंज के प्रार्थना-पत्र की बात है उसकी जांच की गई है और उसमें अंकित तथ्य निराधार पाये गये।

ग्राम बिगराऊ, जनपद बुलन्दशहर में हरिजनों को आवासीय भूमि के पट्टों पर कब्जा

37--श्री छत्तर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बिगराऊ, परगना स्याना, जनपद बुलन्दशहर के हरिजनों को जो आवासीय पट्टे सन् 1976 में मिले थे, उन पर आज तक हरिजनों को कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ? क्या शीघ्र कब्जा दिलवाने की कार्यवाही पूरी की जायगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सन् 1976 में ग्राम बिगराऊ, परगना स्याना, जनपद बुलन्दशहर में हरिजनों को आवासीय भूमि के कोई पट्टे नहीं दिये गये। अतः कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

मुहाफिज खाना, माल तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ से एक मुकदमे के संबंध में मांगी गयी नकल में विलम्ब

38--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 24-6-81 को एक नकल सवाल मुहाफिज खाना, माल तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में क्रम संख्या 433 पर उमराई बनाम रामकली, निवासी ग्राम दासीनवारा, परगना मोहनलालगंज व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ दिया गया ? यदि हां, तो उसकी नकल अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जो हां। जिस आदेश की नकल मांगी गयी है उससे संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक अन्य पत्रावली में वांछित आदेश उपलब्ध हैं जिससे प्रार्थी को नकल जारी की जा रही है।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के घाघरा नदी के भराव वाले क्षेत्रों में मालगुजारी की माफी

39--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत गत वर्ष घाघरा नदी के भराव से प्रभावित जमीन के लगान में छूट दी गयी थी परन्तु अब समाप्त कर दी गयी है जबकि पानी बाढ़ से सारी जमीन प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित जमीन के लगान में छूट प्रदान करेगी !

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के घाघरा नदी के भराव वाले 19 ग्रामों (सूची संलग्न) की गत वर्ष की खरीफ 1387 फसली की मालगुजारी माफ की गयी थी। यह माफी समाप्त नहीं की गयी। इस वर्ष 1981-82 में भी बालू पानी के भराव वाले क्षेत्र की खरीफ 1388 फसली की मालगुजारी में छूट प्रदान करने की कार्यवाही नियमानसार चल रही है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 558 पर।)

तहसील सदर में मजिठिया बंधुओं के नाम से अंकित भूमि में खेती

40--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि तहसील सदर में मजिठिया बन्धुओं के नाम से अंकित भूमि में से इस समय कितनी भूमि हवाई अड्डा, डेयरी फार्म, कुक्कुट पालन, खेल मैदान, गन्दे पानी स्टोर, ट्रस्ट आदि के रूप में दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि इनकी फर्जी ढंग से दिखलाकर इस पर खेती कराई जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उत्तर के लिये अभी भी सामग्री एकत्रित की जा रही है।

तहसील मुहम्मदाबाद स्थित बढुआ-काझा मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

41--श्री खैरुल बशर--

क्या सरकार कृपया बतलाने की कृपा करेगी कि उसने अपने राजस्व विभाग-2 पत्र संख्या 2864-4 (31) 75, रा0 अनु0-2, दिनांक 22-11-75 के द्वारा श्री राम सुमेरलाल, 283, मुशीपुरा मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ को उनके ग्राम रकवारडीह के तहसील मुहम्मदाबाद स्थित भूमि जो बढ़वा-काझा मार्ग में ले ली गयी उसको प्रतिकर देने के लिये उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ? यदि दिया था, तो सरकार के संबंध में भूमिधरों को त्वरित प्रतिकर भुगतान करने के आदेश के बावजूद भी उनको अभी तक प्रतिकर का भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील--

राजस्व अनुभाग-2 का संदर्भित-पत्र दिनांक 22-11-75 नियमानुसार नष्ट (वीड आउट) किया जा चुका है।

जांचोपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि तहसील मुहम्मदाबाद स्थित बढुआ-काझा मार्ग के निर्माण हेतु किसी भूमि का अर्जन नहीं किया गया है । अतः प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

42--श्री भगवती प्रसाद सिंह विशारद--

(29-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 127 द्वारा उत्तरित)

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (कोटा) शक्ति नगर, जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत विस्थापित परिवारों को नौकरी दिये जाने का प्राविधान

43--श्री विजय सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर में निर्माणाधीन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (कोटा) शक्तिनगर में कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ? विस्थापित परिवारों में से कितनों को उक्त परियोजना में नौकरी दी गयी है ? तथा इनमें कितने अनुसूचित जाति के सदस्य हैं ? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना में विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ?

श्री सुनील शास्त्री--

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (कोटा) शक्ति नगर जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत कुल 636 परिवार विस्थापित हुए, इन 636 विस्थापित परिवारों में से अब तक कुल 138 व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है और इनमें से 77 व्यक्ति अनुसूचित जाति के विस्थापित परिवारों के सदस्य हैं।

परियोजना के अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जैसे जैसे नौकरी के लिये पद रिक्त होंगे प्रत्येक विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार प्राथमिकता के आधार पर, प्रोजेक्ट में नौकरी देने का प्राविधान किया गया है ।

जनपद मिर्जापुर में निर्माणाधीन अनपरा तापीय परियोजना में विस्थापित परिवारों को बसाने का जीविकोपार्जन हेतु दिये गये कार्य

44---श्री विजय सिंह---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में निर्माणाधीन अनपरा तापीय परियोजना में कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ? उनमें से कितनों को उक्त परियोजना में नौकरी दी गयी ? विस्थापित परिवारों को बसाने व उनको जीविकोपार्जन हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की हैं ?

श्री सुनील शास्त्री---

जनपद मिर्जापुर में निर्माणाधीन अनपरा तापीय परियोजना द्वारा कुल 604 परिवार विस्थापित हुए हैं । इन विस्थापित परिवारों में से 2 व्यक्तियों को प्रोजेक्ट में नियमित सेवा में तथा 52 व्यक्तियों को ठेकेदारों के माध्यम से सेवा में रखा गया है । उक्त 604 विस्थापित परिवारों में से 512 परिवारों, को 568 प्लाट उन्हें बसाने हेतु पूर्णरूप से समतल कराकर आवंटित किया गया है ।

विस्थापित परिवारों के 54 व्यक्तियों को प्रोजेक्ट में सेवा में रखा गया है और 8 व्यक्तियों को उनके जीविकोपार्जन हेतु दुकानें आवंटित की गई हैं । इसके अतिरिक्त हटाये गये लगभग 150 विस्थापित परिवारों को उनके कथनानुसार 800 टिन शीट उस समय तक के लिये जब तक कि उनके मकान न बन जायें, उधार के रूप में दिया गया है । कुछ विस्थापित परिवारों को प्रोजेक्ट के अन्दर उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार छोटे-छोटे ठेके का भी कार्य दिया गया है ।

सुखराज सभापति, रामचन्द्र पुत्र फौजदार तथा लालू ग्राम, परसिया मिसकारी जिला देवरिया आदि के विरुद्ध कथित भूमि पर कब्जा करने संबंधी मामले

45---श्री नन्द किशोर सिंह---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखराज सभापति, रामचन्द्र, पुत्र फौजदार व लालू पुत्र, उमराव, ग्राम परसिया मिसकारी, पो0 एवं जिला देवरिया के विरुद्ध न्यायालय में गांव सभा की जमीन संख्या 195/30 डिसमिल पर कब्जा करने हेतु वाद प्रस्तुत हुआ था, जिसमें उन लोगों को सजा भी हो चुकी थी ? यदि हां, तो क्या उन लोगों ने उपरोक्त जमीन से कब्जा हटा लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील---

श्री लालू आदि के विरुद्ध अतिरिक्त जिला जज के न्यायालय में एक वाद गाटा संख्या 195/तीस डिसमिल पर कब्जा करने के लिये चला था । दिनांक 31-3-75 को निर्णयानुसार इन लोगों को सजा से मुक्त कर दिया गया तथा काबिज भूमि पर इनका स्वामित्व माना गया । तभी से इनका कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है ।

तहसील ज्ञानपुर के कर्मचारियों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के बारे में शिकायती-पत्र

46—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्यामधर मिश्र तत्कालीन सभापति, लोक लेखा समिति, उ0 प्र0 ने अपने पत्र संख्या 896, 79, दिनांक 10-10-79 के साथ श्री विश्वनाथ शर्मा, संयोजक तहसील किसान सभा, ज्ञानपुर, वाराणसी का 8-10-79 का प्रार्थना-पत्र तहसील ज्ञानपुर के कर्मचारियों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के बारे में संलग्न करके मुख्य मंत्री को भेजा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है।

भूतपूर्व सैनिक श्री मनोहर लाल भारद्वाज, लखनऊ का भूमि आवंटन के संबंध में प्रार्थना-पत्र

47—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनोहर लाल भारद्वाज पुत्र, श्री दुर्गा दास, मकान 3, गोपीनाथ बिल्डिंग न्यू हैदराबाद लखनऊ भूतपूर्व सैनिक को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 29-1-81 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न का प्रथम भाग:—

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग:—

मामले में जांच कराई गई। चूंकि प्रार्थी, मनोहर लाल भारद्वाज उजरियांव मंडल के निवासी नहीं है, वे नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची में नहीं आते। अतः उन्हें भूमि आवंटन सम्भव नहीं हो सका।

सदन को स्थगित किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 301 की सूचनायें, श्री प्रभूनारायण सिंह।

श्री प्रभू नारायन सिंह—

जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर (व्यवधान)

श्री फखरे आलम—

[× × × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

फखरे आलम साहब, आप बैठ जाए। जो कुछ आप बिना आज्ञा बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा। आप बैठ जायें।

[× × × ×]

नोट:—[XXX] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री फखरे आलम---

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

श्री फखरे आलम---

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइये ।

श्री फखरे आलम---

[× × × x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं खड़ा हूं । आप बैठ जाइये । बाजपेयी जी, आप भी बैठ जाइये । सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं । फखरे आलम साहब, बैठ जाएं । आप बिलकुल मेरी प्रार्थना को नहीं मान रहे हैं, हुकुम को क्या मानेंगे..... (व्यवधान) जो फखरे आलम साहब बोलेंगे कुछ लिखा नहीं जाएगा । (श्री फखरे आलम के बोलते रहने पर) आप बोलें जब तक बोलना चाहें ।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये । सुन लें, एक मिनट आप सुन लें, एक मिनट शान्त रहें (फखरे आलम के फिर खड़े होने पर) आप बैठे जाएं, मुझे सुन लें ।

श्री फखरे आलम---

श्रीमन, आप मेरा प्रोटेक्शन करें, मेरा संरक्षण करें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप कृपया शान्त रहें । जब कभी कोई नया सदस्य आया हो, जो इस सदन की परम्पराओं से पूर्ण रूप से अवगत न हो, उसके द्वारा यदि ऐसी कोई बात होती है ..... (व्यवधान) ... मैं हमेंशा यह अपेक्षा करता हूं और मुझे कभी इस बात का कष्ट नहीं होता है यदि कोई नया आया हुआ सदस्य, जिसे ठीक से सदन की परम्पराओं का ज्ञान न हो, ऐसा व्यवहार करें । मैं उसको इस तरह से ग्रहण करता हूं कि वह माननीय सदस्य धीरे-धीरे अपनी ओर से सदन की गरिमा के अनुसार आचरण करेगा, उससे अवगत हो जाएगा । मुझे बड़ा दुखः हुआ है जब मैं ऐसी परिस्थिति

नोटः---[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष]

में पड़ा हूं कि सदन ठीक ढंग से नहीं चला है। तो उस समय मैंने नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से निवेदन किया था और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने उस समय सदन को ठीक से चलाने में पूरा सहयोग दिया है। इस सदन का सबसे बड़ा विरोधी दल लोकदल है और उसके बाद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का दल है और आप (श्री फखरे आलम) उसके नेता है। मेरे प्रार्थना करने पर, बार-बार कहने पर, सब कुछ कहने पर, आप इस तरह से खड़े हो कर, कह रहे हैं, ... (व्यवधान)। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने दल के नेता की तरह से व्यवहार करें।

(व्यवधान)

(श्री फखरे आलम फिर खड़े होकर व्यवधान के मध्य कुछ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं।

(श्री प्रभू नारायण सिंह का नाम पुनः पुकारे जाने और श्री श्याम लाल वाजपेयी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

मैं माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल, दोनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी-अपनी ओर के माननीय सदस्यों को रोकें। अगर वे इसके इच्छुक नहीं है कि सदन चले तो इस बात को प्रकट कर दें, मैं सदन को स्थगित करके चला जाऊंगा?

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, इस सदन को चलाने में जिस सहयोग की आपने शासन पक्ष की ओर से अपेक्षा की है, शासक दल भरपूर इस मामले में आपकी सहायता करेगा। यह सदन सारे प्रदेश के अधिष्ठान में मत और सम्मत का घर है मकान है और इसके उज्जवल और गरिमामय इतिहास का जो क्रम है, मैं यह आशा करता हूं कि विरोधी दल के लोग भी उसका पालन करेंगे। जब आप खड़े हों, मैं अपनी ओर से कहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में यह है कि जब आप बैठ जायं तभी माननीय सदस्य खड़े हों और जब आप खड़े हों तो हम लोगों को बैठ जाना चाहिये। मान्यवर, मैं और मेरा दल आपको इस सहयोग के लिए वचन देता है।

जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिक्षकों द्वारा धरना देने की धमकी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 27 मिनट से)

*श्री प्रभूनारायण सिंह--

मान्यवर, जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर के कार्यालय में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर इस जिले के शिक्षक आज दिनांक 26 फरवरी, 1982 को धरना देने जा रहे हैं। जिले में विभागीय नियमों की अवहेलना करके कुछ विद्यालयों में मनमाने ढंग से शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन काट लिये जा रहे हैं। पदोन्नतियों में वरिष्ठता की उपेक्षा की जा रही है। जनपद के विभिन्न विद्यालयों में सैकड़ों शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पद वर्षों से रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर इतने दिनों से स्थायी या अस्थायी नियुक्ति न होने से छात्रों के पठन-पाठन में घोर व्यवधान उपस्थित हो गया है। शिक्षा संहिता की धारा 176

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व 177 के अनुसार विद्यालयों के मेधावी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान उन्हें वर्षों से नहीं किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षकों को अपने प्राविधायी निधि से ऋण प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार से परेशान किया जाता है ।

इस समय जनपद जौनपुर के शिक्षा विभाग के प्राय: सभी क्लर्क और अधिकारी इसी जिले के निवासी हैं और इसी कारण उन्हें कर्तव्यों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्य अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं । पूरे जनपद का शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक इस विभाग की निष्क्रियता से संतप्त है । विद्यालयों के पठन-पाठन में घोर व्यवधान उपस्थित हो रहा है । अवकाश प्राप्त शिक्षकों व कर्मचारियों को उनके पेंशन, प्राविधायी निधि एवं बीमा का धन प्राप्त करने में वर्षों लगा दिये जाते हैं ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि जनपद जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त अनियमितता को तत्काल समाप्त किया जाय । वर्षों से रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायं । शिक्षकों को अनायास परेशान और प्रताड़ित न किया जाय । छात्रवृत्तियों का छात्रों में शीघ्र भुगतान करके उनका असंतोष दूर किया जाय । अवकाश ग्रहण करने वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उनके देय धन का अविलम्ब भुगतान कराया जाय ।

ग्राम अलीपुर मुजफ्फरनगर निवासी श्री मीरजंग को झूठे इनकाउन्टर में मारने वाले दरोगा श्री सर्वेश कुमार को प्रशासन द्वारा संरक्षण दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 29 नवम्बर, 1980 की रात को स्वर्गीय मीरजंग आत्मज श्री सहाबुद्दीन निवासी गांव अलीपुर थाना कैराना जनपद मुजफ्फरनगर को थाना कैराना में नियुक्त तत्कालीन दरोगा श्री सर्वेश कुमार द्वारा झूठा इन्काउन्टर दिखा कर मार दिया गया था । जनता की मांग पर जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा करायी थी । जो जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दी गयी थी मेरी जानकारी के अनुसार उसमें संबंधित दरोगा सर्वेश कुमार मीरजंग की हत्या के दोषी पाये गये हैं ।

इस जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी दरोगा के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय उस रिपोर्ट को जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय दबाये बैठे हैं और दोषी दरोगा को बचाने का कुचक्र किया जा रहा है उक्त कुचक्र से जनमानस में बेचैनी और रोष व्याप्त हो रहा है । मेरे पास कैराना के लगभग 150 हिन्दू, मुस्लिम लोगों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र आया है । इस आवेदन पत्र द्वारा हस्ताक्षरित लोगों ने अपना असंतोष व रोष व्यक्त करते हुए लिखा है कि क्या इस प्रकार किसी मुसलमान को हिन्दुस्तान में रहने का हक मिल सकेगा । अस्तु जनता के असंतोष व रोष को देखते हुए मैं शासन से सानुरोध मांग करता हूं कि शासन संबंधित मामले पर जांच रिपोर्ट के आधार पर अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लक्ष्मी शुगर मिल महोली जिला सीतापुर द्वारा अनुबंधित गन्ने की पेराई न करने से किसानों के समक्ष संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में लक्ष्मी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर क्षेत्र के गन्ना किसानों का संकट के संबंध में सूचना लाना चाहता हूं मिल ने इस सीजन में 25 लाख क्विन्टल गन्ना पेरने का अनुबन्ध किया था परन्तु मिल ठीक से न चलने के कारण अब तक मात्र साढ़े आठ लाख क्विन्टल गन्ना ही पेरा जा सका है। इससे यह स्पष्ट है कि यदि लगातार साल भर मिल चलेगी तो भी अनुबन्धित गन्ना नहीं पेरा जा सकेगा। इसके अलावा बड़ी मात्रा मे बांड भर कर गन्ना पेरने का जो वायदा था उसे पूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मिल वालों ने सट्टे का 20 प्रतिशत की कटौती करने का निश्चय किया तथा अतिरिक्त बांड बिलकुल रद्द कर दिये। इससे किसानों के सामने घोर संकट उत्पन्न है।

मान्यवर, यह आवश्यक है कि क्षेत्र का अनुबन्धित गन्ना तुरन्त दूसरे पड़ोस की मिलों को स्थानान्तरित किया जाये। अभी तक शासन से बार-बार निवेदन करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरी मांग है कि कम से कम 10 लाख क्विन्टल गन्ना तत्काल दूसरे मिलों को स्थानान्तरित किया जाये।

विद्युत् विभाग द्वारा फैजाबाद में "विद्युत् कनेक्शन काटो अभियान" से जनजीवन त्रस्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन काटो अभियान के एक लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुमति से माननीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, विगत एक पखवारे से फैजाबाद मुख्य नगर में विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कनेक्शन काटो अभियान चलाकर जनजीवन को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है।

फलस्वरूप नगर के हजारों विद्युत उपभोक्ता परिवार पानी, रोशनी, खाना तथा अन्य विद्युतीय सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं और सर्व साधारण जनता में गहरा आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। विद्युत कनेक्शन यह कहकर काटे जा रहे हैं कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं के पास विगत पांच वर्षों की विद्युत देय भुगतान की रसीदें नहीं हैं वे बकायेदार हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास भुगतान की रसीदें हैं उनका तो हिसाब किताब ठीक किया जा रहा है और जिनकी रसीदें उपलब्ध नहीं है उन के कनेक्शन यह कहकर काटे जा रहे हैं कि उन्होंने आज तक भुगतान ही नहीं किया है। चूंकि विद्युत विभागों में बिलों के भुगतान के करोड़ों रुपये का भारी पैमाने पर आर्थिक घोटाला किया गया है, इसलिये इस चोरी को छिपाने के लिये विभागीय कर्मचारी रसीदें उपलब्ध न होने का बहाना बनाकर सामान्य जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि बिल भुगतान के पश्चात् रसीदों का पांच वर्षों तक संजोये रखना सम्भव नहीं है।

यदि कोई उपभोक्ता नियमानुसार बिलों का भुगतान नहीं करता तो उनके कनेक्शन तीसरे माह सरचार्ज के साथ भुगतान न करने पर कनेक्शन काट दिये जाते हैं और कनेक्शन के बदस्तूर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बने रहने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है । इस प्रकार जनपद फैजाबाद में विद्युत विभाग द्वारा किये गये करोड़ों रुपये का घपला प्रकाश में आया है । इसको छिपाने के लिये तथा विद्युत विभाग के कर्मचारी अपने अपराध से बच निकलन के लिये कनेक्शन काटो अभियान चलाकर उपभोक्ताओं से भारी पैमाने पर धन की लूटपाट कर रहे हैं और विभाग के उच्चाधिकारी तथा जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है ।

परिणाम स्वरूप सर्व साधारण एवं सामान्य जनता में विभाग एवं शासन के प्रति आक्रोश एव असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी है । अतएव मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर प्रश्न पर सदन एवं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि इस आर्थिक घोटाले तथा जनता के धन की भारी पैमाने पर की गयी चोरी की जांच करायी जाये तथा विद्युत उपभोक्ताओं के कनक्शन काटकर विद्युत सुविधाओं से वंचित न रखा जाय ।

बस्ती जनपद के हरिजन छात्रों को सत्याग्रह से छोड़ने के बाद पुनः गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद की पुलिस निरकुंश, नृशंस व्यवहार हरिजनों के प्रति कर रही है । अभी गत सप्ताह 60 हरिजन छात्रों ने सोढूपुर के काण्ड को लेकर बस्ती में श्री शिव नन्दन प्रसाद, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रदर्शन किया, उन्होंने कोर्ट उठने तक की सजा देकर सबको छोड़ दिया । न्यायालय से बाहर आने पर शहर कोतलाल व उप पुलिस अधीक्षक की साजिश से इन्हें पुनः धारा 151 द0प्र0स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया है । उसमें पोस्ट-ग्रेजुएट व इण्टरमीडिएट तक के छात्र हैं परन्तु किसी को भी उच्च श्रेणी नहीं दी गयी है । छात्रों की परीक्षा भी निकट है । जल में उन्हें यातनायें दी जा रही है इस घटना से बस्ती जनपद के हरिजन छात्रों में घोर रोष असंतोष व्याप्त हो गया है । कभी भी कोई भी विस्फोटक घटना घट सकती है ।

अतः मांग करता हूं कि तत्काल छात्रों को रिहा करक दोषी पुलिस जनों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाय ।

कतिपय विषय

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, फैजाबाद में बुनकरों का कनक्शन जबरियन फर्जी बकाया दिखा कर काटा जा रहा है, इससे बुनकरों को बेहद असंतोष व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष--

फिर दे दीजियेगा ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो व्यवस्था की कोई बात ही नहीं हुई । आप बैठ जाइये । अभी कोई व्यवस्था की बात नहीं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, दो मिनट का समय आप से चाहता हू ।

श्री अध्यक्ष--

आप क्यों दो मिनट का समय चाहते हैं ? कोई व्यवस्था तो आप उठाना नहीं चाहते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । इस तरह से तो सबकी बात मुझको सुनना पड़ेगा, अगर मैंने आपकी बात सुन ली, तो किसी अन्य सदस्य की बात मैं क्यों नहीं सुनूंगा ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मेरी बात अन्य माननीय सदस्यों की बात से अधिक महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे लिये आपकी बात और सभी माननीय सदस्यों की बात बराबर ही महत्वपूर्ण हैं ।

विधान सभा सदस्य श्री गोरेलाल शाक्य के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-- [12 बजकर 38 मिनट]

मेरे पास दो विशेषाधिकार की सूचनायें आई हैं । एक माननीय मित्रसेन यादव की है और दूसरी विशेषाधिकार की सूचना माननीय कुबेर भंडारी, माननीय सरदार सिंह, श्री शंकर सिंह, श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री मुहम्मद आजम खां की है । यह माननीय मित्रसेन यादव जी ने माननीय गोरेलाल शाक्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी है । इसमें उन्होंने सभा की लाबी में श्री शाक्य द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री से कहे गये कुछ शब्दों पर आपत्ति की है और अपनी सूचना के साथ उन्होंने समाचार पत्र की एक कटिंग दी है, जिसमें समाचार पत्र का नाम व दिनांक नहीं दिया गया है और यह सूचना जो है, वह ऐसी है, इसमें कहा गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कोई बात कही लाबी में, कहीं अन्यत्र माननीय गोरेलाल शाक्य ने कुछ कही और जो बात माननीय गोरे लाल शाक्य ने कही, वह ऐसी कही, जिससे सभी माननीय सदस्यों का अपमान हो । किसी लाबी में या किसी के कक्ष में अगर कोई बात सदस्य कहता है या कोई सुनता है.....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, लाबी सदन का हिस्सा है । पार्ट आफ दि हाउस है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, लाबी सदन का एक हिस्सा है ।

श्री मोहन सिंह--

लावी पार्ट आफ दि हाऊस है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जायें ।

श्री राम हर्ष राय--

लावी सदन का एक छोटा हिस्सा है । व्यवस्था (रूलिंग) हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

रूलिंग इन्हीं सदस्यों के लिये होती है । रूलिंग होती है व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था होती है (ओवर रूल होता है) और फिर व्यवस्था होती है ।

श्री मोहन सिंह--

रूलिंग बदलने का अधिकार आपको है, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

हम व्यवस्था (रूलिंग) क्यों बदलें ? आप सुन लें आपकी समझ में आ जायेगा, कुछ देर शान्ति रहना भी लाभदायक रहता है । सदन मात्र इतना स्थान है जहां आप बैठे हैं । सदन के बाहर लाबी और लाबी के बाहर भी कुछ ऐसी जगह है जो हम रे परिसर में है । लावी परिसर का एक अंग है, सदन का नहीं है । परिसर में कुछ विशेष सुविधायें आपको उपलब्ध हैं, लेकिन परिसर में कोई सदस्य अपनी पार्टी के किसी सदस्य से बात कर रहा हो, किसी पार्टी का नेता किसी सदस्य से बात कर रहा हो, क्या बात कर रहा है हम संज्ञान नहीं ले सकते हैं और इस सम्बन्ध में अनेकों बार निर्णय हो चुके हैं कि किसी अखबार की सूचना के आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं लाया जा सकता है और अखबार ऐसा जिसका पता ही नहीं कि कौन सा अखबार है और किस दिन का है । अतः मैं इसको विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री मित्र सेन--

शाक्य जी ने मुख्य मन्त्री को विधायकों का पति कहा है ।

श्रीमती महारानी दोहरे व श्री त्रिवेदी के मध्य घटी घटना के संबंध में विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायें । दूसरी सूचना श्री कुबेर भंडारी सरदार सिंह, शंकर सिंह, श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री मुहम्मद आजम खां ने विशेषाधिकार के अवमानना की दी है । यह लाबी या अपने कक्ष में श्रीमती दोहरे और मुख्य मंत्री के बीच में हुई बात चीत के सम्बन्ध में है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह बनता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सुन तो लें ।

(व्यवधान)

आप बैठ जायं । इस सम्बन्ध में लिखित सूचना आई है और आप लोगों की लिखित सूचना सदन के लिये पढ़ देना चाहता हूं ।

श्री फखरे आलम--

बहुत दुःख हुआ है, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

आप को दुःख तो हुआ है और हम समझते हैं कि जब दुःख का पैमाना अन्तिम सीमा पर पहुंचता है तो आदमी बिल्कुल मौन हो जाता है । अभी आपको इतना दुख नहीं हुआ है । 'दिनांक 25-2-82 को महारानी दोहरे एवं श्री त्रिवेनी राय के बीच हुई अप्रिय घटना को लेकर सदन में विशेषाधिकार की चर्चा पर मुख्य मंत्री ने अपने कक्ष में श्रीमती दोहरे को बुलाकर प्रताड़ित किया, जिससे माननीय सदस्य एवं सदन की अवमानना हुई है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।'

श्री मोहन सिंह--

यह तो बनता है ।

श्री अध्यक्ष--

किस के लिये कहा है किसने कहा है ? नेता अपने सदस्य से बात कर रहा है, अपने कक्ष में बैठ कर बात कर रहा है । मैं इसको विशेषाधिकार के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, महारानी दोहरे के विषय में मैंने लिखा है माननीया सदस्या की अवमानना हुई है, यह सदन की अवमानना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं जब तक हम खड़े हैं आप बैठ जायं । मैं इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है

और इसका प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसरों पर अत्यन्त महत्वपूर्ण ढंग से होना चाहिये। आप जिस आक्रोश को और जिस तथ्य को प्रकाशित करना चाहते हैं, उसके लिये अनेकों अन्य विधायें हैं माध्यम हैं, उन माध्यमों से करें। विशेषाधिकार को इतना कमजोर और छोटा तथा हल्के ढंग में न लें ताकि इसकी महत्ता बनी रहे।

श्री कुबेर भण्डारी--

यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह हम लोगों के अधिकार की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा कर लीजिये कि सूचना देने का नियम यह है कि जो देना चाहते हों, लिखित दे दें, उसके बाद फिर अवसर दूंगा, पढ़ने का, अगर मैं मुनासिब समझूंगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं सूचना शब्द वापस ले रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं। इस सदन के सम्मानित सदस्य मोती लाल देहलवी ने क्या गृहस्थ आश्रम छोड़ कर सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, सन्यासी बन गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न को करने के लिये कितनी बार खड़े हुए और कितनी बार इस सदन की कार्यवाही से हमको हटाकर अन्यत्र काम करने के लिये बाध्य किया है। मैं चाहता हूं कि केवल इस प्रश्न को करने के लिये सदन का जो समय गया है उसके लिये आप आत्म निरीक्षण करें कि यह प्रश्न करने लायक था या नहीं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपकी भावना को आघात पहुंचा मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मान्यवर, मोती लाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं गृहस्थ से सन्यास में चले गये तो मुझे पीड़ा जरूर होगी।

श्री फखरे आलम--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

वह तो समाप्त हो गया।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, दूसरा उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

पहले सूचना सुन लें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

[12 बजकर 50 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने जो निर्णय लिये हैं उसकी सूचना देना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 1982 की बैठक में यह सिफारिश की है कि शनिवार 6 मार्च और गुरुवार 11 मार्च, 1982 को विधान सभा के उपवेशन न हों तथा सोमवार 8 मार्च और शनिवार 13 मार्च, 1982 को उपवेशन हों। तदनुसार विधान सभा का 6 मार्च से 13 मार्च, 1982 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में रखा जाय तथा सदन द्वारा पूर्व स्वीकृत शेष कार्यक्रम यथावत् रहे--

मार्च 1982

6--शनिवार 7--रविवार	..	बैठक नहीं होगी।
8--सोमवार	..	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
9--मंगलवार 10--बुधवार 11--गुरुवार	..	(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
12--शुक्रवार 13--शनिवार	..	वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

यह कार्यक्रम सभी नेताओं ने मिलकर कार्य मन्त्रणा समिति में तय किया है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, 8 तारीख ऐसी है जिसके दो दिन पहले छुट्टी है और उसके तीन दिन बाद में छुट्टी है जिससे अधिकांश माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हो पायेंगे। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि 8 तारीख को कार्यक्रम न रखें।

श्री अध्यक्ष--

सभी नेताओं ने मिलकर यह कार्यक्रम तय किया है।

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा मैं मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

1--नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय ..	दिनांक 1 मार्च, 1982 को अपराह्न 4 बजे तक।
2--नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय ..	दिनांक 2 मार्च, 1982 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।
3--नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय ..	दिनांक 4 मार्च, 1982 को अपराह्न 5 बजे तक।
4--निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो ..	दिनांक 12 मार्च, 1982 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा किया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[12 बजकर 55 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

कार्य स्थगन की आज 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक सूचना श्री हुकम सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री मोहन सिंह की दिनांक 30-1-82 को जनपद गाजियाबाद के हरसांव की मड़ैया नामक गांव में पुलिस कर्मियों द्वारा डकैती डालने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री नन्द राम की डाकू छविराम और शासन के बीच आत्मसमर्पण किये जाने की शर्तों की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री कुबेर भंडारी की मैनपुरी जनपद के बेवर चुंगी के हाई रेट के

[श्री अध्यक्ष–]

खिलाफ टाउन हाल पर सामूहिक हड़ताल एवं जेल भरो आन्दोलन से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री गौरी शंकर भैय्या की दिनांक 25–2–82 को जनपद मेरठ के ग्राम पट्टी के हरिजन परिवार को लूटने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री माता प्रसाद, श्री किरनपाल सिंह की जिला बस्ती के ग्राम कोड़री की एक महिला के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री गौरी शंकर भैय्या की दिनांक 22/23 की रात में सीतापुर के श्री ओम प्रकाश गुप्ता के घर पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना जो डाकू छविराम के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि की है यह स्वीकार नहीं की जा सकती, यह अस्वीकार की गयी है। श्री श्याम नारायण, श्री कुबेर भंडारी की सूचना अस्वीकार की गयी है।

श्री गौरी शंकर भैय्या की जो सूचना हरिजन परिवारों को लूटने के सम्बन्ध में है वह नियम 51 में भी आयी है, उसमें मैं उस पर विचार करूंगा। श्री माता प्रसाद एवं श्री किरन पाल सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री गौरी शंकर भैय्या की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

श्री हुकम सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री मोहन सिंह की जनपद गाजियाबाद के हरसांव की मड़ैया नामक गांव में पुलिस कर्मियों द्वारा डकैती डालने के संबंध में है, इसकी ग्राह्यता के संबंध में, जैसा मैंने कहा था कि सूचना देने वाले 3 आदमी हैं तो कोई एक आदमी ग्राह्यता के संबंध में कहे।

श्री हुकम सिंह––

मान्यवर, पुलिस इन्काउन्टर में बेगुनाह लोगों के मारे जाने की बातें पहले आयीं हैं लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा सुनियोजित तरीके से गांव में जाकर डकैती डालने की यह बड़ी गम्भीर घटना है। पुलिस कर्मी गांव में डकैती डालने गये और जब वह गांव वालों द्वारा पकड़ लिये गये तो गांव वालों के उत्पीड़न की यह वीभत्स घटना हुई है। 30 तारीख को गाजियाबाद के हरसांव की मड़ैया नामक गांव में कवि नगर थाने के पुलिस कर्मी गये, गांव में घुस गये और डकैती डाली, गांव वालों ने पुलिस वालों को घेर लिया और बन्द कर लिया और रिपोर्ट थाने में करायी। तो पी0 ए0सी0 और पुलिस के लोगों ने आकर गांव वालों को घेर लिया और मारा पीटा 50 महिलाओं एवं पुरुषों को वे लोग थाने ले गये और इतना पैशाचिक व्यवहार किया कि उनके मुंह में पेशाब करवायी और उन पर फर्जी डकैती के मुकदम कायम करके चालान कर दिया। उनकी डाक्टरी रिपोर्ट की फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। 5 आदमियों के हाथ तोड़ दिये गये। लोगों के साथ बड़ा पैशाचिक कार्य किया गया तो मैं आग्रह करता हूं कि आज का कार्य स्थगित करके सरकार से वक्तव्य दिलवायें, या इस पर चर्चा करवायें।

श्री गौरी शंकर भैय्या––

मान्यवर, चुंगी के रेट बढ़ा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष––

रेट तो घटते बढ़ते रहते हैं, यह कार्यस्थगन के लायक सूचना नहीं है।

श्री गौरी शंकर भैय्या––

मान्यवर, अनशन वगैरह चल रहा है।

श्री अध्यक्ष––

अनशन वगैरह तो चलते रहते हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

रेट तय करने के निर्देश कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

मैंने इसीलिये एक की ग्राह्यता सुनी थी चूंकि आरोप पुलिस कर्मियों द्वारा डकैती डालने का है, इसलिये मैं शासन को इस पर वक्तव्य देने का निर्देश देता हूं ।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, मुझे भी ग्राह्यता पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

कल फिर नियम 51 में दे दीजियेगा । एक दिन में एक ही हो सकता है ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

(खाद्य मंत्री के खड़े होने और श्री अकबाल हुसन द्वारा अपने औचित्य के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जान पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मा0 मन्त्री जी आप भी बैठ जायें ।

मा0 अकबाल हुसैन जी, ये ग्राण्ट प्रस्तुत कर रहे हैं । ये ग्राण्ट यहां वैधानिक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवस्था है या अव्यवस्था है या कोई औचित्य का प्रश्न दें तो सुनें । मा0 खाद्य मन्त्री ने विधान सभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का निर्वाहन नहीं किया है, इसलिये प्रश्न उठाना चाहते हैं, यह इस ग्राण्ट से सम्बन्धित नहीं है।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग

[1 बजकर 2 मिनट से]

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,25,25,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

एक सदस्य--

सीमेण्ट की कटौती कर दी है ।

श्री वासुदेव सिंह--

सीमेण्ट की कटौती नहीं की है । हर जिले का कोटा दूना कर दिया है और गोण्डा भी उसमें सम्मिलित है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

[श्री वासुदेव सिंह--]

जन वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं को सुलभ और उपलब्ध कराने हेतु शासन ने सहकारिता के माध्यम से और उचित मूल्य की दूकानों के द्वारा सारे प्रदेश में खाद्यान्न सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो, ऐसा प्रयास चल रहा है । इस समय लगभग 20 हजार दुकानें सहकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में जनसेवा के लिये आज काम कर रही हैं भारत सरकार से जो सीमेंट हमको मिलता है, गेहूं का जो आवंटन होता है, चावल का आवंटन होता है, मिट्टी का तेल आदि, उसको इन दुकानदारों के मार्फत हम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कुल महीने में 40 हजार टन गेहूं, 45 हजार टन चावल एवं 41767 टन चीनी उपलब्ध है । मा0 सदन के सदस्यों को ज्ञात है, जहां तक गेहूं और चावल का संबंध है हमने गेहूं और चावल की मात्रा बढ़ा दी है । अभी भी हमारे पास गेहूं और चावल तथा अन्य खाद्यान्न का प्रचुर भण्डार है । जो पहिले 6 किलो, 10 किलो और 16 किलो की मात्रा थी उसे अब 10 किलो और 16 किलो कर दिया गया है और ऐसा करने के बावजूद भी हमारा स्टाक और भण्डार दोनों की प्रचुरता ज्यों की त्यों बनी हुई है ।

अब चीनी 41,767 मैट्रिक टन मिलती है । चीनी के लिये इस प्रदेश की जनसंख्या प्राय: 11 करोड़ 8 लाख के है । तो चीनी जनसंख्या के अनुपात में निश्चित ही कम है । ऐसे ही जहां तक मिट्टी के तेल की बात है, वह भी कम है लेकिन जो चीनी मिली है उसके लिये सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि जहां तक उसके वितरण का सवाल है, चीनी उन लोगों को मिली है जिनको चीनी कभी नहीं मिल पाती थी तो इस तरह से चीनी के वितरण में 70-80 सैकड़ा सुधार हुआ है । मैं यह बात नहीं कहता कि सम्पूर्ण व्यवस्था में कामयाबी मिली है परन्तु यह बात जरूर है कि इसमें 70 सैकड़ा सुधार हुआ है । एक कार्ड में 9 यूनिट तक दो किलो और 9 यूनिट से ऊपर 3 किलो चीनी देने का प्राविधान है । शहरों में 1 किलो और पर्वतीय क्षेत्र में 1 किलो देने का हमने प्रबन्ध किया है ।

1971 में जनसंख्या का आधार माना जाय तो उस समय प्राय: 11 करोड़ जनसंख्या थी । हमारे राशन कार्डों की संख्या 1971 के जनसंख्या पर आधारित थी । लेकिन अब इस जन-संख्या के आधार पर दो करोड़ जो हैं यह स्थापित करते हैं । पांच परिवार के पीछे 1 करोड़ हैं । यह जो आंकड़ा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं यह 1981 की जनसंख्या के आधार पर रख रहा हूं । शासन ने यह किया है कि जैसे कि सभी माननीय सदस्यों की राय है कि नये राशन-कार्ड को वितरित करके फर्जी राशन-कार्ड वापस ले लिये जायं । इस ओर हम सचेष्ट हैं और प्रयास जारी है । इसके लिये शासन ने 7 लाख रुपये का व्यय स्वीकार करके कार्ड छपाने का आदेश दिया है जिस पर कार्य हो रहा है । इस समय तक 16 लाख राशन-कार्ड छप चुके हैं । तीन प्रेसों में यह काम हो रहा है । इलाहाबाद प्रेस की सूचना मुझे मिली है । रामपुर और वाराणसी की प्रगति क्या है, इसका कुछ अभी पता नहीं है । पता नहीं उन्होंने इस पर काम शुरू भी किया है या अभी नहीं, इसको दिखवा लेंगे । कार्ड छप जाने पर इस वर्ष के अन्त तक उन्हें बांट दिया जायगा तो जो खाद्यान्न की कमी महसूस होती है या कही जाती है वह बहुत हद तक, बहुत अंश तक दूर हो जायेगी ।

श्री कुबेर भण्डारी--

आप के रहते ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, हमारे और आपके दोनों के रहते यह होगा । इससे आप निश्चित रहें । एक कठिनाई होती थी कि जो हमारे गरीब लोग हैं शहरों में उनको आटे की कठिनाई होती थी । जो गेहूं हम देते हैं आटा बनाने के लिये वह 30 हजार मैट्रिक टन देते हैं । इसमें मैदा, सूजी, चला हुआ आटा, बिना चला हुआ आटा और चोकर शामिल है । हमने उनके दाम निश्चित कर दिये हैं और इसके लिये 30 हजार मैट्रिक टन गेहूं देते हैं । मैदा और सूजी

221. 50 रुपये क्विंटल और अवशिष्ट आटा 98 रुपये प्रति क्विंटल । चोकर 90 रुपये प्रति क्विंटल । अवशिष्ट आटे के लिये शर्त है कि 98 पैसे में हम लेंगे और यह गरीब लोगों को 1 रुपया 05 पैसे प्रति किलो बेचने का प्रबन्ध कर दिया गया है यह प्रयोग चालू है । इसी प्रकार सरकारी और गैर सरकारी उपभोक्ताओं को चोकर के दाम निश्चित कर दिये गये हैं और वह सार्वजनिक प्रयोग के लिये उपलब्ध है ।

प्रदेश में कुल वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह फैसला किया गया है कि हम मार्च से हर महीने में जो नियतांश कोटा है उसमें यदि चीज जिसको जिस महीने में नहीं मिल पाती है तो वह व्यपगत (लैप्स) नहीं होगी, उसे हम आगे देते रहेंगे । कभी किसी चीज को उठाने में देरी हो जाती है या कभी रेल बैगन नहीं मिलती है तो अब वह लैप्स नहीं हुआ करेगा बल्कि दूसरे या तीसरे महीने जब भी सुलभ होगा उसे दिया जायेगा । 1 रुपया 05 पैसे में हम गरीब आदमी को आटा देते हैं । अब चीनी, गेहूं और आटा की कोई समस्या नहीं है लेकिन यदि एक महीने में किसी को कोई सामान नहीं उपलब्ध होता है तो समय बीत जाने पर भी दूसरे महीने में उसे वह सामान मिल जायेगा ।

अब जो हमारा अभी कुम्भ मेला लगा था वहां पर प्रबन्ध किया गया था । इसके लिये वहां पर 62 सस्ते गल्ले चीनी की दूकानें, चीनी और आवश्यक वस्तुओं के लिये 32 दूकानें खोली गयी थीं । 780 टन चावल, 500 टन गेहूं, 900 टन चीनी वहां पर लोगों को उपभोग के लिये दी गयी । यह निर्देश दिया गया था कि जहां पर आवश्यकता हो, वहां वितरण किया जाय और वह किया गया । इलाहाबाद नगर में बहुत से लोग जाते हैं इसलिये उस समय पूरे नगर में हमने प्रत्येक राशन कार्ड पर दूना खाद्यान्न देने के लिये व्यवस्था कर दी थी क्योंकि सारे देश के लोग कुम्भ मेला में आते हैं तो उनको कोई खाद्यान्न की कठिनाई न हो ।

दूसरा काम खाद्य विभाग की वितरण प्रणाली क लिये गेहूं, चावल, धान आदि की खरीद के लिये 1981-82 में 130 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भारतीय खाद्य निगम, राजकीय हाट शाखा, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा, यू0 पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, तराई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति विकास निगम के जरिये 5,22,286 मैट्रिक टन की महीने की खरीद की गयी थी । और इस वर्ष पिछले वर्ष के आंकड़े से ज्यादा 14 लाख 95 हजार, 893 मी0 टन, 5 लाख 22 हजार, 286 मी0 टन से बढ़ कर, गेहूं की खरीद की और अब चालू वर्ष के लिये हम सदन के समक्ष जो अनुदान लेने के लिये खड़े हैं । उसमें हमारा पक्का इरादा है कि हम 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर रखेंगे ।

(व्यवधान)

केंद्र सरकार इसको तय करती है लेकिन हम तैयार हैं, जब केंद्र से आ जायेगा, क्योंकि शासन तो एक सिलसिला है । अब इसके अतिरिक्त चावल की जो खरीद हुई उससे भी माननीय सदन अवगत है । जो सामान्य किस्म का धान है 115 रुपये अच्छा, 119 रुपये उत्कृष्ट, 123 रुपये प्रति कुन्तल तथा ज्वार, बाजरा, मक्का, राई 116 रुपये प्रति कुन्तल आदि-आदि । इस वर्ष धान खरीदने के लिये 7 सौ से अधिक केंद्र खोले जा चुके हैं और सन् 1978-79, 79-80 में, 80-81, 81-82, 12 लाख 28 हजार, 932, एक लाख 7 हजार, 926, 80-81 में 9 लाख 79 हजार, 931 और 81-82 में 15 लाख 44 हजार 360 मी0 टन धान, लेवी से जो प्राप्त हुआ है वह भी शामिल है, और चावल मीट्रिक टन में इस वर्ष अभी 6 लाख 43 हजार 349 मी0 टन, जो पिछले वर्षों से ज्यादा है, हम खरीद चुके हैं और मेरा ख्याल है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे ।

[श्री वासुदेव सिंह]

मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि चावल मिलों द्वारा धान की जो भूसी होती है राइस ब्राण्ड हारक भी कह सकते हैं, 20 सैकड़ा लेवी लेकर कुक्कुट आहार के लिये जो आवश्यक होती है, 38 रुपया प्रति कुन्तल प्राप्त किया जाये। हमारा जो निर्णय है वह आदेश के रूप में शीघ्र निर्गत कर दिया जायेगा, केन्द्र से आ जाने के बाद।

जहां तक आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात है, मूल्य का प्रश्न है, यह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बहुत कारगर और सख्त प्रश्न की कार्यवाही की गई है। सदन जानता है कि पिछले स ल बहुत काफी छापे डाले गये, माल पकड़ा गया और जब्त भी किया गया। एक महीने के विशेष अभियान के अन्तर्गत एक करोड़ 5 लाख रुपया का सामान जब्त किया गया और कुल मिला कर के अगर देखा जाये, इस साल में हमने काफी कड़ाई बरती है और सभी जिलाधिकारियों को इस भ्रष्टाचार को, जो जहां है, मिटाने के लिये कठोर निर्देश दिये हैं और अमल का भी अनुश्रवण किया गया है। अब मैं 79 से एक तुलनात्मक दृष्टि से आंकड़े रखूंगा जिससे माननीय सदन की जानकारी में इस सम्बन्ध में पूर्णतः शासन की कृत कार्यवाही के प्रति एक सहानुभूति पूर्वक मौलिक दृष्टि-कोण उत्पन्न करने में सहायक होगी। 1979 में 14,00,581 छापे डाले गये। 1980 में 39,870 छापे डाले गये और 1981 में 33,902 छापे डाले गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट 1979 में 623, 1980 में 3,385 और 1981 में 3570 थी। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 1979 में 682, 1980 में 3294 और 1981 में 2,507 थी। अधिगृहीत आवश्यक वस्तुओं का मूल्य 1979 में एक करोड़, दो लाख रुपया था, 1980 में 2 करोड़, 80 लाख रुपया और 1981 में 4 करोड़, 54 लाख रुपया। इससे जो स्वच्छ प्रशासन का अभियान है वह स्पष्ट और उजागर होगा। एक महीने के अभियान में 15-12-81 से 15-1-82 तक 2,552 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे डाले गये और पाई गई अनियमितताओं और बइ-मानियों में 242 प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई। 147 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 128 लाइसेन्स जब्त किये गये और 28 लाइसेन्स निरस्त किये गये। एक करोड़ 28 लाख का सामान चोरबाजारी में पकड़ा गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्य-वाही की गई उसमें 111 व्यक्तियों को बन्द किया गया और जिला मैजिस्ट्रेट को जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ निरन्तर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

जो गेहूं के आवागमन पर रोक लगी है उसके बारे में भी कुछ कह दीजिये।

श्री वासुदेव सिंह---

यह सब जो आप कहेंगे मैं अन्त में जवाब दूंगा। आपके प्रगतिशील और अध्ययन पूर्वक दिये गये सुझावों के अनुरूप शासन अपनी नीति की संरचना में कुछ मदद पायेगा क्योंकि विरोध पक्ष सुझाव देने की अपनी प्रतिभा का परिचय दे तो उससे सत्ता पक्ष मजबूत होता है और जो इनके रचनात्मक सुझाव हैं उनका हम कदम-कदम पर हर वक्त स्वागत करेंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

आप सत्ता पक्ष के लोग कभी विपक्ष की बात को मानते हैं?

श्री वासुदेव सिंह---

राजनीति में हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम सदैव राजनीति के वर्चस्व को स्थिर करें और मान्यवर, इसमें आप भी शामिल हैं। कोई देश या प्रदेश भ्रष्टाचार से ऊंचे नहीं उठता।

श्री सूबेदार सिंह---

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

बाद में पूछ लीजियेगा ।

श्री वासुदेव सिंह—

बाद में मैं सब बातों का उत्तर दे दूंगा जो-जो आप कहेंगे । तो मैं आपसे कह रहा था कि मिट्टी का तेल और सीमेन्ट ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे चिन्ता है । जितनी और चीजें हैं उनके बारे में उतनी चिन्ता नहीं है । लेकिन इन दो चीजों के बारे में अनियमितता की रिपोर्ट और सूचनायें माननीय सदस्यों द्वारा दूसरों के द्वारा और समाचार पत्रों द्वारा मिलती रहती हैं । जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, हमारे यहां मिट्टी के तेल का कोटा जो है, वह कम है । अगर देखा जाय तो सदन के समक्ष आपकी अनुज्ञा से जो आंकड़े मैं रखने जा रहा हूं कि क्या भारत सरकार से तेल का कोटा अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमें कितना मिला है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर 12 महीनों में उस पर गौर करेंगे और सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य हुआ । यह तो अव्यवस्था है और एक तरह से अन्याय है इसको हटाने के लिये हम बराबर प्रयत्नशील हैं । हमने बार-बार कोशिश की है, मैंने पत्र लिखा, माननीय मुख्य मन्त्री ने पत्र लिखा । आज दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक,हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों को उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिट्टी का तेल मिला है ।

अब आप देख लें कि एक लाख जनसंख्या पर किस प्रदेश को कितना मिट्टी का तेल मिला है । एक लाख की जनसंख्या पर दिल्ली को 211 टन, गुजरात को 125 टन, महाराष्ट्र को 122 टन, पंजाब को 85 टन, तमिलनाडु को 72 टन, पश्चिम बंगाल को 69 टन, कर्नाटक को 61 टन, आन्ध्र को 40 टन, हरियाणा को 35 टन और उत्तर प्रदेश को मात्र 34 टन भारत सरकार की तरफ से आवंटित किया गया । अब इसकी कोशिश हो रही है कि यह विषमता दूर हो । इसके लिये शासन प्रयत्नशील है । जब मैं प्रयत्नशील कहता हूं तो इसका अर्थ यह है कि हम बहुत दूर तक अपने प्रयास में सफल होने के रास्ते में हैं । भारत सरकार के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनसे मैंने बात की और उनसे सारी बातें कहीं । मैंने सब आंकड़े उनको भेजे हैं । माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से भी टेलीग्राम, रेडियोग्राम, और चिठ्ठियां भेजी गयी हैं । टेलीफोन से भी उनसे बराबर बातचीत करते रहते हैं । हमें 75 हजार किलो लीटर तेल प्रति माह मिलना चाहिये । अगर इतना तेल हमें मिलता रहे तो प्रदेश का काम चलाऊ काम हो सकता है इस मसले में कुछ सुधार आ जायेगा ।

अब हमारे प्रदेश में जहां तक तेल की दूकानों की समस्या है, इस बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष के सदस्यों ने हमारा ध्यान बार-बार खींचा और मैंने यह विचार किया है कि इसमें काफी भ्रष्टाचार है उसे किस तरह से मिटाया जाय । लेकिन जो सीमित संख्या में दूकानें हैं उनसे कोई लाभ नहीं है इसलिये यथावत स्थिति कर दी गई । हमने यह कर दिया है कि जिला अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक निबन्धक सहकारिता, परगनाधिकारी, तेल कम्पनी से आवश्यक पूर्ति के सम्बन्ध में, उनके अधिकारियों के साथ मिल कर प्रतिमास बठक करके समीक्षा करें कि जनपद में जो मिट्टी के तेल की आपूर्ति ठीक से हुई है या नहीं हुई है और अगर उसमें कोई खामी हो तो उस खामी को बतलावें कि क्या खामी है जिसकी वजह से किसी तरह का अभाव हुआ है और क्या अभाव है । आग्रह के साथ सामयिक बैठक के लिये आदेश दे दिया गया है । मिट्टी के तेल के लिये फुटकर लाइसेन्स सहकारिता ढंग से दिया जाता था । सभी जानते हैं कि सहकारिता पूंजीवाद का एक विकल्प माना जाता है । मैंने उस दिशा में कुछ काम सहकारिता मन्त्री के नात किया भी । लेकिन हम जानते हैं कि यह जो सहकारी क्षेत्र है इसके हाथों में मिट्टी का तेल न लग जाय,

[श्री वासुदेव सिंह—]

अधिकारी लोग ऐसा सोचते हैं, गुप्त जी के दुकानदार सोचते हैं गन्दा धन्धा है, कौन हाथ मिट्टी के तेल में लगाये, इसलिये हम लोगों ने यह कर दिया है कि हर ब्लाक में, हर न्याय पंचायत में एक, दो, दूकानें बढ़ा दें। मिट्टी तेल के लिये ज्यादातर हमारे किसान बाजारों में आते हैं। अब यह सोचते हैं कि वहां के जो लोग हैं, बनियां हैं, दूसरे हमारे जाति के लोग हैं जो परम्परागत ढंग से कुछ समय से इस काम को करते आये हैं उनके जरिय मिट्टी तेल का आवंटन जारी रखा जाय जो कि उन की जीविका का भी एक साधन होगा। यह भी सोचा गया कि डीजल और मिट्टी तेल का मिश्रण हो सकता है, आशंका है, होता भी है, चालान भी हुआ है, इसलिये मैं यह स्वीकार करता हूं कि ये दोनों प्वाइन्ट एक जगह न रहें। डीजल और मिट्टी का तेल अलग-अलग रखे जायें।

जो हमारे विद्यालय में और छोटे छोटे स्कूलों में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिये कार्ड बना कर के और मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में देने का पूरा पूरा प्रबन्ध हो गया है और मैं समझता हूं कि जो परीक्षायें आ रही हैं उन परीक्षाओं में यह कठिनाई कोई छात्र महसूस नहीं करेगा।

अब जहां तक डीजल का सम्बन्ध है, आप, मान्यवर, यह जानते हैं, सदन जानता है कि डीजल की कोई समस्या नहीं है और इसीलिये इस पर जो प्रतिबन्ध लगा था उसे मार्च 1981 को हटा लिया गया है। अब चाहे वह डीजल हो चाहे मिट्टी तेल हो उस का एक सिस्टम कर दिया है और लाइसेन्स लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

जहां तक सीमेन्ट का संबंध है, मैं इस सदन से सहमत हूं, इधर के और उधर के सदस्यों से सहमत हूं कि सीमेन्ट के मामले में कुछ सुधार नहीं हुआ हालांकि इधर कुछ सुधार आया है। केन्द्र से हम लोगों को जो सीमेन्ट मिलता था उस की मात्रा बहुत काफी इन महीनों में बढ़ गयी। हम को कुल सीमेन्ट मिलता था 4,57,000 मेट्रिक टन। उच्च स्तर पर जो हमारे उद्योग मन्त्री हैं उनसे बातचीत करने पर 1,10,000 मी0 टन का अतिरिक्त हम को कोटा मिला। इसलिये इस वक्त हमारा 5,67,000 मेट्रिक टन का सीमेन्ट का कोटा है। 5,67,000 की जगह पर 10 लाख का काम चलाऊ कोटा अगर मिले तो काम चले। लेकिन फिर भी हमने दो लाख के आस पास जन साधारण को सीमेन्ट उपलब्ध कराना नियत किया है।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि सीमेन्ट का वितरण जिला केन्द्रों और तहसील मुख्यालयों से होता था। उसको शासन ने असन्तोषजनक पाया और अब यह फैसला किया है कि जितनी भी आवश्यक वस्तुयें हैं उनको विकास खण्डों पर इकट्ठा किया जाय। हमारी मंत्रि-परिषद् में भी इसका निर्णय हो गया है कि हम ब्लाक स्तर से सीमेन्ट का वितरण करें। यह अर्थ है, इति नहीं। इस प्रकार से सीमेन्ट और दूसरी आवश्यक वस्तुयें जब ब्लाक स्तर से वितरित होंगी तो उसके बारे में यह तसल्ली रहेगी कि उसका ब्लैक नहीं होगा। यह जरूर है कि कई दफा जो किसी कारोबार के लिये सीमेन्ट दिया गया तो उसका दुरुपयोग होता है।

मैंने यहां पर कहा था कि हर कार्ड पर 3 बोरी सीमेन्ट दी जायेगी लेकिन वह सही आदमियों को नहीं मिली और उसकी चोर-बाजारी हुई। इसलिये हमने उसको समाप्त कर दिया। अब बी0 डी0 ओ0 के जरिये से यह काम करायेंगे और उसके बाद जब चुनाव हो जायेंगे तो जिले के प्रतिनिधियों के जरिये से सीमेन्ट आदि का वितरण का काम किया जायेगा। इससे इस काम को गति और प्रवाह मिलेगा। ब्लाक स्तर पर सीमेन्ट का परमिट बी0 डी0 ओ0 काटेगा और इसके लिये यहां से आदेश चले गये हैं। पहली मार्च, 82 से यह सुविधा शुरू हो जायेगी। अभी दो-तीन दिन बाकी हैं। यह जरूर है कि इसका बन्दोबस्त ए0 डी0 एम0 (आपूर्ति) देखेंगे। कई दफे माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने मुझसे कहा। मैं अभी इस स्थिति में अपने को रखना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस वितरण प्रणाली का बोझ आपस में लेकर उठाना चाहते हों तो मेरा दिमाग उसमें खुला रहेगा और हम विचार करेंगे कि जनप्रतिनिधि इसमें अपनी क्या राय देते हैं। इसमें मैं अभी अपना

निर्णय नहीं बता रहा हूं बल्कि लोकतांत्रिक पद्धति में दूसरे के विचारों को और सुझावों को सुनकर उसकी छानबीन, संतुलन और समन्वयन करके ही हम किसी पर पहुंचते हैं।

कुछ मार्ग-दर्शक सिद्धान्त भी हम इस वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में लाने की सोच रहे हैं और उन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर हम अपनी गाइड-लाइन्स (कार्यक्रम) बनायेंगे। जहां तक कोटा देने का मामला है हमारे बहुत से सदस्य कहते हैं कि हमारे जिले का कोटा कम है, उस जिले का ज्यादा है तो हम बढ़ा देते हैं। हमने अभी उस पर पुनरावलोकन नहीं किया है। जो हमारा क्रम है पहले त्रैमास में यानी जनवरी से मार्च तक कोई जिला ऐसा नहीं है जिसको जो मिलता था उसको हमने अगले त्रैमास में यानी, जुलाई अगस्त सितम्बर या अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में कोटा बढ़ाया है। अब और जितना आपको यह मिलता था उसको प्रायः दूना कर दिया है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां 80 हजार बोरी से कम हो। दरख्वास्तें इतनी हैं कि 20-20 बोरी भी यदि समता के आधार पर दी जायं तो मेरा ख्याल है कि हर जिले में कोई चार हजार आदमियों को संतुष्ट किया जा सकता है। इसके वितरण के बारे में अभी थोड़ी कमजोरियां हैं वह माननीय सदस्य कहेंगे और उनके विचारों से मैं लाभान्वित हूंगा।

अब रही कोयला और वनस्पति की बात। तो वनस्पति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसके कारण वह बाजार में बिकता है कभी ज्यादा दाम पर भी बिकता है। (व्यवधान) उसके दाम तो भारत सरकार निश्चित करती है। वह राष्ट्रीय समस्याओं के परिवेश में जो आवश्यकता होती है वह केन्द्र सरकार मुझ से और हमारी सरकार से बेहतर समझती है और दाम निर्धारित करती है। (व्यवधान) संपूर्ण देश एक है और देश की आवश्यकता क्या है और आगे क्या समस्या आने वाली हैं प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न उनका आंगणन करते हैं और तब केन्द्र सरकार निर्णय लेती है। हम उसे स्वीकार करते हैं अगर हमें लगता है कोई कठिनाई है तो उनसे निवेदन करते हैं (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

आप से कोई राय नहीं लेते हैं ?

श्री वासुदेव सिंह——

राय लेते हैं उसके बाद निर्णय करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर भी माननीय सदस्य आपके मना करने पर खड़े होते हैं तो इसी तरह उत्तर प्रदेश शासन भी मना करने पर भी वहां अपनी बात कहता रहता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन जब आगे आयेंगे आपको मालूम हो जायेगा कि मिट्टी के तेल की और सीमेन्ट की कोई समस्या इस प्रदेश में नहीं रह जायेगी।

जहां तक कोल का सम्बन्ध है वह रेल मार्ग से आता है हमें कठिनाई है। स्लैक कोल जो ईंट भट्ठों के काम में आता है वह करीब डेढ़ सौ रेक हमें चाहिये लेकिन वह कभी एक मिलता है कभी एक भी नहीं मिलता है। तो वह नगण्य ही रहता है। दूसरा सौफ्ट कोल जो जलाने के काम आता है उसके लिये हमें महीने में 12 रेक चाहियें लेकिन कभी एक मिलता है कभी दो कभी चार कभी 7 इसमें हमने निर्णय लिया है कि चाहे ज्यादा खर्च आये सड़क से कोयला आये हमने आदेश जारी कर दिये हैं रेल मार्ग के अलावा रोड से आये और वह काम पी0सी0एफ0 के द्वारा किया जा रहा है। यानी रेल वैगनों के पर्याप्त मात्रा में न होने की हालत में वह सड़क द्वारा कोयले का आयात करेगा। इस वक्त तक 15 हजार मीट्रिक टन की हमारी उपलब्धि दिखायी गयी है जो 25 हजार मी0 टन हो गयी है।

जहां तक कपड़े का संबंध है वह कपड़ा इतनी मात्रा में पड़ा हुआ है कि जो हमारी नीचे के स्तर की दुकानें है वह कपड़े का अभाव नहीं महसूस कर रही हैं। कपड़े के दाम भी कुछ बढ़ गये हैं और गुण में भी कमी हो गयी है तो बाजार के मुकाबले में कम खप रहा है। इसलिये जहां तक आवश्यक वस्तुओं में कपड़े का संबंध है इसकी कोई समस्या नहीं है, जो कपड़ा है वह बिक नहीं रहा है।

श्री कुबेर भंडारी—

माननीय मंत्री जी ईंट के संबंध में बता दें, ईंट 400 तक में एक हजार बिक रहे हैं।

श्री वासुदेव सिंह—

तो मैं कह रहा था कपड़े के संबंध में ऐसी स्थिति में नियंत्रित मूल्य के कपड़े की बिक्री के संबंध में लगाई गयी सभी शर्तों को शिथिल करके उसकी खुली बिक्री की छूट देनी पड़ी। इसके अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी उचित मूल्यों की दूकानों के माध्यम से भी नियन्त्रित मूल्य के कपड़ों की बिक्री की व्यवस्था किये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

श्री कुबेर भंडारी—

मैंने भट्ठे की ईंट के बारे में पूछा था।

श्री वासुदेव सिंह—

ईंट पर कोई नियन्त्रण सम्भव नहीं है। अगर हम इस अवस्था में हो जाएं कि भट्ठे वालों को हम कोयला सस्ता दे सके, रेलवे वैगंस को दे सकें, तो निश्चय ही हम उस पर नियन्त्रण रखेंगे और उसके दाम बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन इस वक्त हमारा नियन्त्रण त्रुटिपूर्ण होगा कि हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, जितना रैक्स देना चाहिये। सड़क का कोयला महंगा पड़ जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम नियन्त्रण करें.....

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

अगर आप ईंट पर कन्ट्रोल कर लें तो आपका भट्ठा नहीं बैठे।

श्री वासुदेव सिंह—

अब आगे खाद्य विभाग के गोदामों की बात है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे 15 गोदाम बन चुके हैं, जो कि मिर्जापुर, किच्छा, बांदा, काल्पी, खीरी, इटावा, हलद्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार, पीलभीत, रुड़की, चन्दौसी, देहरादून, राबर्ट्सगंज और मेरठ में हैं। इसके अलावा छठवीं पंचवर्षीय योजना में गोदाम निर्माण के लिये 60 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित है, जिसमें से 50 लाख रुपया मैदानी क्षेत्र में और शेष 10 लाख पर्वतीय क्षेत्र के लिये रखा गया है। इस समय 6 स्थानों चन्दौसी, मेरठ, देवबन्द (सहारनपुर), फतेहपुर, गोंडा, बहराइच में गोदाम निर्माणाधीन हैं। साथ ही हम मैदानी क्षेत्रों में सहारनपुर, बुलन्दशहर, हरदोई, वाराणसी, गाजियाबाद तथा पर्वतीय क्षेत्रों में पौड़ी, आराकोट, घाट, पोखरी तथा श्रीनगर (गढ़वाल) में नये गोदामों को हम शीघ्र बनवाने की कोशिश करेंगे। जिससे अन्यत्र रखने की जो समस्या है, वह दूर हो सके। इसी संबंध में विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत हमारे बहुत से गोदाम और शीतगृह बन रहे हैं, वह सहकारिता का विषय है और जब उसका बजट आयेगा माननीय सदस्यों को सम्यक् प्रकाश मिल जायगा.....

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

आप बलिया में क्या कर रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

बलिया का नाम तो जगत विख्यात है वह तो साहित्य में आ गया है। (व्यवधान) मान्यवर, प्रत्यय लगाये बिना तो यह चलने नहीं देते हैं, लगायें तो क्या हो ? यह काम तो हमने अब विरोधी दल पर छोड़ दिया है। जहां तक स्टाफ का संबंध है। हमने 10 गाड़ियां अतिरिक्त जिलाधिकारियों को दी हैं। हमने मण्डल स्तर पर एक असिस्टेन्ट कमिश्नर भी रखा है, वह वितरण प्रणाली को देखेगा। जो डिविजनल कमिश्नर है, उसके साथ वह काम करेगा और हमारे अधीन भी रहेगा। जैसे हाट शाखा में हमने क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक रखा है, वैसे ही एक सहायक कमिश्नर भी रख दिया है। एक विपणन शाखा को देखेगा और एक वितरण शाखा को देखेगा। जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी कुछ सुविधा और प्रोत्साहन मिले और यह आवश्यक है कि उनको व्यापक समर्थन विभागीय स्तर पर हो। निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये, जिनके लिये विरोधी सदस्य केवल सहानुभूति रखते हैं, उनके हित में कुछ कार्यों को हमने कार्य रूप में परिणत कर दिया है। सन् 1981–82 में 42 राजपत्रित अधिकारियों और 1,354 अराजपत्रित कर्मचारियों को हमने स्थायी घोषित कर दिया है।

श्री सूबेदार सिंह—

हरिजनों क आरक्षण की क्या पोजीशन है, आपके विभाग में ?

श्री वासुदेव सिंह—

जो हर विभाग, शासन और देश की नीति है उसको संप्रेत और ओत प्रोत करते हुये हम खाद्य विभाग में यथावत कार्य करेंगे। हमारे रीजनल फूड कन्ट्रोलर, मेरठ, वाराणसी और एक और जगह हरिजन ही हैं। तो हमारे विभाग में हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोग पर्याप्त हैं लेकिन अगर आप संकेत करेंगे तो उसको भी दिखवा लूंगा।

श्री कुबेर भण्डारी—

क्या यह नहीं है कि आपके विभाग में ठाकुरों को अनुसूचित जाति और जनजातियों में दिखाकर पदोन्नत किया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप एक भी ऐसी मिसाल बता देंगे तो मैं विधान सभा को छोड़ दूंगा। ऐसे चार्जेज एक बार पहले भी आपकी ओर से लगाये गये थे और उसमें मुझ से माफी मांगी थी।

जहां तक कर्मचारियों का प्रश्न है जो लोग 3 वर्ष से सेवारत हैं उनको हमने स्थायी कर दिया है। हमारे विभाग में जो चौकीदार ह जिनको पहले कम्बल नहीं मिलते थे उनको सर्दियों में कम्बल भी दिलाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उनको जो मिटटी तेल के लिये 2 रुपया माहवार मिलता था उसे भी चौगुना करके 8 रुपया कर दिया है।

अब हमारे प्रदेश में जो खाद्य वस्तु निगम की शाखायें हैं व 82 स्टोर्स हैं उनके बारे मे संक्षेप में ब्योरा रखना चाहता हूं। इसने वर्ष 1978–79 में 789 लाख

[श्री वासुदेव सिंह—]

रुपये का टर्न ओवर किया, वर्ष 1979–80 में 729 लाख रुपये का, यह पहले वर्ष से कुछ कम हुआ है। वर्ष 1980–81 में यह बढ़कर 1,414 लाख रुपया हो गया और वर्ष 1981–82 में कुल व्यापार 2,750 लाख 62 हजार रुपये आज हो गया है।

जहां तक हमारे राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का संबंध है इस समय कल्याण निगम द्वारा 4 स्टोर–एक इलाहाबाद कलेक्टोरेट में और तीन लखनऊ में संचालित है। कथित स्टोर्स के अतिरिक्त वर्तमान समय में कल्याण निगम द्वारा 23 जलपान गृहों का भी संचालन लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवं मथुरा में किया जा रहा है, जिसकी बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष		बिक्री
1978–79	..	33 लाख रु0
1979–80	..	48 लाख रु0
1980–81	..	1.25 करोड़ रु0
1981–82	..	लगभग 2 करोड़ रु0 (अनुमानित)

मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय को शत प्रतिशत तथा जलपानगृहों के कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भाग शासन द्वारा सहायक अनुदान के रूप में वहन किया जाता है।

मान्यवर, खाद्य विभाग का बजट पेश करते हुये उसके संबंध में जो आवश्यक सूचनायें थीं उनको मैंने सदन में रखा और मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य विचार करने के उपरान्त इस पर अपने-अपने सुझाव देने की कृपा करेंगे जिनका हम स्वागत करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं खाद्य विभाग के बजट को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सारा सदन इससे सहर्ष स्वीकार करेगा।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने आंकड़ों के लम्बे दस्तावेज के साथ अपने विभाग की अनुदान राशि को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इनके विभाग के जो आंकड़े हैं, वह सच के सिवाय किसी भी चीज का प्रगतिकरण करते हैं इन आंकड़ों से, यह बात नहीं सिद्ध हो सकती कि वितरण प्रणाली प्रदेश की दृढ़ और अच्छी हो गयी।

हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मूल्य और उत्पादन मौसम के ऊपर आधारित हैं और हर 3 साल के बाद जब मौसम अच्छा हो जाय, प्रभू की कृपा हो जाय, तो अपने आप कृषि जन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ जाता है और उसके बाद दाम उनका नीचे गिरने लगता है और जो सरकार में रहता है, वह उसी के भरोसे अपनी पीठ थपथपा लेता है कि यह तो हमारे बाहुबल और नीतियों का परिणाम है। इसके बारे में सरकार को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में अपनी वितरण प्रणाली के बारे में सोचना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन देशों में नियंत्रित अर्थ व्यवस्था है, वहां दामों के ऊपर नियंत्रण पाना आसान है। लेकिन जहां पर पूरी अर्थ व्यवस्था, अर्द्ध मिश्रित है, थोड़ा नियंत्रित है और थोड़ा अनियन्त्रित है और जबकि सारा मूल्य कृषि जन्य पदार्थों के ऊपर निर्धारित है और खेती सारी निजी हाथों में है, ऐसी स्थिति में हमें सम्यक् रूप से वितरण प्रणाली के ऊपर सोचना पड़ेगा।

जो आपने छठी पंचसाला योजना तैयार की है, उसमें हम यह चाहते हैं कि एक स्थायी अंग के रूप में जो वितरण प्रणाली है, उसे अभिन्न अंग बना लें। भंडारण के साथ-साथ वितरण भी आवश्यक है और भंडारण के साथ दूसरी बड़ी चीज आती है कि जो लोग इन पदार्थों का उत्पादन करते हैं, जब तक सरकार उनको उचित कीमत नहीं देगी, तब तक आपका भंडारण बढ़ नहीं सकता, बफर स्टाक बढ़ नहीं सकता। जब कृषकों को उचित मूल्य देने के लिये बात आती है, तो हमारे दिल्ली में बैठे हुये कृषि मंत्री यह कहते हैं कि हम बाहर से चीनी और गेहूं इसलिये मंगाते हैं कि हमको इसका दाम एक ही बार देना पड़ेगा और यहां के लिये अगर रेट फिक्स कर देंगे, तो वही दाम हमेशा देना पड़ेगा, कम नहीं कर सकते और इस देश की मुद्रास्फीति पर उसका असर पड़ेगा। इस दिमागी चिन्तन पर विशेष चिन्तन करना पड़ेगा। उत्पादन कम होने पर ही मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है। हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि यदि किसानों के हाथ में अधिक मूल्य चला जायगा, तो एक बार से अधिक दाम नहीं दे सकते, इसी सदन में आप ही की सरकार ने शोधन वक्तव्य में सुधारा कि 133-36 लागत पिछले साल अप्रैल महीने में थी।

माननीय खाद्य मंत्री ने यह बयान दिया था कि इस वर्ष हमारे प्रदेश में गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। 128 लाख टन हमारे प्रदेश में पैदा हो गया और जो हमारे, प्रदेश के अब तक क इतिहास का रिकार्ड है, यह माननीय खाद्य मंत्री जी का पिछला अप्रैल का वक्तव्य है। लेकिन क्या कारण है कि जिस साल रिकार्ड उत्पादन हुआ, उस साल आपके क्रय केन्द्रों पर खरीद कम हुई। जितना मापदण्ड केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किया, उससे 7 लाख मैट्रिक टन कम खरीद पाये। 20 लाख मैट्रिक टन खरीदना चाहिये था कायदे से। पंजाब नम्बर एक पर है और उत्तर प्रदेश नम्बर दो पर हुआ लेकिन निर्धारित अनुपात जो था उससे काफी कम हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने जो आंकड़े वितरित किया है पार्लियामेंट के अन्दर 13--50 लाख कहा है। आज माननीय मंत्री जी ने 15 लाख मेट्रिक टन का आंकड़ा सदन के सामने प्रस्तुत किया। यह अन्तराल इसलिये है कि उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उत्पादन का उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामान मिले यह दोनों जिम्मेदारी खाद्य और रसद विभाग की है।

माननीय मंत्री जी ने टोकाटोकी के बीच में कहा कि गन्ने का मूल्य दिल्ली की सरकार निर्धारित करती है लेकिन दिल्ली की सरकार जो मूल्य तय करती है प्रदेश सरकार अपने खजाने से गन्ने के उत्पादन रेट के अतिरिक्त समर्थन मूल्य देकर किसानों का गन्ना खरीदती है।

(इस समय 2 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री धर्म सिंह पीठासीन हुये।)

क्या गेहूं के बारे में आपकी सरकार इस प्रकार की नीति प्रतिपादित नहीं कर सकती है? फर्टिलाइजर का दाम घटे और मौसम अच्छा हुआ किसानों ने अपने कामों में कटौती करके फर्टिलाइजर का उपयोग किया और उपज बढ़ गई तो इनकी सरकार का अनुमान है कि 1-88 लाख टन गेहूं पैदा होगा। इतना पैदा तो होगा, लेकिन बफर स्टाक करने के लिये इनका चिन्तन और दृष्टिकोण नहीं है। बिना इसके चिन्तन और दृष्टिकोण के यह साकार नहीं हो सकता है। आपको इसके लिये निश्चित विचार करना होगा। भण्डारण के सम्बन्ध में हमारे प्रदेश की सरकार की कोई सम्यक योजना नहीं है।

[श्री मोहन सिंह]

माननीय मंत्री जी ने थोड़े से जिलों का नाम ले लिया विश्व बैंक की सहायता के तहत। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से भण्डारण भवन जिला हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर और आ। यदि अधिक चुस्त हों तो ब्लाक स्तर पर भी बनाने का कष्ट करें। इसके लिये जहां कटौती करके पैसा निर्धारित कर सकें, करना चाहिये। दूसरी बात जब से आपकी सरकार बनी, वितरण प्रणाली से जन प्रतिनिधियों का सम्पर्क एवं विश्वास बिल्कुल समाप्त कर दिया। जन प्रतिनिधियों का सम्पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया। पहले बड़ी मुश्किल से तो खाद्य समितियों का गठन हुआ था। ब्लाक स्तर पर तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर। उन समितियों को आपने भंग कर दिया। भंग तो आपने कर दिया लेकिन चेक एण्ड बैलेंस के लिये आपने कुछ नहीं किया। सारा अधिकार अफसरों के हाथों में दे दिया। जन प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, सीमेन्ट के वितरण की बात आती है। यह प्रमुख समस्या है हमारे प्रदेश की। जब कोई भी विधान सभा का सदस्य अपने क्षेत्र में जाता है तो कम से कम 50 दरख्वास्त लोग लेकर आते हैं सीमेन्ट की रिकमेन्डेशन्स के लिये और कितने तो यह कहते हैं कि आप एस0 डी0 एम0 या डी0 एम0 के पास चले चलिये। लेकिन मान्यवर, सीमेन्ट नहीं मिलती है और हम लोगों की संस्तुति की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में आवश्यकतानुसार सीमेंट नहीं मिल रही है। आपने खुद कहा कि 4 लाख मेट्रिक टन मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में यह बढ़ा नहीं है। दिल्ली की सरकार हमारे कोटे को नहीं बढ़ा रही है। अगर हमको 5 लाख मेट्रिक टन प्राप्त हो, तो थोड़ी बहुत समस्या हमारी हल हो सकती है। लेकिन जो पहले का निर्धारित कोटा है उससे दिल्ली की सरकार उसको बढ़ा नहीं रही है। बल्कि अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में तो सीमेंट के कोटे में कटौती कर दी गई और कटौती इस लिये की गई कि एशिया-82 हो रहा है। उसमें सीमेंट की आवश्यकता है। इसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो सीमित कोटा मिल रहा था उसमें कटौती की गई यह आपकी सरकार की पुरुषार्थ की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि सीमेंट का कोटा मिट्टी का तेल का कोटा या अन्य कोटों में दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात पूर्ण रवैय्या अपनाये है। जो हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे राज्य है उनका कोटा उत्तर प्रदेश से दूना है।

विद्युत् का हमारे यहां बुरा हाल है। आज हमारे यहां लोगों को जलाने के लिये मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है। दिल्ली की सरकार हमारे मिट्टी के तेल के कोटे में भी मनमाने ढंग से कटौती कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये दिल्ली की सरकार के सामने घुटने टेकने की जरुरत नहीं है। माननीय मंत्री जी ने खाद्यान्न के बारे में कहा कि 40 हजार मिलना चाहिये, केन्द्र सरकार 20 हजार का इन्तजाम कर दें। पिछली जुलाई, अगस्त और सितम्बर में कहा, बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं लेकिन 20 हजार केन्द्र सरकार ने नहीं बढ़ाया। आपके अन्दर पुरुषार्थ हो तो हमारे प्रदेश में आवश्यक उपभोग की चीजें जो निर्माण होती हैं आवश्यकता से अधिक तैयार होती हैं, जैसे चीनी, गेहूं हमारे यहां काफी पैदा होता है लेकिन हम खा उतना ही सकते हैं जितना दिल्ली की सरकार तय करे। जो चीज हमारे यहां नहीं होती जैसे स्लेक कोल, साफ्ट कोल, जैसे डीजल हमको कम मिल रहा है, जो चीज हमारे यहां नहीं उत्पादित होती। उनका कोटा हमको कम मिल रहा है, तो हमारी सरकार केन्द्र सरकार से कहे कि जो चीजें हमारे यहां अधिक पैदा होती हैं, अगर हमको अन्य चीजों का कोटा अधिक नहीं मिलेगा तो हम देने के लिये तैयार नहीं हैं। तब तो काम चलेगा वरना उत्तर प्रदेश सदा सर्वदा पिछड़ता चला

जायेगा। आप चाहे जितनी स्वच्छता और सही वितरण की बात करते रहें वह पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिये आपको कोटा बढ़ाने का प्रयास करना होगा और वितरण प्रणाली पर अंकुश लगाने के लिये जन प्रतिनितियों का सहयोग लेने का काम किया जाय।

मान्यवर, पिछले साल माननीय मंत्री जी ने एक नीति घोषित किया कि गांवों में राशन की दुकाने सहकारी संस्थायें चलायेंगीं। दूसरी तरफ यह कहते हैं कि सहकारी संस्थाओं से वितरण ठीक रहेगा क्योंकि निजी संस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन्होंने भ्रष्टाचार से बचने के लिये यह विकल्प दिया। लेकिन मान्यवर, इन्होंने इसमें भी भेद कर दिया गांव में तो सहकारी समितियां चला रही हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में निजी दुकानदार चला रहे हैं। इनके प्रशासन पर निजी दुकानदार इतने प्रभावी हैं कि आज तक यह उनको खत्म नहीं कर पाये। आज एक डेढ़ साल हो गया लेकिन इन्होंने जो विकल्प दिया था उसको प्रयोग नहीं किया। मान्यवर, पिछले साल अप्रैल के महीने में इसी सदन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा किया कि पुरानें राशन कार्ड 50 प्रतिशत बोगस है। इसलिये उनको खत्म करने के लिये हम 2 करोड़ राशन कार्ड नये छपवा रहे हैं। अप्रैल से लेकर फिर अप्रैल आने वाला है कहा हैं वह राशन कार्ड ?

मान्यवर, अब कोई मण्डलीय मंत्री हो गया उसने कह दिया कि हमारे मण्डल में रेड रंग कार्ड रहेगा कोई कहता है कि हमारे यहां रेड नहीं नीला रहेगा। मान्यवर, इस प्रकार मण्डलीय मंत्रियों के रेड, ग्रीन और व्हाइट की घोषणा होती रही और जो घोषणा हुई थी उसका अनुपालन नहीं हुआ। मान्यवर, यह इनकी संकल्प विहीनता को देखने के लिये प्रमाण है। मान्यवर, इनके यहां एक आवश्यक वस्तु निगम है वह 80–85 दुकानें चला रहा है। इन दुकानों का विस्तार किया जाना चाहिये और जो आवश्यक वस्तु निगम है उसके माध्यम से हर ब्लाक स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की एक-एक दुकान खोल दी जानी चाहिये। लेकिन हर ब्लाक स्तर पर कौन कहे यही विधान सभा के पास रायल होटल और दारुलशफा में आपकी दुकानें नहीं हैं तो गांव स्तर पर आप कैसे खोलेंगे ?

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि नियंत्रित कपड़े की बिक्री हमारी दूकानों के जरिये नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप बाजार में चले जांय तो कन्ट्रोल का कपड़ा निजी दुकानदार आपकी दुकान से खरीद कर बेचते हैं और वह गरीब आदमी को अधिक दामों पर बेचने की कोशिश करते हैं। गरीब आदमी को पता नहीं है कि कन्ट्रोल कपड़ा सरकार बेचती है। इसलिये गांवों में गरीब जनता में इसका प्रचार किया जाना चाहिये। एक तरफ उसकी क्रय शक्ति कम है, उसमें निरक्षरता है, जिसके चलने शासन की जो सुविधाजनक चीजें हैं उनका उस गांव के गरीब आदमी को पता नहीं होता है और इसीलिये वही चीजें निजी दुकानदार महंगे दामों पर बेचते हैं। जब कोई निगम की दुकान पर खरीदने जाता है तो उसको सड़ा हुआ कपड़ा दिखाया जाता है जिससे लोग उसको खरीदना पसन्द नहीं करते हैं, इसलिये वह कपड़ा बिकता नहीं है। इसलिये जिन जिलों में आपके आवश्यक उपभोक्ता भंडार और जो निगम की दुकानें हैं उनमें विधायकों की साझेदारी होनी चाहिये जिससे उनके क्रिया कलापों के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके और सुझाव दिये जा सकें और गरीब आदमी को वहां से वस्तुयें खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

मान्यवर, आपने कानून बनाये, केन्द्रीय कानून हैं, प्रदेशीय कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिनके तहत आपने निरुद्धि, नजरबन्दी के आदेश जिलाधिकारियों को दे रखा है जिसमें 108 लोगों को सालभर के निरुद्धि के आदेश दिये। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार उन 108 लोगों में मुश्किल से 3–4 जिलों में निरुद्ध है बाकी लोग बाहर हैं।

[श्री मोहन सिंह]

इसलिये या तो आपका कानून डिफेक्टिव है या इसमें कोई लेकुना है जिससे आप उनको बन्द करते हैं लेकिन वह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपकी जो कमेटी बनी है उसके जरिये छूट जाते हैं। उसके बाद आपके यहां से आदेश जाते हैं कि कोटे में कितने लोगों को आपने निरुद्धि के आदेश दिये जिससे वह जल्दबाजी में वास्तविक लोगों पर केस तैयार न कर, दिखावे के रूप में केस तैयार किये जाते हैं जिसमें कुछ, लोगों को निरुद्ध किया जाता है और उसके बाद वे बाहर आ जाते हैं। इसलिये मान्यवर, इसके बारें में जो जिलाधिकारियों को आदेश दिये जाते हैं उनमें उनकी पूरी सूची मंगानी चाहिये और जो अपराधी इसके तहत जेल में आया है उसको ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार खाद्य विभाग को अपने हाथ में लेना चाहिये और ऐसे जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिये कि जिनको निरुद्धि के आदेश दिये गये वह बिना कोर्ट के आदेश के बाहर कैसे हो गये, इस चीज में या तो जिलाधिकारियों की अक्षमता है या फिर कानून में कोई लेकुना है। इस पर सोचना चाहिये।

मान्यवर, दूसरा जो 1977 का स्टाक के संबंध में है कि सारी घोषणा स्टाक की व्यापारी लोग करें। इस कानून के अन्तर्गत सूची टांगने का आदेश है। उत्तर प्रदेश में कोई भी भंडारण करने वाला बड़ा व्यापारी अपने भंडारण का सही मूल्यांकन और सत्यापन आपके विभाग से नहीं कराता है। दूसरी बात किसी भी फुटकर दुकानदार के यहां मूल्यसूची नहीं टांगी जाती लेकन जहां कहीं थोड़ा बहुत उपभोक्ता जागरुक है तो वहां मूल्य सूची दुकानदार को टांगना पड़ता है। बाकी किसी छोटे कस्बे में या साधारण जगहों पर मूल्य सूची नहीं टांगी जाती है। सीतापुर के हरखचंद उद्योग का और कोटद्वार का एक मामला आया था, माननीय मंत्री जी ने कहा कि खांडसारी के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, गेहूं के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सीतापुर की फर्म नियमित तौर पर अपने प्रदेश से गेहूं नागालैण्ड तथा मेघालय ले जाकर ब्लेक मारकेट में बेचवा रही है।

सीतापुर की फर्म, सीतापुर से, बाराबंकी या लखनऊ से गल्ले की बुकिंग नहीं करती है वह दरियाबाद से गल्ले की बुकिंग करती है और फर्म सीतापुर में है। क्यों ऐसा होता है कि फर्म तो है गाजियाबाद में और बुकिंग होती है कोटद्वार से। ऐसा इसलिये होता है कि यदि सीतापुर या गाजियाबाद से बुकिंग करें तो पकड़ में आने की संभवना है इसलिये यहां से बुकिंग नहीं की जाती है। ब्लक मारकेट और तस्करी करने क लिये बुकिंग गोदाम से दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर छोटे रेलवे स्टेशन से करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भावुक और भोले भाले मंत्री जी जो हैं उनके विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। मैं समझता हूं कि भावुकता में वह उन्हीं की डिफेंस में यहां बयान देने लगते हैं। मेरा कहना है कि रसद एवं आपूर्ति जैसे भ्रष्ट विभाग को प्रोफेसर साहब जैसा मंत्री अपने हाथ के पंजे में नहीं कर सका तो मैं समझता हूं कि किसी दूसरे मंत्री का इस विभाग पर वश चलने वाला नहीं है।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, कोटद्वार का जो मामला है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही पकड़ा था। उनका कोई दोष है नहीं बल्कि उनकी तो सराहना होनी चाहिये। अब अधिकारियों ने उसको खांडसारी पाया इसलिये वह छूट गया। वह अपनी सुविधा का स्टेशन चुनते हैं जहां उनको रेक मिलती है। यह आम चलन की बात है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिसके बारे मे मन्त्री जी ने जिक्र छेड़ दिया है तो यह बता दें कि मेडिकल इक्जामिनेशन उस चीनी का कब कराया गया है और रिलीज कब कर दिया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

उसके बारे में मैंने कहा है कि अगर माननीय सदस्य उठायेंगे तो हम उसको दिखवा लेंगे ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं किसी दल की बात नहीं कह रहा था । मैं तो सराहना करना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर भी ईमानदर लोग हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं जो वहां गलती से पड़े हुये हैं । वह लोग इस बात को प्रकाश में लाये, लेकिन आपका बेईमान विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है यह उपेक्षा है उस चीज को आप देखें । विभागीय गलती की वजह से जिस तरह की कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं हो रही है । मै तो कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं की खाद्य समिति बना दें क्योंकि हम लोगों में से आप बनाने वाले नहीं हैं आप कांग्रेस पार्टी के लोगों में से खाद्य समिति बना दें । मै तो किसी भी जिलाधिकारी के मुकाबले में वहां बेईमान से बेईमान कांग्रेस पार्टी के मंत्री को ज्यादा अच्छा मानता हूं । जब अफसर के चुनने की बात आयेगी तो मेरे जैसा आदमी अफसर को नहीं चुनेंगा ।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले खाद्य सचिव, श्री मनोहर सुब्रामणियम, उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री और माननीय खाद्य मंत्री को उनकी ईमानदारी के बारे में अनावश्यक विश्वास था । मै बीसों प्रमाण उपस्थित करने को तैयार हूं कि सचिवालय की परिधि के अन्दर इतने भ्रष्ट सचिव आज तक नहीं हुये । लेकिन केवल इसीलिये कि वे फ टहा कोट पहन लेते हैं, ऐसे अधिकारी को लोग समझते हैं बड़े ईमानदार हैं । श्री राम आसरे वर्मा जी का एक प्रश्न था कि उन्होंने क्या-क्या भ्रष्टाचार किये थे, वह प्रश्न स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि एक आई0ए0एस0 सचिव का सवाल है , इसलिये वह स्थानान्तरित हुआ है 23वें शुक्रवार के लिये, जो कि आने वाला नहीं है । मेरी सुनिश्चित जानकारी है और मा0 मंत्री जी आपने भी कहा है कि जो क्रशर चलाने वाले लोग हैं, उनकी जो लेवी थी, उन्होंने पिछले जनवरी महीने तक नियमित तौर पर दी और उसके बाद बन्द कर दी । आपने अप्रैल में घोषणा की कि नियमित तौर पर जो खाण्डसारी की लेवी थी, उसे जिन्होंने नहीं दिया है उनके संबंध में बैंकों को कहना चाहते हैं कि गारण्टी को जब्त कर लें, लेकिन आज तक अपने नहीं किया । बाद में मनोहर सुब्रामनियम की चालाकी से यह नियम बन गया कि जिनकी लेवी बाकी है, वह इस साल में लेवी दे देंगें । पिछले साल खाण्डसारी का दाम बाजार में बहुत था, इस साल बहुत कम है । पिछले साल 600--700 रु0 की खाण्डसारी बेचकर यदि उतनी ही इस साल जमा कर दें, तो प्रति कुन्टल 300-400 रु0 का मुनाफा होगा । मुझे मालूम हुआ है कि खाण्डसारी वालों ने सचिव को लम्बी रकम रिश्वत में दी थी, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पायी । आप इसकी जानकारी करायें । इनके सारे गोदाम भरे हुये थे, वे कम होने वाले नहीं थे, चूंकि बाजार में भाव बहुत गिर गया था, इसलिये एक साजिश की मिल मालिकों ने कि आपके सचिव को पटाकर, अक्टूबर महीने में ही दीपावली आयी, दशहरा आया, ईद बकरीद आयी और एक बनावटी संकट लागू किया गया और मैदा के ऊपर दाम भी नहीं बढ़ रहे थे, इस पर फ्लोर मिल के मालिकों के हित में विभाग की नीति बदली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह--]

और अक्टूबर में नियंत्रण लागू किया गया। मैदा के दाम 45 रु0 से लेकर 55 रु0 प्रति क्वि0 तक इस प्रदेश में बढ़े और इस प्रदेश के फ्लोर मिल मालिकों ने करोड़ों रुपया कमाने का काम किया ।

मुझको मालूम है कि जो गैन्जेज फ्लोर मिल है कानपुर की उस पर इन्कमटैक्स विभाग ने छापा मारा। उस फ्लोर मिल के गेट पर जो मूर्ति रखी थी, उसको जो हीरे और मोतियों की माला पहनायी गयी थी, उसका मूल्य सवा करोड़ रुपये था। कितने टैक्स की उसने चोरी की और हम को इस बात की भी निश्चित जानकारी है कि इसके नेतृत्व में कई फ्लोर मिल्स से 50-50 हजार रु0 इकट्ठा किया गया और आपके विभाग के अधिकारियों को दिया गया और मैदा के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया।

सभी जगह आपकी सरकार छापा मार रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सीमेण्ट के वितरण के बारे में जहां अधिकारी चाहते हैं कि अपने लोगों को देना है, कहते है विधायकों से लिखा लाओ और उस लिखे हुए पर जारी कर देते हैं, लेकिन वास्तव में विधायक जिसको चाहता है, उसको नहीं मिलता है। क्या आप इस प्रकार का नियम नही बना सकते कि हमारे कहने पर भी सीमेण्ट का वितरण न हो लेकिन वह तहसील हैडक्वार्टर से जितना सीमेण्ट बंटता है उनकी सूची जो विधायकों के यहां भेजी जाय जिससे हम भी सत्यापन कर सकें कि जितने लोगों को आपने सीमेण्ट दिया है, वे वाजिब हैं या नहीं। यदि यह बात आ कर सकेंगे तो अच्छा होगा। जो मिट्टी का तेल देवरिया में दिये जाने का मामला है उसमें किसी विधायक के हस्ताक्षर हैं। आपके आदेशों का यह काम है कि आपके विभाग के जो आदेश होते हैं, जिस तरह के आदेश हों उसका पालन किया जाय। परन्तु आपके इस तरह के आदेश देने के बावजूद भी सूची नहीं दी जाती है। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा जिससे कि हमारी भी एक अंकुश वितरण के ऊपर हो सके। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अभी जिस उदारता के साथ कह रहे हैं, उसी के अनुसार वे इस बात को पूरा कराने का प्रयास करेंगे।

आपका एक विभाग है जिसमें कोई सर्विस रुल्स नहीं हैं। हमारी जानकारी में है कि अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कि तीस-तीस साल और 35-35 साल की जिनकी नौकरी है वह आपके मारकेटिंग इंस्पेक्टर और अन्य कर्मचारी हैं और आपके विभाग की सेवा करते हैं परन्तु कोई सर्विस रुल न होने के कारण वह सर्विस में अपनी नौकरी में इतमिनान नहीं कर पाते। हमारी जानकारी है मान्यवर, कि हमारे एक नजदीकी रिश्तेदार आपके विभाग में मार्केटिंग इंस्पेक्टर थे, यह तीन साल पुरानी बात है, उन्हें हटा दिया गया और उनको उनकी भविष्य निधि नहीं दी गयी। उस समय हरिश्चन्द्र जी मंत्री थे, उनसे मैंने कहा और लिख कर दिया उन्होंने छानबीन की। फिर उनको लिख कर मिल गया कि वे आज तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन उनका जो अपना वांछित है, उसे नहीं देते हैं तो इस पर अब हमें कुछ कहना पड़े, यह कोई कहने की बात नहीं, हमारा क्या नैतिक आधार रह जाता है।

दूसरी बात हमारे प्रदेश में चीनी मिल के मालिक क्या करते हैं कि 35 फीसदी चीनी इस देश की देश से बाहर जाती है और जा रही है बेचने के लिये। आपने ही कहा कि खांड-सारी बेचने के लिये स्वतन्त्र है। लेकिन यही बात आप किसान के ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? जो किसान गेहूं पैदा करता है उसका गेहूं प्रदेश से बाहर जाने की बात कौन कहे, आप उसे एक जिले से दूसरे जिले नहीं जाने देते। आपका कहना है कि ए0आर0ओ0 की आज्ञा आवश्यक है जबकि सुप्रीम कोर्ट को आप भी मानते हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ए0 आर0 ओ0 के सत्यापन से गेहूं को बाहर जाने की छूट है। लेकिन आपने कहा कि ए0 आर0ओ0 के आदेश जरूरी हैं। आज गेहूं का भाव गिर रहा है। उसके उत्पादक प्रदेश में

हैं लेकिन गेहूं के उत्पादकों की संख्या प्रदेश में बहुत ज्यादा है। यहां पर 70 प्रतिशत उत्पादन हैं और 30 प्रतिशत एग्रीकल्चर लेबर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी पैर तोड़ कर बैठी हुई है। इस पर आप ही क्रय करके एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और बाहर ले जाने के लिये उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं। मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस प्रतिबन्ध को तोड़ने का प्रयास कीजिये।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हमारे मंत्री जी जो कि बहुत ही उदार हैं और जिसका परिचय उन्होंने अभी यहां पर दिया है क्योंकि यह भी सरकारी पार्टी के उत्पीड़न का शिकार हो चुके हैं, उसके उत्पीड़न के रवैये से यह भी ग्रसित हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इनके रहते वितरण प्रणाली में एक अच्छी, स्वस्थ, सुदृढ़ तथा स्वच्छ वितरण व्यवस्था को आप लागू करेंगे। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

मान्यवर, आपने मुझे माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया है, मैं उसके लिये अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट आज यहां रखा है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और जबसे वे मंत्री बन कर आये हैं और उन्होंने जो सुधार इस विभाग में किये हैं उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और मैं इसलिये उन्हें बधाई देता हूं।

मान्यवर, आप जानते हैं, पूरे सदन के सम्मानित सदस्य जानते हैं कि खाद्य और रसद विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे जनता के जन-जीवन से सीधा संबंध है। मान्यवर, खाद्य और रसद विभाग से हमारी या दूसरी कोई भी पार्टी का जो कि सत्ता में होती है, उसका जो इम्पैक्ट है, जनता द्वारा उस पर असर पड़ता है। इसको लेकर उसकी आलोचना और उसकी तारीफ दोनों बातें होती हैं और यह बात निर्णय करती है कि भविष्य में कौन सत्ता में आयेगा इसलिये मान्यवर, जिस प्रकार हमारे देश में मुद्रास्फीति हुई, ऊर्जा का संकट रहा, उत्पादन में गिरावट आयी उस पर तो पिछले एक साल के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने कड़े कदम उठाये, वितरण की व्यवस्था में नियंत्रण लाये, वह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, उसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। परन्तु साथ ही इस बात से संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिये क्योंकि अभी वितरण व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार करना है। मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे मुद्रास्फीति ठीक हो रही है, उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि यह वर्ष उत्पादन वर्ष घोषित किया गया है तो इस तरह से हम मूल्यों पर नियंत्रण कर पायेंगे और इसके कारण वितरण की व्यवस्था में काफी सुधार होगा।

मान्यवर, 1979 में जो आंकड़े थे उसके अनुसार जो अब 1981 के आंकड़े आये हैं उसे देखकर हम लोगों को प्रसन्नता हुई है जहां पर इस विभाग का नये सिरे से काम हुआ है उसमें 1979 से ज्यादा आदमी पकड़े गये और इस संबंध में तमाम रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, छापे मारे गये तो इस तरह से मूल्यों पर कुछ नियंत्रण हुआ है, लेकिन अभी इसमें और ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है कि इसमें छापे और कैसे मारे जायं और कैसे ज्यादा से ज्यादा मूल्यों पर नियंत्रण करें जो जमाखोर हैं, जो ब्लैक मार्केटीयर हैं जो ब्लैक में चीजों को बेचते हैं, जो कम दाम में चीजों को लेकर ज्यादा मूल्यों में चीजों को बेचते हैं तो मैं समझता हूं कि जन-जीवन संबंधित जो हमारे विभाग हैं, उसमें से माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग में काफी सुधार किया है। परन्तु इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, अभी इसकी कमियों के

[श्री ओम प्रकाश जिन्दल--]

लिये और भी कदम उठाने आवश्यक हैं और जिसमें हमारे विपक्ष के सदस्यों का सहयोग भी जरूरी है। मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी अपना सहयोग इस दिशा में सरकार को अवश्य देंगे।

मान्यवर, आप देखें कि सुधार हुआ है परन्तु उसमें कुछ अभी भी कमियां हैं, जिसको हमारे मंत्री जी ने स्वीकार किया है। पिछले वर्ष मंत्री जी ने घोषणा की थी कि दो करोड़ राशन कार्ड भी छप कर आ जाएंगे और उसे हम जनता के बीच वितरित कर देंगे। जो चालू और जाली राशन कार्ड हैं उन सबको हम समाप्त कर देंगे, लेकिन मुझे अफशोस है और भी सदस्यों को अफशोस है कि अभी तक एक भी कार्ड नहीं दिया गया और पता नहीं वह दो करोड़ कार्ड कब छपेंगे तथा बोगस यूनिट, बोगस राशन कार्ड के द्वारा जो फायदा पहुंच रहा है वह राशन के दुकानदारों को और प्रदेश की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से तो ऐसे नागरिक हैं जिनके पास कार्ड ही नहीं हैं, हम लोग संस्तुति करते हैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर, सोच विचार कर, लेकिन कार्ड नहीं बनते और हमारी संस्तुतियां रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती, आखिर कब की जायेगी मंत्री जी इस बात का पता लगायें कि विधायकों की सही संस्तुतियों के आधार पर भी कार्ड क्यों नहीं बनाये गये ?

आटा, मैदा, चोकर के वितरण में बड़ा भारी धपला हुआ और पिछली दीवाली जो गई है उस वक्त हमारे मंत्रीजी ने बहुत कोशिश की और काफी सुधार लाये लेकिन उसके बाद उन भ्रष्ट अधिकारियों ने, जो सरकार की नीतियां हैं, जिसका जनता के जन-जीवन से सम्बन्ध है उनके जीवन से खिलवाड़ करके वितरण प्रणाली को फेल करने की कोशिश और आर0 एफ0 सी0 आगरा और आर0 एफ0 सी0 कानपुर ने आटा मिल मालिक से मिल कर लाखों रुपये पैदा किये, आप बताइये, क्या होगा प्रदेश में जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, कब तक हम जनता को धोखा देते रहेंगे ? हम जब जनता के बीच जाते हैं जनता पूछती है कि आपकी सरकार है तो क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है, इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आर0 एफ0 सी0 आगरा के खिलाफ विजिलेंस इन्क्वायरी हुई थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि लाखों रुपये पैदा किये, उनके मातहत कर्मचारियों ने पैसे लिये लेकिन एक भी अफसर के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, इसको देखें इसमें कौन से लोग हैं जो उनको बचा रहे हैं, आपकी छवि बिगाड़ रहे हैं, वितरण व्यवस्था में रुकावट डाल रहे हैं, पार्टी की इमेज खराब कर रहे हैं ? इसके लिये कठोर मापदण्ड अपनाने होंगे, कड़ा ऐक्शन लेना होगा।

फूड एडवाइजरी कमेटी बनायी गयी, कितनी मीटिंग्स हुई उसकी? आगरा में एक हुई, वह बैठक बुलवाते ही नहीं तो वितरण व्यवस्था के बारे में विधायक किस प्रकार से सहयोग करें, कैसे विचार-विमर्श करें, हमारी समझ में नहीं आता किस तरह से वितरण व्यवस्था को ठीक करें। प्रदेश लेविल पर जो अधिकारी हैं, उनसे कड़ाई से निपटने की कृपा करें ताकि समय में मीटिंग्स बुलायें और वितरण व्यवस्था ठीक से चल सके। इसी प्रकार का मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर की एक फर्म है जगदीश प्रसाद बजरंगी लाल। कानपुर के बाहर से कोई सामान ला रहे थे ट्रक से। फतेहगढ़ में पकड़ लिया, आर0एफ0सी0, कानपुर, डी0 एम0 कानपुर, ने जजमेन्ट दिया कि उस एस0एम0आई0 के खिलाफ कार्यवाही की जाये। लेकिन न तो प्रदेश शासन ने और न जिला प्रशासन ने कार्यवाही की और उसने पैसा लेकर के ही ट्रक को छोड़ा।

इस तरह से उपरोक्त कार्य में जो 23 हजार रु0 का नुकसान हुआ। मान्यवर, एक एस0 एम0आई0, भगवान सिंह हैं उन्होंने चावल मिल में पार्टनरशिप कर रखी है उसने 900 क्विंटल

धान और 200 क्विंटल चावल पैसे लेकर दबा दिया। आप देखें कि किस प्रकार यह भ्रष्ट अधिकारी शासन की नीतियों के खिलाफ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। इनके खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसी तरह से मिट्टी के तेल के बारे में 5 लीटर तेल देने के आदेश हैं लेकिन 2 लीटर से ज्यादा तेल जनता को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, यह देखने की बात है। यह अफसर अपने कमरे में बैठे टाई और कोट में सजे बैठे रहते हैं जब उनसे पूछें या बात करें तो कहते हैं कि हम देखेंगे, कुछ करेंगे लेकिन सारी बातें उनकी प्यारी-प्यारी मुस्कराहटों में रह जाती हैं। आपको यह सोचना होगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर किस तरह से काबू पाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का तहेदिल से हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मोहन सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, खाद्य विभाग के कार्य क्षेत्र और उद्देश्य पर अगर दो शब्द कहे जायं तो संक्षेप में यह कहना होगा कि खाद्य विभाग का कार्य ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिले और उसके साथ ही साथ जो उपभोक्ता हैं वह एक रेट के ऊपर और संयत ढंग से वस्तुओं को प्राप्त कर सकें और उसका समायोजन ठीक प्रकार से किया जा सके और इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का हित होना चाहिए लेकिन इस वक्त न तो किसान का हित हो रहा और न उपभोक्ता ही अपने अधिकार प्राप्त कर पा रहा है और साथ ही साथ जो वितरण के अंग हैं उनमें कार्य करने वाले जो ईमानदार हैं और सच्चाई से काम करते हैं उनकी प्रताड़ना हो रही है और जो भ्रष्ट हैं, बेइमान हैं, शासन की नीतियों से अलग काम करना चाहते हैं उनका रास्ता साफ होता जा रहा है।

इसी आदरणीय सदन में मा0 मंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में बताया था 18–1–82 को कि उनके द्वारा खरीदा गया गेहूं 136 रु0 36 पैसे पड़ता है लेकिन उसके बाद खरीदते हैं आप 130 रु0 और यह भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके साथ ही साथ विदेशों से भी गेहूं मंगाया गया और विदेशों को 138 रु0 प्रति क्विंटल के दाम दिए। अमेरिका से जो गेहूं मंगाया गया उसकी 162 रु0 यहां आकर कीमत पड़ी। यह उनको ज्यादा पैसा देने को तैयार हो गए लेकन जो हमारा काश्तकार था उसके लिये कोशिश नहीं की गई हमारी मांग थी कि 150 रु0 दे दिया जाय लेकिन इस सरकार ने नहीं दिया जब कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां दिया। आज काश्तकार के पास अभी भी गेहूं है क्योंकि उसने सस्ते दामों पर आपको गहूं नहीं दिया। यह जो किताब है खाद्य तथा रसद विभाग की उसमें दिया हुआ है कि आपका लक्ष्य था दो करोड़ क्विंटल 20 लाख मैट्रिक टन जिसमें आपने 14 लाख 96 हजार क्विंटल उनसे खरीदा।

आपने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट दाखिल करता है तब तो आप मना कर देते हैं कि हमने कोई पाबन्दी नहीं लगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

रखी है लेकिन अपने सक्षम अधिकारियों, को आपने निर्देश दे रखा है कि किसी को भी गेहूं निर्यात करने की अनुमति न दी जाय। इसका परिणाम यह हो रहा है कि काश्तकार उत्पादन करने में हतोत्साहित हो रहा है क्योंकि उसे उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता है। बाजार में माल भरा रखा है लेकिन आपने व्यापारियों के स्टाक रखने पर लिमिट लगा रखी है। अगर कोई व्यापारी आकर कहता है लाइसेंसशुदा व्यापारियों को गेहूं निर्यात करने का अवसर न दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इससे काश्तकारों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और इसकी वजह से काश्तकार हतोत्साहित हो जायेगा। और 25 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसका पूरा होना शंका की बात हो जायेगी। श्री मोहन सिंह जी ने भी इस पर बल दिया है कि गेहूं का निर्यात खोल दिया जाय।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सीतापुर उत्तर भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी है। चार पांच वर्ष से मूंगफली की फसल बर्बाद हो रही थी लेकिन इस साल मूंगफली की फसल अच्छी हुई है। जनता सरकार और वर्तमान सरकार भी बराबर इस बात के लिये प्रयत्नशील रही कि काश्तकारों को मूंगफली की फसल का अच्छा दाम दिया जाय। आज सीतापुर बाजार में 20 हजार क्विंटल मूंगफली रोज आ रही है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एडिबुल आयल स्टोरेज कंट्रोल आर्डर, 1977 के तहत एक आर्डर निकाल दिया कि एक साल के अन्दर जो खरीदारी हो उसका एक बटा आठ ही स्टाक रखने की अधिकतम सीमा होगी। लेकिन जब दिल्ली में बैठकर वे लोग यह आर्डर निकाल रहे थे, उस समय उनके सामने मद्रास और आंध्र की मंडियों में स्टाक लिमिटेशन की कोई बात नहीं थी।

सीतापुर मंडी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी है। लेकिन सब लोग इस बात को जानते हैं कि साल में केवल तीन महीने ही वहां मूंगफली आती है। मूंगफली के स्टाक पर कंट्रोल की सीमा लगा देने से मूंगफली आयल के प्रोसेसिंग में बड़ी दिक्कत पैदा हो गयी है। मूंगफली को साफ करने, उसके दाने तोड़ने व सूखाने में 5, 6 दिन लग जाते हैं। छोटा-सा स्पेलर भी जो लगाये हुए हैं उसको भी अपना स्टाक न रखने देने से वह भी पूरी तरह से तेल नहीं निकाल पाता। बाजार में मूंगफली पड़ी हुई है जिसे खरीदने वाला कोई नहीं है। जब कोई स्टाक रह ही नहीं सकता तो उसे वे रखेंगे कहां। धान के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि उसे रा मेटिरियल माना गया है। धान के स्टाक रखने की कोई लिमिट नहीं है तो यह ठीक ही है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं भी होर्डिंग का समर्थन नहीं करता। लेकिन मूंगफली का क्या हो रहा है। मूंगफली के स्टाक करने पर तो सीमा लगा दी गयी है लेकिन तेल के स्टाक करने पर कोई लिमिट नहीं है। आखिर जब मूंगफली होगी तभी तो अधिक तेल का स्टाक किया जा सकेगा। इस तरह से यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात है। मैं मूंगफली के काश्तकारों के हित की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि धान की तरह से ही मूंगफली को रा मेटिरियल मानकर स्टाक करने की लिमिट हटा ली जाय।

मूंगफली का स्टाक लिमिट रहने से काश्तकारों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकार अगर अपनी एजेंसी के जरिये भी मूंगफली के खरीदने का प्रबन्ध करती तो काश्तकारों का कुछ भला हो सकता था लेकिन ऐसी कोई सरकारी एजेंसी न होने से आज मूंगफली का काश्तकार मर रहा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि धान पर जिस तरह से कोई पाबन्दी नहीं है। उसी तरह से मूंगफली के स्टाक पर से भी पाबन्दी को हटाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करें। मूंगफली के स्टाक लिमिट को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उसमें लाखों लोग काश्तकार, मजदूर और व्यापारी लगे हुए हैं।

अब मैं जन-वितरण प्रणाली के बारे में आपका ध्यान दो चार बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। जन-वितरण प्रणाली के संबंध में जो आंकड़े आपने दिये और जो आपकी यह पुस्तिका छपी है, उससे भिन्न है। दो करोड़ कार्ड्स आप छपवा रहे हैं। लेकिन दो करोड़ या चार करोड़ काड़्स छपवा देने मात्र से इस समस्या का समाधान कैसे होगा इस पर आप जरा विचार करें।

यह जो आपने पुस्तिका दी है इसके पृष्ठ 8 पर देखें। जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार 10737 दुकानें मात्र हैं। लेकिन आपके मुंह से 20,000 दुकानें निकला।

श्री वासुदेव सिंह––
सरकारी, फेयर प्राइस शाप.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर आप की बात सही मान ली जाय, 20,000 दुकानों में से 10737 ग्रामीण अंचलों में बाकी शहरों में हैं। आपने कहा ग्रामीण अंचलों की एक दुकान में चार हजार यूनिट्स लिखा हुआ है। शहर में दो हजार लिखा हुआ है। इनको दो हजार और चार हजार से गुणा कर दें, तो मात्र पांच करोड़ यूनिट्स आपके सामने आते हैं। हमारी जितनी पापुलेशन है उसमें से पांच करोड़ लोग कन्ट्रोल में आ रहे हैं। इसका मिलान करता हूं। आपका चीनी वितरण हुआ है। पृष्ठ 10 पर दिया हुआ है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात कि सरकार गांवों की बात करती है, गरीब वर्ग की बात करती है, उपेक्षित किये जाने की बात करती है लेकिन गांवों में जो चीनी वितरित की गई वह जनवरी 81 के मुकाबले दिसम्बर में कोटा चीनी का काट दिया गया।

मैं बहस नहीं करना चाहता। शहर से ज्यादा न हो लेकिन शहर के बराबर तो होना ही चाहिए। जितनी मात्रा शहर में मिलती है गांवों में भी मिलनी चाहिए। लेकिन आपने मानक निर्धारित किया है––जनवरी में 26233 मैट्रिक टन और दिसम्बर में 25940। साढ़े सात सौ ग्राम के मानक से जोड़ने की कोशिश करें तो केवल साढ़े तीन करोड़ उपभोक्ताओं को ही चीनी बांट सकते हैं। आप मिलान कर लीजिए। केवल साढ़े तीन करोड़ उपभोक्ताओं को मिल सकती है। आपने घोषणा कर दी कि कार्ड छपवा देंगे। इससे कोई हल नहीं होगा। हल इस बात से होगा कि उत्तर प्रदेश की चीनी के कोटे को बढ़ाने की कोशिश की जाय।

इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा। वह यह है कि आपने ऐलान किया कि सहकारी सेक्टर को दुकान दे दें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो एक मांग करते हैं कि उपभोक्ता को चीनी मिटटी, तेल मिल जाय चाहे निजी से हो चाहे सहकारी से हो। इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहकारी सेक्टर को दे दिया। परिणाम देख लीजिए। जहां पहले एक कोटेदार के पास तो हजार यूनिट्स थे वहां आपने चार हजार कर दिये। दूसरा क्या हो गया? बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जिन सोसाइटीज के पास पैसा नहीं है कि वह कोटा को उठा सकें।

मैं आपके सामने अपने जिले के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। गांवों में आदमी को काफी दूर जाना पड़ता है राशन लेने और उतनी दूर जाकर मालूम हुआ कि कोटेदार सामान नहीं उठा रहा है। मेरे ब्लाक परसौनी में सात न्याय पंचायतों में मात्र एक दुकान काम कर रही है। 7–8 मील पैदल जाना पडता है कैसे पायेंगे? चीनी कैसे पायेंगे? न्याय पंचायत, मान्यवर, इस तरह से काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार अपनी जगह पर पनप रहा है। भ्रष्टाचार को रोक कैसे पायेंगे, यह सोचिये।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

श्री सुब्रमनियम का जिक्र किया माननीय मोहन सिंह ने उनके हस्ताक्षर से एक परिपत्र जारी हुआ। खाद्य तथा रसद अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, 13 अप्रैल, 81। उस समय जारी हुआ जिस समय आपने वितरण की प्रणाली का भागीदार बना दिया सहकारी समितियों को। भ्रष्टाचार दूर हो गया। कोटा उठा ले गये लेकिन लोगों को चीनी नहीं मिली। उनके खिलाफ जब किसी जिम्मेदार, चरित्र वाले अधिकारी ने हाथ डालने की कोशिश की (व्यवधान).....

मान्यवर, जरा ध्यान दें। मैं उस पत्र की एक दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। "शासन को यह सूचना मिली है कि आपके जिले में सहकारी समितियों द्वारा चलायी जा रही गल्ले की दुकानों को निरस्त करने की कार्यवाही कई जगह की जा रही है। शासन के निर्देशों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यद्यपि सहकारी समितियों के संचालन का निरीक्षण समय-समय पर किया जाना आवश्यक है, फिर भी अनियमितताओं के पाये जाने पर संबंधित दुकानों के लाइसेन्स निरस्त नहीं होने चाहिये बल्कि अनियमितताओं की सूचना सहायक निबंधक को तत्काल इस आशय के साथ देनी चाहिए कि वे इस पर उचित कार्यवाही कर सकें।"

मान्यवर, यह सरकारी परिपत्र है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया है अगर मैं यह कहूं तो अत्युक्ति न होगी। आगे लिखा हुआ है कि "अतः मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गई है कि यदि सहकारी समितियों का लाइसेन्स निरस्त किया गया हो तो उन्हें पुनः कार्य करने का अवसर प्रदान करें और कर्मचारियों जिसके द्वारा अनियमिततायें की गयी हैं उसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सहायक निबंधक को समुचित आदेश देने का कष्ट करें।

इस संबंध में यह भी ध्यान में रखा जाय कि सामान्यतया अनियमितताओं का उत्तरदायित्व समिति के सेल्समैन पर होता है और समिति के सचिव के विरुद्ध कार्यवाही उन्हीं परिस्थितियों में उचित होगी "इस तरह से आगे भी विस्तार से दिया गया है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सचिव के खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं करेंगे लेकिन जो 160 रुपये पाने वाला सैल्समैन है उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। वहां का सुपरवाइजर जिसका कि क्षेत्र में प्रभाव रहता है, उसके खिलाफ भी आप कोई ऐक्शन नहीं लेंगे, सैल्समैन के ऊपर लेंगे तो इस तरह से कैसे काम चलेगा। भ्रष्टाचार को शासन की तरफ से संरक्षण दिया गया है। मान्यवर,मेरी साफ मांग है कि आप इतनी दुकानें बढ़ायें कि किसी भी उपभोक्ता को एक किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर सामान लेकर न जाना पड़े चाहे आपको दो हजार यूनिट अटैच करना पड़े या 2 सौ यूनिट अटैच करनी पड़ें।इसके अतिरिक्त इस दिशा मे युद्धस्तर पर काम करने के जरूरत है। जिनके पास कार्ड नहीं है, परमिट बनाते समय यह कहा जाता है कि वे राशन कार्ड ले आवे। राशन कार्ड बनाने में कितनी दिक्कत उनको होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। लोग एफीडेविट देते हैं।

सीतापुर में पिछले एक वर्ष में मात्र 14 कार्ड बने हैं और वे भी किनके हैं? वे 14 कार्ड बड़े-बड़े राजकीय अधिकारियों के हैं। लोग एफेडेविट देते हैं किन्तु कार्ड बनाने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप राशनकार्ड की व्यवस्था करे। आपने घोषणा की है और जैसा कि मैंने "पैट्रिआट" मै पढ़ा है आपने कहा है कि आप सस्ते गल्ले की दुकानों में कुछ आवश्यक वस्तुयें भी जिनकी स्केयरसिटी है, वितरित करेंगे। कुछ ऐसी भी समितियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनको आप पैसा दिलाने की व्यवस्था करें।

एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। उसमें मार्जिन आफ प्रोफिट तो बहुत कम है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे आदेश हैं कि जो राशन का सामान

शहर में जायगा तो उस पर चुंगी नहीं पड़ेगी लेकिन शायद ही कोई ऐसी नगरपालिका हो जो चुंगी न लेती हो। सामान एफ0सी0आई0 के गोडाउन से वहां जाता है लेकिन चुंगी ली जाती है। इसको आप देखें और ठीक करने की व्यवस्था करें। क्योंकि जब आप यह घोषणायें करते हैं और हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं तो जनता शिकायत करती है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

अभी एक नवम्बर, 1981 के 'दैनिक जागरण' में आपने घोषणा की है कि चीनी मिल के फाटक पर फुटकर चीनी की दुकानें खोली जायेंगी। यह हमारे राज्य मंत्री श्री कुशवाहा जी की घोषणा है। जो किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को देता है उसको मिल के फाटक पर ही चीनी उपलब्ध हो जायेगी, यह आश्वासन दिया गया लेकिन यह केवल आश्वासन बनकर ही रह गया, कोई दुकान नहीं खुली। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन दुकानों को खोलने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, अभी वनस्पति घी की चर्चा में आपने कहा कि वनस्पति पर हमारा कंट्रोल नहीं है और इस पर केन्द्र सरकार का कंट्रोल है। मान्यवर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है वहां कोई दूसरी पार्टी की सरकार नहीं आपकी ही पार्टी की सरकार है आप उनसे वार्ता करके नियम बनाते हैं। क्या यह सही नहीं है कि वनस्पति वालों को रा-मैटीरियल आप अपने पास से देते हैं फिर उसके दाम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं? आप उनको बुलाकर कहिये कि इससे ज्यादा दाम न हो। अभी-अभी 27 रु0 एक टिन में बढ़ा दिया। क्या यह सही नहीं है कि वनस्पति घी प्रीमियम में 20 और 40 रु0 ज्यादा में बिक रहा है? आपने कोई कार्यवाही इस पर नहीं की।

अभी आपने रेपसीड के बारे में घोषणा की थी मैं कहना चाहता हूं कि वह जैसा आया वैसा ही बिक गया, उसका आपको प्रोसैसिंग करके बेचना था लेकिन उसमें लेबल लगा दिया गया और बिक गया। जो आपके यहां भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने में आप असमर्थ रहे हैं। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे कुछ ज्यादा समय देने की कृपा करें मैं पार्टी के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं। तो मैं आयातित तेल के बारे में बता रहा था पहले आयातित तेल आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से बिका करता था जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली तो आपने तय किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होगा। फिर कौन सा दबाव आ गया मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में तेल दुकानों तक गया भी नहीं कि आपने उसे संशोधित कर दिया। नवम्बर, 81 में कि राजकीय संस्थाओं को भी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर परमिट दिये जायेंगे और यह परमिट देने का काम और वितरण का काम जिलाधिकारी पर छोड़ दिया। अभी तक तो वह सहकारी संस्थाओं के माध्यम से और सस्ते गल्ले की दुकानों के द्वारा बिकवाने की चेष्टा की और फिर परमिट देने की प्रथा चला दी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह लोगों को मिलने वाला नहीं है।

विभाग में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अभी माननीय मोहन सिंह जी ने एक मामले पर चर्चा की, कल एक प्रश्न आया था मुझे उस समय प्रश्न करने का अवसर नहीं मिल पाया, मैं माननीय अध्यक्ष की दृष्टि नहीं पकड़ पाया। मेरी सुनिश्चित जानकारी है जिस चीनी को कमिश्नर ने पकड़ा, मैं आपके उस कार्यकर्त्ता की तारीफ करूंगा कि उसने सामान पकड़ा लेकिन आपकी पार्टी के ही लोगों ने उस ईमानदार कार्यकर्त्ता को भी दबा दिया और उससे लिखवा लिया कि मैंने शिकायत की थी लेकिन बाद में तथ्यों की जानकारी की कि वह चीनी नहीं खांडसारी थी। अगर वह चीनी नहीं है और खांडसारी है तो उसकी कैमिकल जांच कानपुर से होती है, वह चीनी वहां भेजी जानी

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

चाहिये थी क्योंकि जिस चीनी के बारे में शक होता है कि चीनी है या खांडसारी है तो उसका एनैलिसिस कानपुर में होता है। तो उस कैमिकल एनैलिसिस होने के पहले ही उसको रिलीज कर दिया गया और वह पाकिस्तान जाने वाली थी वहां चली गयी। मैं आरोप लगाता हूं कि आप कमिश्नर से पूछ लें कि क्या कैमिकल रिपोर्ट आने के पहले वह रिलीज की गयी या नहीं ? (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो एक सदस्य ने आपसे जानना चाहा था कि आपके विभाग में हरिजनों की क्या स्थिति है ? लेकिन उसके बारे में आपके विभाग से जो जानकारी मिली है उससे हमें बड़ी निराशा हुई है। आपके खाद्य विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का कोटा असन्तोषजनक है। आप पुराने समाजवादी हैं, मैं उम्मीद करता था कि कम से कम आपके विभाग में तो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व अवश्य मिलेगा, लेकिन आपके विभाग से संबंधित जो पृष्ठ 10 व 11 पर आंकड़ा दिया हुआ है--अनुसूचित जातियों आदि के आरक्षण की प्रगति सम्बन्धी पुस्तिका में, तो उसमें कहीं एक प्रतिशत है, कहीं दो और कहीं सात। यानी पूरा आरक्षण कहीं नहीं है। मैंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में भी देखने की कोशिश की है, वहां पर भी 18 प्रतिशत पूरा नहीं है, एक आध जगह ही कहीं पूरा हुआ है। वह चिन्ता की बात है इसको मंत्री जी देखने की कृपा करें।

आपके यहां पब्लिक सर्विस कमीशन से चुनकर ए0 आर0 ओज आए थे, उनका प्रमोशन डी0 एस0 ओज पद पर होना था। पहले यह फैसला हुआ था, लेकिन बाद में आपने अपना यह फैसला बदल दिया और अब दूसरा निर्णय हो गया। तो कैसे आपने फैसला बदल दिया, किस आधार पर अपना फैसला बदल दिया, किस दबाव में बदल दिया, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसी व्यवस्था करें कि सभी उपभोक्ता सामग्री को बढ़ाएं, केन्द्र सरकार से मांग करें और चीनी, तेल व सीमेंट सभी की मात्रा बढ़ाएं और उसे समाज के कमजोर वर्ग के आदमियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप यदि ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि ऊंची आय वर्ग की सीमा के लोगों को वितरण प्रणाली से काट दें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो भी आप सीमा तय करें, उसमें प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक परिवार को कार्ड मिले और उसे यह गारन्टी हो कि उसको पूरा सामान मिलेगा। वरना यह समझा जाएगा कि आपकी वितरण प्रणाली असफल रही है और आपका विभाग असफल रहा है। इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री कमला प्रसाद सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जनपद जौनपुर में कुछ ऐसा काम किया है, जिससे कि हमारे यहां की 24 लाख जनता माननीय मंत्री जी को इस सम्मानित सदन के माध्यम से बधाई दे रही है। मैं उसको बताना चाहता हूं और अपनी परेशानियों से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। हमारा जनपद जौनपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है, वहां पर लोग हमेशा बाढ़ की चपेट में या सूखे की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद सिंह –]

चपेट में आते रहते हैं। उनकी परेशानी बहुत ज्यादा है और यह खाद्य व रसद विभाग ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है कि इससे हमारे पूरे प्रदेश की जनता जुड़ी हुई है। तो मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर जनपद में सीमेंट का कोटा जितना था, उससे बहुत कम कर दिया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सीमेंट का कोटा बढ़ाया जाए और मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया जाए।

मैं यह बात कहना चाहता था, जिस पर मंत्री जी को बधाई दी है, मंत्री जी से निवेदन किया था कि वहां पर से भ्रष्ट अधिकारियों को और वहां के सप्लाई विभाग के निरीक्षक को हटाया जाए और उसी के आधार पर उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और सप्लाई विभाग के निरीक्षक को हटाया है, लेकिन उसके बाद जो गये हैं, मेरा ख्याल है, उससे वह कुछ आगे हैं। हमारे यहां अभी अभी एक गोदाम से एक दुकानदार ने सीमेंट निकाली थी और उसको ब्लैक करने के लिये ले जा रहा था, जिसको वहां की जनता ने पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस में रिपोर्ट की और इसके बाद वहां के इंस्पेक्टर और सप्लाई विभाग के लोग उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे सूचना मिली, तो मैंने जिलाधिकारी को अवगत कराया और उन्होंने सिटी मैजिस्ट्रेट को जांच सुपुर्द की और उन्होंने जांच के बाद दो सप्लाई इंस्पेक्टरों को निलम्बित किया।

(3 बजकर 10 मिनट)

और दुकान को भी निरस्त किया तो वहां के इन्सपेक्टर और बहुत से अधिकारी यहां पर डेरा डाले हुए थे लेकिन वे माननीय मंत्री जी के यहां नहीं पहुंच सके और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी उनको दंडित करेंगे।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारे जनपद में आजकल डालडा बिल्कुल समाप्त हो गया है। होली का त्यौहार आ रहा है। वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी इसका लाइसेन्सी है जो अधिकारियों के यहां पर सामान पहुंचा देता है उनके यहां पर छापा नहीं मारा जाता है लेकिन जो सही ढंग से सामान बेचने वाले लोग हैं उनके यहां पर छापा मारा जाता है। मेरा निवेदन है कि कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो अगर वह भ्रष्ट है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। श्री मिश्री लाल जो डालडा के थोक व्यापारी हैं, वे इतना डालडा रखे हुए हैं लेकिन उसमें से एक किलो भी जनता को नहीं मिल पाता है। पूरा का पूरा छोटे-छोटे व्यापारियों के हाथ ब्लेक में बेच दिया जाता है। हमारे यहां पर जो मंडलीय मंत्री जी गये थे, जिस मीटिंग में जिलाधिकारी भी आये थे, मैंने कहा था कि उनके यहां भी छापा मारा जाये भले ही वे कितने ही बड़े आदमी हों, और उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिये।

हमारे यहां पर लोकदल के एक भूतपूर्व विधायक थे, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के नाम पर एक हजार बोरी सीमेंट की ली थी। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गयी, उनके लड़के ने कोल्ड स्टोरेज के नाम पर उस सीमेंट को अवश्य लिया लेकिन सारे का सारा सीमेंट ब्लैक में बेच दिया। इसक बारे में माननीय मंत्री जी जिलाधिकारी को जांच करने के आदेश देने की कृपा करें। मुझे जहां तक जानकारी है उन्होंने सी0 आई0 डी0 द्वारा इन्क्वायरी कराने के आदेश दे दिए हैं लेकिन आज तक भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होनी चाहिये।

हमारे यहां पर एक बक्सा थाना है। उसमें एक ट्रक सीमेंट की पकड़ी गयी थी और थाने में उसको रखा गया लेकिन आज तक भी यह पता नहीं हो सका कि वह सीमेंट कहां गया और उसका क्या हुआ। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको भी दिखवा लें कि वह सीमट कहां पर गायब कर दिया गया और यदि ऐसा किया गया तो दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें।

[श्री कमला प्रसाद सिंह---]

हमारे यहां पर पहले जो प्राइवेट दुकानें थीं, उनमें से बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने बहुत से लोगों के राशन कार्ड्स अपने पास रख लिए थे। वे अब सहकारी समितियों की दुकानों से जो सामान वितरित होता है, उन कार्डस के द्वारा उनसे ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी ने नये राशन कार्ड बनवाने की बात कही तो वहां वे उपभोक्ताओं के लिये नये कार्ड्स बनवाकर जनता में वितरित करा दिए जांय ताकि लोगों को सामान ठीक ढंग से मिल सके।

प्रत्येक सोसाइटी में सहकारी गोदाम का होना भी बड़ा ही आवश्यक है ताकि वहां पर सब सामान चाहे गल्ला हो, सीमेंट हो, मिट्टी का तेल हो या चीनी हो सुरक्षित ढंग से रखी जा सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जफराबाद टाउन एरिया है जिसमें 20 क्विन्टल चीनी मुसलमान भाइयों को शादी में दी गयी और वह पूरी की पूरी एक तहसीलदार ने ब्लैक में बिकवाकर उसका सारा पैसा हजम कर लिया। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी निश्चित रूप से जानकारी करा लें। और अगर यह बात सही निकलें तो उस तहसीलदार को सजा मिलनी चाहिये।

हमारे यहां पर एक जिला पूर्ति अधिकारी हैं, उनके शायद एक साल या 6 महीने रिटायर होने में शेष रह गये हैं तो वह एक मिनट भी अपने कार्यालय में नहीं बैठता है जनपद की पूरी जनता निराश होकर चली जाती है। उन डी0 एस0 ओ0 महोदय से मिलना भगवान से मिलने के बराबर हो जाता है। वे मिल नहीं पाते हैं। अच्छा तो यह होगा कि उनको आप कहीं और उच्च पद पर बिठा दें, पर हमारे जनपद से उनको हटा दें।

एक बात खाद्य सलाहकार समितियों के बारे में कहना चाहता हूं। खाद्य सलाहकार समितियों की बैठक हमारे जिले में कभी होती ही नहीं है। अगर उसकी बैठकें होतीं, तो वितरण आदि में जो कठिनाइयां होती हैं उन पर हम वहां विचार विमर्श कर सकते थे और उनका निवारण कर सकते थे। मेरा निवेदन है कि जिला स्तर, तहसील स्तर, और ब्लाक स्तर पर आप इस तरह की समितियां बनायें, इनसे अवश्य वितरण में सहूलियत मिलेगी और जनता को राहत मिलेगी।

हमारा निर्वाचन क्षेत्र में शहर भी पड़ता है और देहात भी है। वहां पर वितरण व्यवस्था उपभोक्ता दूकानों के माध्यम से होती है और वह सहकारिता विभाग की देख रेख में होता है। यह दुकानें न तो समय से खुलती हैं और न ही इनके द्वारा वितरण समय से होता है और ठीक तरह से होता है। उन दूकानों को जो मिट्टी का तेल दिया जाता है वह ड्रम के ड्रम किसी एक आदमी के हाथ ब्लैक में बेच दिया जाता है और वह आदमी ब्लैक में उसे बेचता है। मेरी मांग है कि इन दुकानों को समय से खुलना चाहिये और हर चीज का वितरण ठीक प्रकार तथा समय से कराया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं।

*श्री गौरी शंकर भैय्या---

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस खाद्य विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर माननीय खाद्य मंत्री जी, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जब यह विभाग मंत्री के हाथों में आया तो लोगों ने यह समझा कि अब यह विभाग प्रोफेसर साहब के हाथों में आया है, एक ऐसे मजबूत व्यक्ति के हाथों में आया है जिससे कि प्रदेश की जनता को यह उम्मीद होने लगी थी कि निश्चय ही अब वितरण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था में सुधार होगा, किन्तु माननीय मंत्री जी के मजबूत हाथों में यह विभाग आने के बाद भ्रष्ट हाथ कमजोर नहीं हुये, वे और मजबूत हो गये।

मान्यवर, यह जो पुस्तिका बटी हैं इसमें लिखा है कि चोर बाजारी रोकने के लिये एक चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत अगर कहीं पर आवश्यक वस्तु जमा होगी तो उसे छापा मार कर कब्जा किया जा सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हू कि आपके भ्रष्ट अधिकारी जो जिलों में तैनात हैं वे उन लोगों के यहां छापा कभी न हीं मारते जो लोग उनको पैसा देते रहते हैं। जो किसी वजह से पैसा नहीं देते उनके यहां ही यह अधिकारी छापा मारते हैं। मुर्गी चोर को यह पकड़ते हैं, पर हाथी चोर को यह नहीं पकड़ते, जो बड़े-बड़े भ्रष्ट लोग हैं उनके यहां छापा नहीं डालते। मैं चाहता हूं कि मंत्री,जी आप अपनी तीसरी दृष्टि को लम्बा करिये। जो आपके पास और सूचना के स्रोत हैं उसको देखें और स्वतः भी कभी-कभी छापा मारने का काम करें, जैसे आपके माननीय विश्व नाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री जी ने छापा मारने का काम किये और राशन की दूकनों पर छापा मारने के लिये गये। किसी को पता नहीं था कि माननीय मुख्य मंत्री जी छापा मारने के लिये आ रहे हैं और दूकानदार लोग तो पहले से ही माला लिये हुए खडे थे कि यह आ रहे हैं छापा मारने के लिये। मान्यवर, जब माननीय मुख्य मंत्री जी चलते हैं, तो वहां के दूकानदारों को पता चल जाता हैं, तो अधिकारियों को क्यों नहीं पता चलेगा?

दूसरी बात आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रण के बारे में श्रीमन् मूल्य समर्थन के अन्तर्गत माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मोहन सिंह जी बड़े विद्वान आदमी हैं, उन्होंने घूम–फिर कर कहा कि भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम गेहूं का आया त करेंगे। क्यों आयात करेंगे? होशियारी से कह कर निकल गये कि एक बार ही हमको मूल्य देना पड़ेगा, बार–बार जो किसानों को मूल्य देना पड़ेगा, उससे उनको छुटकारा मिल जायगा। मैं आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं कि दुनियां की मारकेट से जो खरीद की जाती है उसमें दो परसेंट का कमीशन बिचौलिया को मिलता है। 22 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक बड़े आदमी को मिला है, जो इटली के बैंक की शाखा में,उसके ससुराल में जमा कर दिया गया। अगर यह हमारे यहां किसानों से खरीदा गया होता, तो यह कमिशन जो 22 करोड़ रुपया है यह नहीं मिलता।

मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि दूसरे मुल्कों से खरीदने का निर्णय इसलिए लिया गया कि कमीशन लेने का काम चलता रहे। भारत सरकार ने दूसरे मुल्कों से ऐसा किया है जब कि गेहूं खरीदने का काम अपने किसानों से कर सकते थे तीसरी बात मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं यह है कि जन वितरण प्रणाली जिसमें बहुत बढ़िया काम आपने किया है कि राशन के दूकानदारों को हटा कर साधन सहकारी समितियों को यह काम दिया है। जिनका पेट बहुत बड़ा हो गया था, उनको आपने हटा दिया। विरोधी दल के लोगों ने भी आपको समर्थन किया। लेकिन श्रीमन, जिनके हाथ में आपने बांटने को दिया उसके मंत्री और अधिकारी के भ्रष्टाचार का आपने ख्याल नहीं किया। अब जो सैल्समैन नियुक्त हैं, इन दूकानों में उनको अस्थायी नियुक्त करने के लिये मंत्री जी को दो हजार रुपया से लेकर 4 हजार रुपया तक घूस देने पड़ते हैं। यद्यपि आपके पास यह विभाग नहीं है, लेकिन मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो सैल्स मैन नियुक्त हो रहा है अस्थायी तौर पर नियुक्त हो रहा है, वह आदमी दो हजार रुपया आपके वितरण प्रणाली से कमीशन प्राप्त कर अपना कर्जा पूरा करता है, जो भर्ती होने के समय उसको देना पड़ा था। जितनी राशन की दूकानें गांव में चल रही थी, मैं आप से जानकारी चाहता हूं कि क्या उतनी ही सस्ते गल्ले की दूकानों को जो कोआपरेटिव क्षेत्रों में खोली हैं, क्या खोल दीं और

[श्री गौरी शंकर भैय्या–]

अगर नहीं खोला है, तो क्या आप विचार कर रहे हैं कि सीमेंट, कपड़ा आदि लेने के लिये उस पर कोई निर्णय लिया है।

साधन सहकारी समिति चेरुरुइयां गांव टोस और गंगा में, दोनों जो हैं, पांच गांव इस पार, 5 गांव गंगा नदी के उस पार है, नाव से जाना आना पड़ता है और उसके लिये एक ही दूकान है। आधा नदी के उस पार पड़ता है और आधा आदमी इस पार पड़ता है। तो उस पार वाले आदमी इस पार चीनी लेने के लिये आता ही नहीं है। तो ऐसे गांवों के लिये अगल-अलग, हर गांवों में दूकान चीनी की होनी चाहिये। जय प्रकाश बाबू का जो गांव है, सिताब दियरा, वह 56 टोलों में बसा हुआ है। आधे टोले इसके गंगा नदी के उस पार हैं, बिहार की तरफ। ये लोग उस पार बिहार के शहरों से खरीद बिक्री करते हैं। इस पार ये लोग लेने ही नहीं आते हैं। अतः हर गांव में उधर दुकानें होनी चाहिये और जितनी दुकानें पहले थीं उतनी ही आप साधन सहकारी समिति को एलाट करें ताकि गांवों में जो परेशानी लोगों को होती है उससे उनको छुटकारा मिले।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चीनी की आपकी दोहरी नीति है। एक दुकानदार चीनी बेचते हैं और एक खुले मार्केट में बेचते हैं और दोनों के मूल्यों में अंतर है जिससे सभी जगह यह हो रहा है कि राशन की दुकान की चीनी ब्लैक्यिर उठाते हैं और दुकानदारों को 3 और 4 रुपये प्राप्त करके दे देते हैं। यह सही है कि गरीब ब्लैक करता है तो अपनी आवश्यकता के लिये करता है लेकिन चीनी की दोहरी नीति जो देश में लागू है उससे गरीब आदमी को चोर होने की शिक्षा दी जा रही है, इसलिये इस दोहरी नीति को समाप्त करना चाहिये।

अब मैं मान्यवर, सीमेन्ट के संबंध में कहना चाहता हूं, फिर आरोप लगाना चाहता हूं कि आप सीमेंट बटवाते हैं, बलिया का जो कोटा रखा गया है उसको सभी जानते हैं, आपने दूना कोटा रायबरेली, प्रतापगढ़ और दूसरे जिलों का किया होगा लेकिन हमारे जिले का दूना कोटा क्यों नहीं किया, यदि आपका देने का आदेश होगा तो हमारी जानकारी में नही है। मान्यवर, हमारे यहां पी0 डब्लू0 डी0 सड़कें और पुलों का निर्माण नहीं कर रहा है क्योंकि उनका कहना है कि सीमेन्ट नहीं है। इसी तरह जिला परिषद् के स्कूल नहीं बन रहे हैं क्योंकि सीमेन्ट नही है।

मान्यवर, दूसरी बात हमारे जिले के लोग ईमानदार है हमारे यहां के 4 मंत्री है। एक मंत्री बीच के है जो आजमगढ़ के हैं। मान्यवर, हमारे जिले के मंत्री काशी नाथ मिश्र जी जो सूचना मंत्री हैं वह तहसीलदार के यहां बैठकर सूची बनाकर देते हैं कि अमुक अमुक कोटा परमिट जारी करें और बलिया में जो कोटा परमिट जारी हुये हैं वह उन्हीं के अनुसार जारी हुये हैं। यह शर्म की बात है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि आपकी पीठ से व्यवस्था हो चुकी है कि जो सम्मानित सदस्य सदन में न हों उनके नाम न लिये जांय, तो सूचना मंत्री का नाम लिया गया जो यहां इस समय नहीं हैं, इसलिये इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठ जांय। भैय्या जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री गौरी शंकर भैय्या––

मान्यवर, मैं एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि ईंट की बात है तो अभी आपने कहा था कि हम सक्षम नहीं हो रहे हैं कुछ सुविधायें ईंट भट्टों को देना है, उनका कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी पी0डब्लू0 डी0का रेट मार्केट रेट से कम है। आपका जो जिला परिषद् का रेट है वह मार्केट रेट से कम है और जो विभाग ईंट लेते हैं उनका रेट मार्केट रेट से कम है। इसका नतीजा यह होता है कि ठेकेदार एक नंबर की ईंट नहीं देते हैं और नंबर दो ईंट सप्लाई करते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड रेट पर उनको ईंट नहीं मिलती है इसलिये वह दो नंबर की ईट सप्लाई करते हैं। यहां पर जो चाय की दूकान बन रही है उसमें भी दो नंबर की ईंट लगायी जा रही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जितनी मात्रा में आप ईंट देते हैं उसके हिसाब से आप लेवी ले लें, जिससे कि आप अपने विभाग को ईंट सप्लाई कर सकें।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गौरी शंकर भैय्या––

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता––

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं आप बैठें।

कुमारी अलमेलु अम्माल––

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे बोलने के लिये आपने जो समय दिया है उसके लिये मैं आपकी बहुत अभारी हूं। माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ी हूं। इस समय जो वितरण व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है मैं उसकी तारीफ किये बिना नहीं रह सकती। माननीय मंत्री जी ने हिम्मत के साथ सहकारी समितियों को एक अवसर दिया है कि वह वितरण व्यवस्था ठीक कर सकें, चुस्त कर सकें उन्होंने वितरण व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करके बहुत कोशिश किया और कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं उसको मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि गरीब औरतों के लिये धोती सस्ते में कंट्रोल की दुकानों में आपने दिलायी है उससे गरीबों को राहत मिली है। लेकिन कंट्रोल की दूकानों से वह कपड़ा बड़े कपड़ा वाली दुकानों में चला जाता है और वह कपड़ा ब्लैक में ज्यादा दामों पर उन्हीं गरीबों को बेचा जाता है। ब्लैक में जो सस्ता कपड़ा गरीब लोगों को बेचा जाता, मैं प्रार्थना करूंगी मंत्री जी से कि उस पर रोक लगानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि जो कपड़ा किसी को देते है उसको कार्ड में अंकित करके देना चाहिये तब कपड़े के ब्लैक पर रोक लग सकती है और चोर बाजारी पर रोक लग सकती है।

मंत्री जी से मेरी एक प्रार्थना है कि मेरा क्षेत्र में शहर और देहात दोनों हैं,। चीनी की वितरण व्यवस्था जो शहरों में है एक व्यक्ति पर यूनिट के हिसाब से आप चीनी देते हैं लेकिन देहात में एक कार्ड पर आधा किलो या एक किलो चीनी मिलती हैं। तो देहात के लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी उपेक्षा सरकार क्यों करती है। तो मेरे पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं रहता है।

[कुमारी अलमेलु अम्माल---]

इसलिये मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि शहरों और देहात के लिये बराबर, समान व्यवस्था चीनी के वितरण में करें जिस से देहात के लोगों को राहत मिल सके। पुराने कार्ड जितने पड़े हुये हैं मैं मंत्री जी से कहूंगी कि एक अभियान शुरू करेंगे। पुराने कार्डों को समाप्त करके नये कार्ड बनवाने के लिये एक परिपाटी शुरु करें। यद्यपि सीमेंट प्रदेश सरकार के नियंत्रण की बात नहीं है लेकिन मैं मंत्री जी से और सरकार से प्रार्थना करूंगी कि सीमेंट वितरण में कुछ संतोषजनक रीति अपनानी पड़ेंगी। गरीब लोगों को अपने घर की छोटी-छोट मरम्मत के लिये सीमेंट नहीं मिलती है और बड़े लोग किसी दूसरे रास्ते से सीमेंन्ट लेते हैं और उसको ब्लैक, कालाबाजार में बेचते है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगी कि सीमेंट वितरण की प्रणाली में सुधार करना चाहिये ताकि जरूरत मंद और गरीबों को भी दो बोरी या एक बोरी सीमेंट उनको भी मिल सके। जो भी सीमेंट लोगों को देते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है यह हमको मालूम होना चाहिये और उसके बाद उसकी जांच भी होनी चाहिये कि उन लोगों ने सीमेंट का इस्तेमाल किया है या नहीं यदि यह नहीं किया तो उनके ऊपर ऐक्शन लेना चाहिये कार्यवाही होनी चाहिये।

एक बात मैं और कहूंगी कि हम एम0 एल0 ए0 के लिये आपने इज्जत दिया है कि हम संस्तुति करेंगे तो गरीबों को और अन्य लोगों को भी सीमेन्ट मिल सकता है। मैं कहती हूं कि उस अधिकार को आप वापस ले लें। उस अधिकार से हम न उनकी जरूरत को समझ पाते हैं और न उपयोग को समझ पाते हैं। जब कोई आता है तो हम लिखकर दे देते हैं, यह अधिकार एम0 एल0 ए0 को नहीं चाहिये।

सहकारी समिति जितनी जगहों में मिट्टी का तेल उठाती रही है, देहातों में 7 बजे के बाद जायेंगे तो बत्ती जलाते हुए किसी को नहीं देख सकते। वहां तेल आ जाता है लेकिन सहकारी समिति वाले उसको उठाते नहीं हैं। ऐसे समितियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये तेल को देहात तक पहुंचाने के लिये मन्त्री जी ने जो रास्ते अख्तियार किये हैं, उसका स्वागत करते हैं और भी रास्ते अपनाने चाहिये, बस्ती में डुमरियागंज में और मुण्डेरवा में चीनी पकड़ी गयी। जिस समिति की वह चीनी है, उस समिति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

बस्ती जिले के लिये एक कुशल जिला पूर्ति अधिकारी नहीं मिला है। पहले एक अधिकारी थे, उनके रिटायरमेन्ट का समय था, इसलिये वे घर में ही रहते थे आफिस नहीं आते थे। अब एक नौजवान आये हैं, यह भी दफ्तर में नहीं आते हैं। बस्ती जिले के लिये एक कुशल जिला पूर्ति अधिकारी दें ताकि आपके जितने कार्यक्रम हैं, उनको वे सफल बनावें।

इसके अतिरिक्त जिला खाद्य सलाहकार समिति की जितनी बैठक होनी चाहिये, उतनी नहीं होती हैं। मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगी कि इसकी समय-समय पर बैठकें बुलवायें और हम लोगों को भी बुलायें और पूछें। हमको वे निमन्त्रण नहीं देते हैं। इसमें भी सख्त कार्यवाही कलेक्टर या जिलाधिकारी या सप्लाई आफीसर पर करनी चाहिये। समय-समय पर उसकी बैठकें हों और हमको भी इत्तला दें। इसके साथ ही मैं मा0 मन्त्री जी के अनुदान को धन्यवाद के साथ स्वीकार करती हूं। मन्त्री जी तारीफ के पात्र हैं और जो काम वे गरीबों के लिये करते हैं, उसके लिये अलग से धन्यवाद देती हूं।

*श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

खाद्य विभाग पर मा0 मोहन सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विभाग ने जो समर्थन मूल्य की नीति अपनायी है, उससे हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के किसानों का सबसे बड़ा शोषण होता है। गत वर्ष जो आपने गेहूं की खरीद की दर निर्धारित की थी और उसके आधार पर आपका लक्ष्य 20 लाख टन खरीदने का था। चूंकि आप गेहूं का दाम कम दे रहे थे इसलिये किसान अपना गेहूं आपके हाथ नहीं बेच सका और अब तक, आपने जो पुस्तिका दी है, उसके आधार पर 14 लाख टन गेहूं खरीद पाये हैं। इससे स्पष्ट है कि आपकी नीति जो समर्थन मूल्य की है, वह गलत है, जिसकी वजह से जितनी आवश्यकता थी प्रदेश की उसको आप पूरा नहीं कर सकते।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सवाल, आपने एक ऐसी नीति अपना कर, जिसके आधार पर आप न उसके ऊपर कोई अंकुश लगा सकते हैं न आपका उसके ऊपर कोई कन्ट्रोल है। पहले जब आप सहकारिता मन्त्री भी थे और खाद्य मन्त्री भी थे तो आपने अपने इस विभाग की चीनी को सहकारिता विभाग के द्वारा बंटवाने की, मिट्टी के तेल को सहकारिता विभाग द्वारा बंटवाने की एक योजना बनायी। और वह इस तरह से दो विभागों में बंट कर रह गया है, किसी का कोई प्रभावशाली कन्ट्रोल नहीं है।

मैंने अपने जनपद गोण्डा के गैसड़ी विधान सभा के पचपेड़वा लोकहवा के सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 3/7 की लिखाई और सचिव वहां से भाग गया पकड़ कर थाने में भी रखा लेकिन न तो पुलिस ने कोई कार्यवाही की और न आपके विभाग ने। आप कहते हैं कि हमारे अण्डर में नहीं है, कण्ट्रोल नहीं है इसलिये कार्यवाही नहीं कर सकते हैं सहकारिता विभाग, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वंश राज सिंह, सचिव, उन को फिर उसी पद पर मुकर्रर कर दिया और वह चीनी की पूरी तस्करी नेपाल राज्य को करता है।

सहकारिता विभाग से आवश्यक वस्तुओं के बांटने की जो नीति अपनायी गयी है, वह नीति ही गलत है, इसलिये कम से कम इस को समाप्त कर दें, इससे नुकसान जो हो रहा है वह अलग हो रहा है। जो उन का काम था, उसको न करके चीनी, मिट्टी के तेल का, ब्लैक करता है। कर्जे आदि देने का काम, उर्वरक देने का काम, इसको आप देखें, इस वर्ष इन सचिवों ने कितना बांटा, किसानों को बुआई के समय, सिचाई के समय, जब जरूरत थी, नहीं दिया गया, वह मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी रुचि उसमें नहीं रह गयी है। इसलिये कम से कम इस सदन में घोषणा कर दें कि सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए उसके हाथों में इस को नहीं रहने देंगे।

जनपद गोण्डा के लिये जितनी सीमेन्ट आवंटित की गई है, बहराइच, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर में इस कदर बाढ़ आयी थी कि लाखों मकान बह गये, इसको देखते हुए बहुत कम है। लोग कहते हैं कि पच्चीस दीजिये न दीजिये कम से कम 10 बोरी सीमेन्ट दे दीजिये ताकि छत डाल लें और उसके नीचे निर्वाह कर सकें। जो स्टाक दिया गया है वह पूरा का पूरा सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में देने की स्कीम बनायी गयी है, प्राइवेट लोगों को मकान बनाने के लिये, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अप्रैल, मई, जून के इन तीन महीनों में, नहीं दी गई, ऐसी आपकी नीति है, यह जन विरोधी है, इसको आप समाप्त करें तथा गोंडा जैसे पिछड़े जनपद में जहां हमेशा बाढ़ आती है और लोग बेघर हो जाते हैं, सीमेन्ट की कमी हमेशा रहती है, जो बेचारे गरीब, किसान, हैं उनको 15–20 बोरी सीमेन्ट दिये जाने की व्यवस्था करें।

कण्ट्रोल के कपड़े के संबंध में जो नीति अपनायी है, उसकी जो नीति है उससे दुर्बल और निर्बल वर्ग को उसका फायदा मिले, वह एक भी नहीं मिल रहा है। वहां के सहकारिता विभाग के सचिव इतने भ्रष्ट हैं कि वह पूरा का पूरा पाम आयल और कपड़ा हमारे यहां गोंडा में नहीं मिल पाता है। यह सब देखने की जरूरत है। वहां पर सारा का सार आवश्यक वस्तु का सामान और शक्कर सब नेपाल पहुंच जाता है और वहां पर आपकी दुकानों

[श्री अकबाल हुसैन--]

पर सहकारिता विभाग के जो एक्जीक्यूटिव अफसर हैं वह प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को तुरन्त समाप्त कर दें।

मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो सिविल /सप्लाई और उसके साथ-साथ जो बातें आई हैं उनमें 3/7 का मुकदमा है तो आप यहां से कम से कम एक निर्देश दे दें कि उनको उन समितियों में दुबारा सचिव ने नियुक्त किया जाय। आपका डिपार्टमेंट सामान देता है उसका वितरण करता है सहकारिता विभाग दिसम्बर के महीने में गोंडा जनपद में लगभग 200 सेल्स मैनों की नियुक्ति हुई है और यह मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर जो बोर्ड गठित किया गया था चयन के लिये उसमें 4-4 हजार और 5-5 हजार रु0 केवल सेल्समैनों की नियुक्ति करने के लिये लिया गया। मा0 मंत्री जी यदि आप चाहते हैं कि वहां पर ईमानदार लोग नियुक्त किये जांय तो जैसा अभ मोहन सिंह जी ने एक प्रस्ताव और सुझाव रखा मैं उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से पुनः कहता हूं कि आप उस क्षेत्र के, जनपद के विधायकों को निर्देश दें दें कि जो बोर्ड का गठन आपने किया है, जो चयन कर रहा है उसमें जनप्रतिनितियों को अवश्य भाग लेने का मौका दें ताकि वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह समाप्त हो सके।

अभी गेहूं की खरीद का जमाना आ रहा है। दिल्ली में बैठे हुये जैसे हमारे किसानों को गन्ने का मूल्य 13 रु0 और 14 रुपया निर्धारित किया लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने साढ़े 20 रु0 प्रति क्विंटल कर दिया इसी तरीके से यदि वहां पर केन्द्र ने 119 रु0, 130 रु0 और 137 रु0 का मूल्य रखा तो आपको किसानों को लाभ कारी मूल्य दिलाने के लिये उसे बढ़ाना चाहिये। जिस तरह से आपने गन्ना किसानों को लाभ-कारी मूल्य दिलाया उसी तरीके से गेहूं किसानों को, चावल के किसानों को, मक्का और चना के किसानों को भी लाभकारी मूल्य दिलाने का आप प्रबन्ध कर सकते हैं और इस के पहले आपको सबक लेना चाहिये था जब जनता सरकार थी तो उसने इसी सदन से स्वीकृति लेकर 24 करोड़ रुपया किसानों को दिलाया था। उन नीतियों का आपको भी अनुसरण करना चाहिये।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिले हैं उन जिलों में हमारी सरकार ने एक किलो चीनी के आदेश दिये हैं और कुछ जिलों में 400 ग्राम के आदेश हुये हैं। मैं चाहूंगा मा0 मंत्री जी से कि यह नीति जो है पर्वतीय क्षेत्र के लिये वह बराबर होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर चीनी हो, राशन हो, मिट्टी का तेल हो या कपड़ा हो, ब्लाक स्तर पर उसका भंडार खोलें क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में काफी लम्बा रास्ता है पर्वतीय जिलों में काफी लम्बे रास्ते हैं, पद यात्री वहां आते जाते हैं। वहां पर शासन द्वारा परिवहन का अच्छा इन्तजाम किया जाना चाहिये। दसरी बात यह है कि जिन जिलों में आपके इन्सपेक्टर या अधिकारी दो या तीन साल तक रह चुके हों उनका ट्रान्सफर कराया जाय। वे इतने मोटे हो गये हैं जितना मोटा कि एक लम्बे मुह वाला जानवर होता है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनकी कमाई इतना अधिक हो गयी है कि उसकी कोई सीमा नहीं रह गयी है।

चीनी का कोटा 20, 25, 28 या 30 तारीख को वितरित होता है। मैं चाहता हूं कि चीनी का वितरण महीने के पहले हफ्ते में 4 या 5 तारीख तक हो जाना चाहिये। क्योंकि चीनी का कोटा बाद में मिलने पर राशन वाला कहता है कि हमारे पास

चीनी नहीं आयी। फिर दोबारा चीनी लेने जाओ तो वह कहता है कि चीनी खतम हो गयी। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वह चीनी कहां गयी। चीनी का कोटा मिला तो वह चीनी दे, लेकिन चीनी नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह इसकी व्यवस्था करे।

तीसरी बात सीमेंट के वितरण की है आपने प्राविधान किया है जो एजेंसीज आपने खोल रखी हैं, मैं पूछता हूं सरकार से और अपने मंत्री जी से कि सीमेंट कट्टे में भरती कितनी होती है, और कितना सीमेंट उसमें होना चाहिये। मैंने यह खुद देखा है कि 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो 25 किलो सीमेंट कम रहता है, सिर्फ नाम मात्र का कट्टा होना चाहिये। यह कैसे किया जाता है। कट्टे में पूरी भरती नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको देखे पर्वतीय क्षेत्र के लिये विशेष छूट होनी चाहिये। मेरा क्षेत्र खटीमा है। वहां अनुसूचित जाति और बंगाली एवं हरिजन यानी सब निचोड़ वहीं पर है, वहां पर सीमेंट का कोटा कम हो, चीनी का कोटा कम हो, यह वही हुआ कि एक तो मियां बावले, तापर पीली भांग, मेरी प्रार्थना है कि आप इस चीज को देखें।

नैनीताल में नो लास नो प्राफिट बेसिस पर कोयला मिलता है। नैनीताल जैसी जगह में एक यूनिट पर 10 किलो कोयला मिले इससे आप नैनीताल पहुंचने पर समझ सकते हैं। वहां इतनी ठंढ होती है कि एक दो घंटे में ही 20 किलो कोयला खतम हो जायेगा। उस 10 किलो में भी 3 व 4 किलो चूरा होता है और बाकी जो 5, 6 किलो कोयला बचता है वह भीगा हुआ होता है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे, क्योंकि यह सरकार अपनी है और हम भी इस सरकार के एक अंग हैं। हमने शपथ ली है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी के साथ सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इन चीजों की ओर विशेष ध्यान दे और अनसूचित जातियों का खास ध्यान रखे।

सरकार ने प्रमोशन आदि में जिस तरह से 18 प्रतिशत का प्राविधान कर रखा है उसको मद्देनजर रखते हुये हमारे माननीय मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह राशन की दूकानें भी उनको दिलवायें। मैं पूछता हूं कि 18 परसेंट के हिसाब से कितने हरिजनों को आपने दूकानें दे रखी हैं? अब से जो भी दूकानें हैं, उनमें से 18 परसेंट हरिजनों को मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध करता हूं।

श्री ऊदल—

माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये कर रहा हूं श्रीमन, कि बिना उत्पादन के कोई भी वितरण सफल नहीं हो सकता। इसलिये वितरण प्रणाली जो हमारी है यह भी दोषपूर्ण है आज भी। कुछ सुधार है। कुछ सुधार है, ज्यादा नहीं है। लेकिन दोषपूर्ण है। अब इस प्रणाली में उत्पादन और वितरण दोनों का समन्वय, मूल्यों का समन्वय कि उत्पादन का लागत क्या होगा और लोगों को किस भाव में उस पर मुनाफा रख कर के किस भाव में उसका वितरण किया जायगा, इस समन्वय को करने की जिम्मेदारी, मैं समझता, हूं स्टेट गवर्नमेंट की तो नहीं भारत सरकार की है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इसके बारे में भारत सरकार से राय मशविरा करे, लिखा पढ़ी करे, बातचीत करे कि आखिर यह वितरण प्रणाली कैसे सफल बनायी जाय नम्बर एक।

[श्री ऊदल--]

नम्बर दो, श्रीमन्, उत्पादन में बहुत सी चीजें हैं, । उन वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है जो औद्योगिक उत्पादन है, जो आम जनता इस्तेमाल करती है चाहे शहर की हो चाहे देहात की हो । और जो कृषि उत्पादन है उसमें कुछ चीजों को छोड़ कर, जैसे अरहर, सरसों, बाकी का दाम जो है वह बहुत कम है । इसलिये दोनों में, उत्पादन और वितरण में, दोनों की भाव में किसी प्रकार एकरुपता नहीं है । यह मैं समझता हूं खाद्य विभाग का काम है कि इसमें कैसे एकरुपता लायी जाय ।

दूसरी बात इस संबंध में, श्रीमन्. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर सकती है । यह भी सेन्टर का ही मामला है । पूरे उत्पादन की वस्तुओं का संबंध आम जनता से है, उनको और वितरण , सरकार अपने हाथ में ले ले। बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं समझता हूं कि एक ब र थोड़ा सा किया गया था । बहुत पहले । आप की सरकार ने किया था । श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था । लेकिन उसको एक साल के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया । उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया । तो क्या उस प्रश्न के ऊपर आप विचार कर सकते हैं कि नहीं ?

अब, श्रीमन् भाव अगर उत्पादन और वितरण प्रणाली के हम ठीक नहीं करेंगे तो भाव आसमान छूते रहेंगे । इस वर्ष मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी के भाव में दो सौ रुपये प्रति टन की वृद्धि कर दी सरकार ने । भारत सरकार ने इजाजत दे दी । अब उस का असर उपभोक्ता पर पड़ेगा । इसी तरह से अभी वनस्पति का मूल्य, जो डाल्डा है , करीब दस दिन पहले, बढ़ गया । तो आखिर बढ़ते हुये मूल्यों पर कन्ट्रोल कैसे होगा । मैं समझता हूं खाली सरकार का विषय नहीं है । यह सबका विषय है । इस के ऊपर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है । इस पर राय मशविरा करने की जरुरत है कि किस तरह से हम इस को कन्ट्रोल के अन्दर ला सकते हैं ।

अब, श्रीमन्, दूसरी बात मैं कहना चाहता कि सीमेंट की बड़ी किल्लत है । सीमेंट भी आपके हाथ में नहीं । भारत सरकार से कोटा आप को मिलता है । आप कोशिश करते हैं कि बढ़ाया जाय । लेकिन जो हमारा प्रदेश है इस प्रदेश की जो आबादी है और इस प्रदेश के जो लोग हैं उनकी पक्के मकान बनाने की जो आकांक्षा है उसको देखते हुये सीमेंट का जो कोटा हम को मिलता है, प्रदेश की सरकार को, वह कम है, बहुत कम है । नतीजा यह होता है कि शहरों में तो आपने नियम बना रखे हैं कि आपने नक्शा बनाया, म्यूनिसिपैलिटी ने उसको पास कर लिया और उसके हिसाब से लोगों को कोटा मिलता रहता है । लेकिन देहातों में जहां कि प्रदेश की 85 फीसदी जनता रहती है, जैसा कि मैंने आपसे बार-बार निवेदन किया, अगर वे भी अपन नक्शा बनाते हैं तो पूरा नहीं तो कम से कम 10 प्रतिशत ही उनको दिया जाय । श्रीमन, मैं मिट्टी का तेल भी आपके ही हाथ, में इंटीरियर में तो पहुंच नहीं पाता हैं । उसकी जो वितरण प्रणाली है वह ठीक से नहीं हो पा रही है । आज देहातों में बिजली नहीं है ।

श्रीमन्, मैं लखनऊ में सब जगह नहीं जाता हूं, कभी-कभी कैसरबाग एक-आध महीने में चला जाता हूं । वहां पर एक दीक्षित की मिट्टी के तेल की दुकान है , दो सौ, तीन सौ आदमियों की भीड़ लगी रहती है, औरतें, मर्द, बच्चे बूढ़े, जवान सब मिट्टी के तेल के लिये लाइन में लगे रहते हैं । इस तरह से आज लोगों की दुर्दशा हो रही है । मान्यवर, मैं अभी हाल ही में बम्बई गया था । मैं सोचता हूं कि वहां कहां से मिटटी का तेल आ जाता है । वहां सारे होटल तथा चाय की दुकान मिटटी के तेल से ही चल रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के ऊपर आप जरा अपनी कृपा दृष्टि करायें और कोटा ज्यादा ले आवें और ब्लैक से बचावें ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि आज सीमेंट की बोरी 60, 70 और 80 रुपये तक मिल रही है। मिट्टी का तेल डबल दाम पर मिल रहा है। इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है। इन्हीं चीजों से भ्रष्टाचार होता है और उसके अड्डे पनपते हैं। इसीलिये मेरा निवेदन है कि मिट्टी का तेल और सीमेंट तथा चीनी की आप समुचित व्यवस्था जनता के लिये करा दें। चीनी तो गांवों में और दूर-दराज के गांवों में तो बिल्कुल पहुंचती ही नहीं। आपने कई नई वितरण प्रणाली बनायी है जिसके द्वारा कुछ सुधार हुआ है।

मैं उसकी तरफ आलोचना करना नहीं चाहता हूं। उस दिशा में अवश्य सुधार हुआ है। आपने जो सीमेंट की एजेन्सियां कुछ सोसाइटीज को दिया है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक सोसाइटी है फूलपुर संघ। उसके पास पैसा नहीं है। सीमेंट वह उठाते नहीं है। 500 रुपया जो उसने जमानत का जमा किया था उसको न उठाने में जब्त कर लिया गया है। चीनी वह नहीं ले जाती है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी कम से कम जांच पड़ताल ही करा ली जाय। इसी तरह से आप यह भी देखें कि ऐसी कितनी सोसाइटीज हैं जिनकी आर्थिक हालत इस तरह से खराब है और किस तरह से उनको सक्षम बनाया जा सकता है। उनको कैसे कोटा एलाट किया जाय ताकि वह सक्षम हो सकें।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त आज भी बड़े पैमाने पर मिलावट होती है। लोग कहते हैं कि जहर भी शुद्ध नहीं मिलता। हर चीज में मिलावट है। चाहे वह दूध हो, घी हो, आटा हो। इसको रोकने के लिये आप कौन सा तरीका निकालना चाहते हैं। इसके लिये सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि इसका असर स्वास्थ्य के ऊपर बहुत पड़ता है। पिछले दिनों आपने बनारस में पाम आयल के केसेज को पकड़ा लेकिन आपने कहा कि हाई-कोर्ट ने छोड़ दिया। क्योंकि आपके अधिकारियों ने ही माफिक रिपोर्ट लिख दी होगी। आगरा में पाम आयल के दस बड़े लोग पकड़े गये हैं। मैंने सुना है कि उस केस को दबाया जा रहा है। यह केस साल भर पुराना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य विभाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत आपको दिलानी है। तो मैं समझता हूं कि उसमें आप सुधार करेंगे लेकिन खाली वितरण प्रणाली में सुधार से काम बनने वाला नहीं है बिना उत्पादन और वितरण को सरकारी हाथों में लिये यह ठीक नहीं हो सकता है और इस प्रकार यह वितरण प्रणाली ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से परामर्श इस पर करे, यह नीतिगत प्रश्न है। मैं समझता हूं कि आप समाजवादी रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, भूले नहीं होंगे। समाजवाद के लिये उत्पादन और वितरण को सरकार के हाथ में लेकर ज्यादा से ज्यादा राहत जनता को देने की बात है। यहां पर भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कह दिया है मैं कुछ नहीं कहूंगा। माननीय मंत्री जी हमारे पुराने नेता रहे हैं.....

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य ने पुरानी याद दिला दी राहत देना समाजवाद लाना यह दोनों तब तक निष्प्रयोजन है जब तक उनकी इच्छा दिल में होते हुये भी उसको कार्यान्वित न किया जा सके। यह दोनों को करने की सामर्थ्य इन्दिरा गांधी में है,। इसलिये मैं ऊदल जी से कहूंगा कि इनको मूर्तरूप देने के लिये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जायं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हू, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे टोका भी नहीं । तो मैं अंत में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देहात में 75 फीसदी जनता रहती है उसको सीमेंट, चीनी तथा अन्य आवश्यक चीजें भरपूर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें । देहात का रहने वाला जो नक्शा देता है , जो पक्का मकान बनाना चाहता है उसको सीमेंट उपलब्ध करायें वहां कम से कम 10 प्रतिशत अगर शहर में शत प्रतिशत देते हैं तो गांव में 10–15 प्रतिशत दे दें । इसी तरह पहाड़ की बात करता हूं वहां सामान पहुंचता नहीं है इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है । जो कुछ भी सामान आप देते हैं वह उन स्थानों तक सारा का सारा पहुंचा दें तो मैं समझता हूं कि यही आप की बड़ी कामयाबी होगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सरकार का काम उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का हित देखना है । मैं कुछ कहने से पहले माननीय मोहन सिंह जी को जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है उनकी उपज का । उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि जो रिक्शा चलाने वाला है, जो खेतिहर मजदूर है, जिसको 5, 6 रु0 रोज मिलता है, या जो अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है उनका क्या होगा ।

मैं यह मानता हूं कि उत्पादक को उसका सही मूल्य, मिलना चाहिये । फिर माननीय गौरी भैय्या ने कहा कि सरकार गेहूं का आयात कर रही है । तो यह देखने की बात है कि कभी अकाल पड़ सकता है, युद्ध के बादल हमारे देश पर मंडरा रहे हैं तो ऐसे समय के लिए सरकार को भंडार की जरूरत होती है ।

(4 बजकर 10 मिनट)

तो यह कहना कि कमीशन के बैसिस पर हमने गेहूं आयात किया है, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है । शासन का यह काम है कि वह अपना अच्छा भण्डारण करे बुरे वक्त के लिए । मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि चोरबाजारी रोकने के लिये शासन ने क्या-क्या किया है, क्या-क्या कदम उठाये हैं । मैं उनका वर्णन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत चोरबाजारी आदि रोकने के लिये 108 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है । आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिये कुल 32902 छापे डाले गये और 3570 रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई । जिसक द्वारा 2507 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1337 दुकानें निलम्बित कर दी गई और 1023 लाइसेंस निरस्त किये गये हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे शासन की भ्रष्ट अधिकारियों पर कितनी कड़ी नजर है और उन पर उसका कितना कन्ट्रोल है तथा उसने कितनी तत्परता से इन व्यापारियों को अपने कब्जे में किया है ।

अब मैं जन वितरण प्रणाली का जिक्र करना चाहता हूं कि किस ईमानदारी से उसने इसको चलाया है । सहकारी समितियों के माध्यम से चीनी गेहूं का वितरण देहातों व शहरों में चालू किया गया है । जब व्यक्तिगत रूप से दुकानें होती थीं, तो जनता को किस प्रकार की परेशानी थी, किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त था और किस तरह से इंस्पेक्टर्स रिश्वत लेते थे और हमारे क्षेत्र के साथियों को परेशान करते थे । इसको देखते हुए हमारे मुख्य मंत्री और सहकारिता मंत्री ने यह प्रणाली लागू की है । इससे जनता के साथ-साथ हमें बहुत लाभ हुआ है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब हमारे पास कोई व्यक्ति सिफारिश लेकर दुकानें लेने के लिये नहीं आता है। इससे हमें मानसिक शांति हुई है और ईमानदारी के साथ शासन का काम आगे बढ़ा है। तीसरे मंत्री जी ने बजट में प्राविधान किया है गेहूं और धान परचेज करने का। गेहूं और धान का समर्थन मूल्य देकर हमने किसानों का हित किया है। जब हम छोटे-छोटे थे, तब देखते थे कि किस प्रकार आढ़ती लोग किसानों को परेशान करते थे, किस प्रकार उनकी लूट करते थे, किस प्रकार उनका शोषण करते थे। इस चीज को सभी अच्छी तरह से जानते हैं यह समर्थन मूल्य देकर सभी किसानों का शासन ने हित किया है और वह अब भी उस दिशा में तत्पर है और जितना भी आगे कर सकती है वह करेगी, यह मुझे विश्वास है। शासन ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम बनाया है और उसको 50 परसेंट अनुदान देने की उसने व्यवस्था रखी है। जो हमारे अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको इसके द्वारा चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट दिया जाता है। यह हमारी सरकार की अच्छी भावना और उदारता का प्रतीक है।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, देश और प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता देहात में रहती है और यह सभी मानते हैं कि देहात का उद्धार और विकास होना चाहिए, लेकिन जो विकास क्षेत्र हैं वहां पर तीन-तीन महीने पर 2 सौ बोरी सीमेंट ही आप देते हैं, तो इतनी कम सीमेंट से कैसे वहां ग्रामों में मकान बन सकते हैं, पुलिया बन सकती हैं या और डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं। तो मंत्री जी कम से कम देहाती क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर सीमेंट का वितरण करें और पूंजी व्यवस्था ब्लाक स्तर पर होनी चाहिए। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं--मिट्टी का तेल, चीनी व सीमेंट आदि उसका वितरण ब्लाक स्तर पर होना चाहिए।

मान्यवर, दूसरा सुझाव यह है कि थर्ड प्रोसेज की जो चीनी होती है, जो एक रा-मैटेरियल होता है मुरादाबाद में। नम्बर 3 की चीनी से नम्बर एक की चीनी वहां बनाई जाती है। हमारे शासन ने यह व्यवस्था कर दी है कि 3 सौ बोरी से ज्यादा कोई व्यापारी उसे नहीं रख सकता है और जो उससे ज्यादा रखेगा, वह अपना कारखाना नहीं चला सकता है। तो इस पर से पाबन्दी हटा लेनी चाहिए, थी, लेकिन अभी तक नहीं हटी है।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इससे हमारी मुरादाबाद और खास तौर से संभल की जो छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं जिसके कारण बहुत से लोग मारे गये हैं, इन पाबन्दियों को आप तुरन्त वहां से हटा लीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राम हर्ष राय---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह खाद्य एवं रसद विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें उद्योग निर्माण की सामग्री और खाने की वस्तुएं रखी गयी हैं लेकिन अगर आप इस विभाग के कार्यकलापों को देखें तो पायेंगे कि यह विभाग ही गरीब जनता को खाने के लिये तैयार बैठा है।

मान्यवर, जिस समय से इस विभाग के प्रोफेसर वासुदेव जी मन्त्री हुए हैं, हम लोगों को उनसे बड़ी-बड़ी आशायें थीं कि मन्त्री जी अपने व्यक्तित्व से और कार्यकलापों से विभाग की गलतियों को दूर करेंगे और त्रुटियों को सुधारेंगे लेकिन यह विभाग इतना जबरदस्त निकला कि हमारी आशा निराशा में परिणत हो गयी और यह विभाग स्वयं ही हावी होता चला गया

[श्री राम हर्ष राय—]

ऐसे ऊंचे एवं एक महान व्यक्तित्व के ऊपर । यह विभाग ऐसा है जिसका सीधा संबंध जनता से है वह चाहे देश की हो या प्रदेश की हो । हमारी जनता में भी 2 ही वर्ग हैं या तो पूंजीपति और दूसरा है गरीब वर्ग । जो हमारा पूंजीपति वर्ग है वह औद्योगिक संबंधी सामग्री का निर्माण करता है जैसे लोहा, सीमेन्ट खाद वगैरह है और दूसरा वर्ग है जिसमें हमारे किसान, मजदूर, गरीब और निरीह वर्ग आते हैं । वे खाद्यान्न को उपजाते हैं । तो इन दो प्रकार के लोग जो सामग्रियां पैदा करते हैं, उनका सम्बन्ध सीधे हमारे मंत्री जी के विभाग से है । अगर लोहा, चीनी, खाद और सीमेन्ट को एक ओर रख दें और जो हमारे मेहनतकश, गरीब लोग हैं, जिनको अनाज चाहिये चाहे वह गेहूं हो, चावल हो उसको दूसरी ओर कर दें । माननीय जितेन्द्र पाल जी ने आरोप लगाया कि आज लोक दल के माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए किसानों की बड़ी फिक्र की, लेकिन कहा गया कि रिक्शा मजदूरों की कोई चिन्ता ही नहीं किये । मैं जानता हूं कि मोहन सिंह जी को उनकी भी बड़ी चिन्ता है लेकिन आप (जितेन्द्रपाल जी) शायद उनकी बात को ही ठीक से नहीं समझते हैं । बात यह थी कि जितनी कीमत लोहे, सीमेन्ट और खाद, बिजली और पानी की बढ़ी है उनके आधार पर अनाज की कीमत नहीं बढ़ी है ।

पहले जहां रिक्शा वाले को 6 पैसे देते थे आज उसको 8 आने और एक रुपया दिया जाता है, मैं मानता हूं कि यह भी कम है लेकिन जब आप बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों की उत्पादित सामग्रियों की कीमत जब तय करते हैं तो पूंजीपतियों और श्रमिकों के साथ दिल्ली और लखनऊ में बैठ जाते हैं लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिसके उत्पादन के मूल्य को तय करने में आप उसको छोड़ देते ऐसा क्यों है । मेरी प्रार्थना है कि जब आप गेहूं, चावल और अनाजों की कीमत तय करें तो किसानों के प्रतिनिधि को भी बुलवा लिया करें । इसमें भी आप दो तरफा नीति अपनाते हैं । एक ओर तो आप गन्ने पर सबसिडी देते हैं लेकिन गेहूं और चावल पर कुछ नहीं देते हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर गेहूं और चावल पैदा होता है क्या वे आपके दुश्मन हैं ? गन्ना किसानों को जो छूट या सबसिडी देते हैं क्या आप गेहूं और चावल पर भी वही सबसिडी देने को तैयार हैं ? दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध साधारण जनता से है । मिट्टी का तेल ही ले लीजिये । आपने एक न्याय पंचायत में एक दुकान दे रखी है और 15–20 मील तक के गांव उसके अन्तर्गत रख दिये हैं । एक किसान मजदूर 15–20 मील से चल कर आता है, फिर भी अगर सचिव नहीं मिलता है तो खाली हाथ वापस जाता है । अब दिन भर उसका बेकार चला जाता है । अब उसकी दिन भर की मजदूरी कौन देगा ? आप देंगे ? उसके तो घर में शाम को दिया भी नहीं जलेगा । आप जनता को कम से कम इतना तो विश्वास दिला दीजिये कि प्रदेश के किसी भी घर में अंधेरा नहीं रहेगा । मैंने विद्युत बजट पर भी यही बात कही थी, चाहे विद्युत के द्वारा और चाहे मिट्टी के तेल की व्यवस्था करके आप प्रदेश की जनता को इतना विश्वास दिला दें कि उसके घर में अन्धेरा नहीं रहेगा ।

साथ ही डीजल भी किसान के लिये परम आवश्यक हो गया है । अधिकांश लोगों के पास नलकूप हैं, ट्रैक्टर हैं । अगर पंचायत सेक्टर के आधार पर आप गांवों में डीजल के लाइसेन्स की दूकानें खुलवा दें तो यह देहात के किसानों के लिये बड़ा ही लाभकारी कदम होगा ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप शहरों और देहात में अलग-अलग व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं ? क्या शहरों में मनुष्य रहते हैं और गांवों में दानव रहते हैं ? यह सत्ता पक्ष वाले जितने भी वहां बैठे हैं यह सभी अधिकतर देहात के वोटों से ही जीत कर आते हैं । पर शहर के लोगों को आप अधिक गेहूं देते हैं' अधिक चीनी देते हैं, देहात के लोगों को कम देते हैं ।

यह भेदभाव क्यों है ? अंग्रेजों के समय में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल मे तो दोहरी नीति चलती थी, पर आपके समय में यह क्यों है ? आप सोचें कि क्या आप उनसे कम हैं ? जब फिरंगी सरकार थी तो उसने हुकूमत का एक ढांचा बनाकर यहां छोड़ा और उनके जाने के बाद जब यह सरकार आयी तो यह खुद भी उसी में समा गयी । (व्यवधान) उस ढांचे को उसी रूप में खाली स्वीकार ही नहीं किया, अपने को भी उस ढांचे में डिबो दिया । पता नहीं इनका अस्तित्व कायम कैसे हैं ? (व्यवधान) स्वयं मन्त्री जी ने कहा कि मिट्टी के तेल का, डीजल का, सीमेंट का कोटा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कम कर दिया, उसमें कटौती कर दी । क्या इसका तात्पर्य स्पष्ट यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार का आप में विश्वास नहीं है? विश्वास अगर होता तो यह कोटा नहीं कटता । आखिर केरल और पश्चिमी बंगाल में तो विरोध पक्ष की सरकारें हैं, वहां का कोटा क्यों नहीं काट देते ? हिम्मत हो तो वहां का काटें । बम्बई, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल का कोटा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने नहीं काटा, लेकिन आपका कोटा काट दिया । मैं तो यही कहूंगा कि आपके ऊपर केन्द्रीय सरकार का विश्वास नहीं है । मान्यवर, एक सुझाव और है ।

मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि मन्त्री जी कृपया यह कर दें कि पंचायत सेक्टर के आधार पर एक दूकान दे रखे हैं, 10–10 मील से लोग आते हैं और पाते नहीं हैं और वापस लौट जाते हैं, उनका दिन भर का नुक्सान होता है । पहले 3 दूकानें एक पंचायत में थीं और अब एक ही दूकान किये हैं, तो मेरा निवेदन है कि मान्यवर, उसे तीन कर दिया जाय और मान्यवर, अनाज की जो जिलाबन्दी, प्रदेश बन्दी आप करते हैं, इसको हटा दें जिससे किसानों को राहत मिल सके और सीमेंट, डीजल, मिट्टी के तेल को आप फ्री कर देते, जहां जिसकी इच्छा होती वह ले जाता । आपने सीमेन्ट, डीजल और मिट्टी के तेल का कोटा कम कर दिया । आज सीमेन्ट, कन्ट्रोल रेट पर अगर हम लोग तलाश करेंगे, तो नहीं मिलेगा । लेकिन मन्त्री जी तलाश करेंगे तो मिल जायगा । तो कमी तो है नहीं, लेकिन नहीं मिलता है ब्लैक में तो हजारों बोरी सीमेन्ट मिल सकती है अतः सीमेन्ट की कमी नहीं है । कमी जो कहीं पर है, वह कमी कहां है, अगर कमियां ढूंढने के लिये हमारा सहयोग लेंगे, माननीय मोहन सिंह का सहयोग लेंगे, तो हम सब जरूर सहयोग करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी माननीय मोहन सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह––

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी द्वारा रखे हुए खाद्य विभाग के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष––

ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं । इसलिये अगर सदन की इच्छा हो तो माननीय सदस्यों के बोलने का समय 10–10 मिनट के बजाय 5–5 मिनट कर दिया जाय ।

अनेक सदस्य––

5 मिनट कर दिया जाय ।

श्री वृद्धि नारायण सिंह––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक ईमानदार, कर्मठ और योग्य व्यक्ति हैं, इसे प्रदेश हीं, नहीं पूरा देश जानता है । मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिये कह रहा हूं कि जैसा व्यक्ति होता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वृद्धि नारायण सिंह ...]

जैसा उसका व्यक्तित्व होता है, उसके अनुसार उसकी सारी कार्यवाहियां होती हैं और उसकी उसी प्रकार की व्यवस्था होती है और उसका बड़ा असर होता है और उसका कार्य भी सुचारु रूप से सम्पादित होता है। मान्यवर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि खाद्य विभाग में यह वर्तमान सरकार ने जितना काम किया है, उसकी व्यवस्था में जितना सुधार लाया है, वह सराहनीय है। लेकिन फिर भी हमारे दोस्त यह कहते हैं कि इसमें कमी है। कमी तो जहां पर कार्य होता है, वहां पर तो होती ही है।

आप देखें कि एक बड़ा व्यापक कार्य हुआ है, इस सरकार के कार्य काल में। जो प्राइवेट कोटेदार थे, जिनके द्वारा शायद ही वहां पर उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल या चीनी अथवा अन्य चीजें जो सप्लाई की जाती थीं, उनको समाप्त कर एक बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम उठाया जो कि सारे देश और प्रदेश के लोग बधाई देते हैं और खासकर हमारे माननीय मन्त्री जी जो वर्तमान मे श्री वासुदेव सिंह हैं, उन्होंने बड़ा योगदान दिया। उनके ही द्वारा यह व्यवस्था हो सकी। कोयले की कीमत जो आसमान छू रही थी, उसमें भी गिरावट आई। डीजल आप देख रहे हैं, जहां पर लम्बी लाइन एक-एक फर्लांग की लगी रहती थीं, वह अब डीजल आसानी से पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इसके साथ-साथ विभाग में छापे के जरिये, अपनी व्यवस्था के जरिये जो जमाखोर थे, मुनाफाखोर थे, जो चोरबाजारी करते थे और जो अब चोरबाजारी करते भी हैं, तो लुके-छिपे करते हैं। जो खुलेआम किया करते थे, आज उनको यह साहस नहीं रह गया है कि वे खुलेआम कोई कुछ कर सकें।

इसी के साथ-साथ जहां आपने समय कम कर दिया है, इसलिये मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी उचित समझें और जनहित में उचित समझें तो अवश्य विचार करें।

मान्यवर, जैसा पूर्ववक्ताओं ने कहा कि देहात और शहरों में चीनी और मिट्टी तेल का वितरण बराबर-बराबर किया जाय। मैं खासकर मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूं कि शहरों में बिजली रहती है लेकिन देहातों में बिजली भी नहीं है। सारी रात लोग चिराग जलाते हैं जिसको सभी लोग जानते हैं। मान्यवर, हमारे जनपद में शहर में 2 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से और देहात में एक लीटर प्रति व्यक्ति मिट्टी का तेल दिया जाता है। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश किये जायं कि शहर और देहात में समान आधार पर मिट्टी का तेल बांटा जाय।

मान्यवर, सीमेन्ट के संबंध में जैसा ऊदल जी ने कहा है कि देहातों में जिनके मकानों के नक्शे हों और उनको अधिक मात्रा में सीमेन्ट की आवश्यकता है, उनको नक्शे के आधार पर जो कि ओवरसियर या इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हों, उनको शहर की तरह त्रैमासिक कोटे के अनुसार सीमेंट वितरण किया जाय, क्योंकि देहातों में भी ऐसे ऐसे मकान हैं जिनमें 800 और 1000 बोरी तक सीमेंट लगती है जो कि परमिट के आधार पर न मिलने से उनको ब्लैक में अधिक कीमत देकर सीमेंट लेना पड़ता है और सीमेन्ट में राख या मिट्टी हो तो उनको उसका पता नहीं है जिससे मकान की छतें गिर जायं तो उनकी जानमाल का नुक्सान होगा। इसलिये इस सुझाव पर मन्त्री जी विचार करेंगे।

मान्यवर, जो तहसील हेडक्वार्टर या जिला हेडक्वार्टर के जो लोग हैं या ब्लैक करने वाले जो हैं वह हर महीने अपनी 10-10 दरख्वास्तें किसी न किसी नाम से लेकर जाते हैं और हर महीने परमिट उनको मिल जाते हैं और वह उसका ब्लैक कर देते हैं। इसलिये मैंने सुझाव जिला स्तर कमेटी में अपने जिले में दिया था कि ब्लाक स्तर पर जो अदालत पंचायतें

हैं उनके आधार पर सीमेन्ट का वितरण किया जाय जैसे अमुक ब्लाक में 15 अदालत पंचायतें हैं यदि उसका कोटा 1 हजार बोरी का रखते हैं तो हर अदालत पंचायत में उसका समान वितरण किया जाय जिससे जो प्रार्थी हैं उनको क्रम से प्राथमिकता के आधार पर सीमेन्ट दी जा सके। इससे मेरा ख्याल है कि हर पंचायत को हर त्रैमास में कुछ न कुछ सीमेंन्ट प्राप्त हो जायेगी अन्यथा कुछ ही चन्द लोग सीमेन्ट प्राप्त करेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही खाद सलाहकार समिति की चर्चा हमारे मित्रों ने किया। मैंने एक दो समिति में बैठकर देखा है तो उसकी स्थिति है कि जिले के अतिरिक्त जिलाधीश वहां आते हैं और जो सीमेन्ट तथा चीनी के परमिट बंटे रहते हैं उनको वह बता देते हैं जिसको सुनकर हम लोग चले जाते हैं। इसलिये निवेदन है कि जो जिला खाद सलाहकार समिति में जो सदस्य सुझाव दें और उनका संबंध प्रदेश सरकार से हल होने को हो तो ऐसे सुझावों की प्रतिलिपि प्रदेश सरकार को हर बैठक की भेजी जाय जिससे अधिकारियों को थोड़ी चिन्ता होगी कि हमारी गतिविधियों की जानकारी प्रदेश सरकार को मिल रही है चूंकि हम लोग हर महीने यहां बैठकर तो कह नहीं सकते हैं, इसलिये पक्ष और विपक्ष की भावनाओं की जानकारी शासन को मिलती रहेगी कि जिले में क्या हो रहा है।

मान्यवर, हमारे जनपद में मन्त्री जी ने बड़े योग्य, कर्मठ और ईमानदार ए0डी0एम0 (सप्लाई) को नियुक्त कर रखा है लेकिन उनके अधीनस्थ जो बैठे हैं वे लोग व्यक्तियों को अनायास परेशान करते हैं जिसकी जानकारी उनको होती है लेकिन फिर भी उनके बारे में वह सख्त कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि जहां पर शासन की यह विचार-धारा है कि गलत लोगों को दंडित किया जाय वहां पर इस बात की आवश्यकता है कि जो सही लोग हैं उनको खामखां परेशान न किया जाय। ऐसी स्थिति में एक तो यह देखा जाय कि वह कौन से अधिकारी हैं जिनके द्वारा निर्दोष व्यक्तियों का चालान होता है और जो चालान किया जाता है उनके मुकदमों का निस्तारण जल्दी नहीं होता है और वर्षों लग जाते हैं। यह बात उचित भी नहीं है और न्याय की दृष्टि से भी उचित नहीं है और हमारी सरकार की नीतियों के अनुसार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं एक सूचना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

मुझे यह बताया गया है, मन्त्री जी ने बताया और जिला स्तर पर पता चला कि अब कोई भी सीमेन्ट की दुकान नई नहीं दी जायगी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में रमेश चन्द्र पाण्डेय, भिखारीपुर ब्लाक ज्ञानपुर में एक दुकान एलाट की गयी है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको नोट कर लें और जांच करलें कि वह किस आधार पर दुकान स्वीकृत की गयी है और कौन से लोग शासन की नीति के विपरीत आचरण कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया।

श्री कुबेर भंण्डारी––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने बोलने का समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मन्त्री जी बहुत पुराने समाजवादी रहे हैं मैं आज भी उनका आदर करता हूं लेकिन जो लोग उनको बदनाम करेंगे जो नीतियों के विरोध में कार्य करेंगे तो हमें सुझाव देना ही होगा, इसमें मन्त्री जी को नाराज नहीं होना चाहिये। हमे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं लखनऊ की बात कह रहा हूं विशेषकर आपके दफ्तर की बात कह रहा हूं। आपके पी0आर0ओ0 साहब हैं, शेर बहादुर हैं, न जाने कौन बहादुर हैं वह बिना दरख्वास्त के किसी परमिट कटाते हैं और ब्लेक में सीमेन्ट बेचवा रहे हैं। मेरी जानकारी मे है और मन्त्री जी आप अपनी छवि बचाने के लिये उनके ऊपर अंकुश लगायें।

श्री वासुदेव सिंह--

एक भी दृष्टान्त बतायें कि दफ्तर में जाकर किसी एक का परमिट कटाया हो । माननीय विधायकों को तो हमने कहा है कि कर दिया कीजिये ।

श्री कुबेर भण्डारी--

दरख्वास्त नहीं है लेकिन उनके कहने के आधार पर काटते हैं आप चेक करा लें, सी0 आई0डी0 से जांच करा लें, यह मेरा आरोप है । एक बात मैं दम के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी नीतियां ढुलमुल हैं । गांव और शहर में चीनी और सीमेन्ट में देख लें । शहरों में उन्हीं पूंजीपतियों को दिया है जो आपको वोट में चन्दा देते हैं उन्हीं की दुकानें चल रही हैं । लालबाग, हजरतगंज में हजारी लाल शर्मा की तीन दूकानें चलती हैं और दो और चल रही हैं उनके लड़के और भांजे के नाम से चल रही हैं । अधिकारियों ने छापा मार करके 4580 यूनिट फर्जी पकड़ा और उनकी दुकान के बारे में आपने भी स्वीकार किया है कि निरस्त की गयी लेकिन दुकान चल रही है ।

माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद जी ने सवाल किया था उसमें आपको अधिकारियों ने गुमराह किया है और कहा है कि दुकान सस्पेंड है लेकिन दुकान चल रही है यह मेरा चैलेंज है । आप समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं । आपके विभाग में 15 अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है जिसमें एक भी हरिजन अधिकारी प्रमोट नहीं हुआ है । रामपाल सिंह हरदोई जिले के हैं और ठाकुर जाति के हैं लेकिन हरिजनों की सूची में रखकर प्रमोट किया गया है और बनारस भेज दिया गया है आप जानकारी करा लें । आपके डी0एस0ओ0 आफिस में इतने घपले हो रहे हैं जिनकी जानकारी आपको करनी चाहिये । आपने एक दुकानदार को 500 डालडा टिन एलाट किया है लेकिन उसमें एक टिन भी जनता को मिलने वाला नहीं है । छोटे दुकानदारों को लें । एक दुकानदार को 500 टिन डी0एस0ओ0 आफिस से इशू हुआ है । लाखों रुपये कमाये होंगे । 20 टिन तो छोटे दुकानदार को नहीं दे सकते ।

(व्यवधान)

एक ए0डी0एम0 (सप्लाई) हैं । उनको तरक्की पर भेजते हैं लेकिन वह अपना ट्रांसफर कैन्सिल करा लेते हैं । इस प्रकार आपके विभाग में धांधली हो रही है । आपके दफ्तर से लेकर डी0एस0ओ0आफिस में जब इस तरह से घोटाला होता है तो देहात के अन्दर क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--

एक मिनट रह गया है और अभी आपका देवरिया नहीं आया है ।

(हंसी)

श्री कुबेर भण्डारी--

देवरिया के बारे में मैं क्या कहूं, अभी तो सचिवालय में ही घपला हो रहा है । इनकी सरकार जो पूंजीपतियों से सांठगांठ किये हुए है, लखनऊ में ही इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, देवरिया जाने की कोई जरूरत ही नहीं है । अभी हम देवरिया कैसे जायेंगे ? मैं समाजवादी मन्त्री के आचरण पर सन्देह नहीं करता लेकिन इनके अधिकारी इनको बदनाम कर रहे हैं । जिन अधिकारियों ने लालबाग में हजरतगंज में छापे मारे, उल्टे मन्त्री जी ने उसको मुअत्तल कर दिया । बाद में जब मैं मुख्यमन्त्री जी से मिला तो बहाल हुआ । उसका साल भर में 3 बार ट्रांसफर किया । 12 साल से उसी पद पर एक अधिकारी मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हुआ ।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, आपका आदेश मानते हुए मोहन सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। यह उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में जैसे चीनी है, मिट्टी का तेल है, डीजल वगैरह है, इसके सम्बन्ध में चर्चा करने पर ऐसा लगता है कि चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो यह उपभोक्ता वस्तुयें जन सामान्य तक उचित मूल्य पर पहुंचाने का उद्देश्य हर पार्टी का रहता है और उसकी व्यवस्था शासन की तरफ से अच्छी हो रही है। यह बहुत बड़ा मूल्यांकन है। जनता इसी आधार पर कहती है कि कौन सा शासन अच्छा है कौन सा बुरा है? जो हमारी नीति है कि हम सस्ते मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचायेंगे, क्योंकि यह सामान हमारे देश में प्रदेश में कम है, इसलिये कन्ट्रोल के जरिये हमें अपनी जनता तक पहुंचाना है। तरीका कौन सा होना चाहिये, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि हम उधर और इधर के सदस्य इस पर विचार करें और सुझाव दें ताकि प्रशासन उसी के मुताबिक काम कर सके और उसी के अनुरूप ढांचे में परिवर्तन किया जा सके।

जब चीनी, मिट्टी का तेल और अन्य सामान की बात हम करते हैं और अपने क्षेत्रों में जिलों में जाते हैं तो इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा होती है। हमारे सामने चीनी और मिट्टी के तेल की समस्या, हमारे सामने सीमेन्ट की समस्या बड़ी अहमियत रखती है। माननीय मन्त्री जी और अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि वितरण की व्यवस्था में सहकारिता के माध्यम से वितरण व्यवस्था करने का जो फैसला किया गया है, वह सही है। व्यवस्था व्यक्ति के जरिये हो इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि जो सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करने का प्रयास किया गया है, फैसला लिया गया है, यह एक अच्छा फैसला है मगर उसमें कुछ तरमीम करने की आवश्यकता है। एक गांव सभा, न्याय पंचायत में लगभग 12 गांव आते हैं और 12-12 गांवों के लोग एक जगह जाते हैं मिट्टी का तेल और दूसरी आवश्यक चीजें लेने तो उन को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि हर एक गांव सभा में इस की व्यवस्था की जाये और कम से कम मिट्टी के तेल जैसी वस्तु जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा जरूरत है, इसके लिये जरूर व्यवस्था करें।

मन्त्री जी ने अभी भाषण के दौरान कहा कि जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग वितरण व्यवस्था में लिया जाय या कोई तरीका बनाया जाय जिसमें जन प्रतिनिधि भी शामिल हों। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि, जब किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, सीमेन्ट जैसी जरूरी वस्तु की और वह अपने क्षेत्र में बहुत माकूल आदमी को जो कहता है कि 10 बोरी की आवश्यकता है, उस के प्रार्थना पत्र पर लिखता है कि मैंने मौका देखा हुआ है, 10 बोरी की आवश्यकता है, कृपया परमिट दे दें, तो बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी उस समय माननीय सदस्य के लिखने के बाजूद, इस रिपोर्ट के बावजूद कि मौका देखा है, कहते हैं कि हम एस0डी0एम0 से रिपोर्ट लेंगे और एस0डी0एम0 लेखपाल से ले लें और जब वह आती है तब वह मानते हैं कि मांग सही है, रिपोर्ट सही है।

तो मैं सदन के सामने, मन्त्री जी से, सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर जनप्रतिनिधि को महत्व देना चाहते हैं, उनका सहयोग लेना चाहते हैं, तो इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। दूसरा सुझाव देना चाहता हूं हमारे जिले की बड़ी अहम समस्या है, 7 सितम्बर, 81

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दूधनाथ राजभर—

को जिले भर के सभी माननीय सदस्यों ने, जो खाद्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं, अधिकारी महोदय के कक्ष में निर्णय लिया कि मुख्यालय पर नगरीय क्षेत्र में जो नीति है शासन की, सहकारी समितियां जहां नहीं हैं वहां प्राइवेट वितरण व्यवस्था की जाये और इस जांच पड़ताल के बावजूद मुख्यालय पर, नगरीय क्षेत्र में, जहां सहकारी समितियां बोगस हैं गलत लोगों के माध्यम से दूकानें दी जा रही हैं। मन्त्री जी को कहा गया, लिखा गया, मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध किया गया लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। 12–14 सदस्यों के कहने के बावजूद कोई तरमीम नहीं की गई, इन सुझावों के साथ मैं मंत्रीजी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मंत्री जी ने अपने बजट की बड़े जोरों से तारीफ की परन्तु सत्यता यह है कि आज भी पूरे गढ़वाल में दिपुसा वंगानी ग्राम सभा ऐसी है जिस केअन्तर्गत सभी गांवों को आज तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है आजादी के इतने वर्ष बाद से। उन्हें राशन, चीनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से कभी भी अपने जीवन में उपलब्ध नहीं हुई है और इसके बावजूद कि क्षेत्रीय विधायक ने जिला प्रशासन को लिखा है कि वहां पर दुकानें खोली जायं, राशन कार्ड दिये जाय लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप सरल वितरण प्रणाली की बात करते हैं। चीनी, ईद, दीवाली पर तो मिलती नहीं है। अब जहां चुनाव होते हैं, वहां पर चीनी मिलती है और लोग अब कहने लगे हैं कि त्योहार की चीनी के बजाय चुनाव की चीनी। डिपो बनाने की बात कही गई कि भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में तो भंडारण की व्यवस्था बहुत जरूरी है। वहां पर आपके द्वारा प्रचुर संख्या म गोदाम नहीं बनाये गये हैं। राशन सड़कों पर वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वह बारिश से सड़ जाता है और वही सड़ा हुआ राशन लोगों में वितरित किया जाता है। आपके खाद्य निरीक्षक भी गोदामों का मुआयना नहीं करते हैं, वहां का सैम्पुल नहीं लेते हैं और वही सड़ा राशन वहां मिलता है। पर्वतीय अंचल में वहां की दुर्गमता और दूरी को देखते हुए वहां ट्रांसपोर्ट सब्सीडी देनी चाहिये। पहले कुछ वर्ष पूर्व वहां की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था थी परन्तु विगत वर्षों से हम यह मांग कर रहे हैं कि आप वहां पर सस्ते दामों पर लोगों को राशन उपलब्ध करवाने के लिये ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने की गांव तक व्यवस्था करें क्योंकि उनको 50–60 किलोमीटर की दूरी पर डिपो पड़ता है और वहां पर जाने का किराया भाड़ा बहुत पड़ता है। वहां पर 5 रु0 किलो तक नमक मिल रहा है।

आप मन्त्री जी इस चीज के बारे में विशेष ध्यान दें। आपने कहा कि हमने छापे मारकर बहुत से लोगों को पकड़ा है परन्तु सही बात तो यह है कि बड़े व्यापारियों पर आपने कोई छापे नहीं मरवायें, छोटे-छोटे मामूली व्यापारियों पर छापे पड़ रहे हैं और उन्हीं को सजा मिल रही है। कल कोटद्वार का प्रकरण आया था। कोटद्वार से पाकिस्तान को चीनी जा रही थी। हफ्तों तक वह बैगन जब्त किया जाता है और कुछ दिन बाद यह कहा जाता है कि चीनी नहीं है, खाण्डसारी है, उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है। मा0 मन्त्री जी मैंने कल भी कहा था कि आपके मंत्रिपरिषद् के लोगों का इसमें हाथ है। आप इसकी जांच करवायें। आप ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आप ईमानदारी से इसकी जांच करवायें तो जरूर इसका पता लग जायेगा। आप की कोशिश होनी चाहिये कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को सरल बनायें और जो अभियुक्त पकड़े जाते हैं वह कुछ दिन तो अन्दर रहें। आपने कुछ महीने पहले क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की प्रोन्नति जो कि लोक सेवा आयोग से चयनित थे, जिला पूर्ति अधिकारियों के लिये करने का आदेश दिया फिर पता नहीं किन कारणों से आपने अपना यह आदेश बदल दिया और यह कहा कि जो वहां पर विभाग द्वारा प्रोन्नत लोग सेवा

मे हैं उन्हीं को प्रोन्नति दी जाय जब कि ऐसे लोगों की कोई भी वरिष्ठता सूची नहीं है। इसको भी आप देख लें कि कैसे इसका परिवर्तन किया गया है ? सीमेन्ट की परमिट देने में पहाड़ में धांधली हो रही हैं लखनऊ से मंत्रियों की सिफारिश पर चार और पांच-पांच सौ बैगों के सीमेन्ट परमिट कुछ लोगों को मिले हैं। साधारण आदमियों को नहीं मिला है। इसलिये माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे।

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनका मैं आभारी हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव दे कर माननीय मंत्री जी का भार और बढ़ा दिया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो खाद्य उत्पादक हैं उनकी हमें चिन्ता है लेकिन जो रिक्शा चालक हैं उनकी चिन्ता हमें नहीं है। यह बात सचमुच गौर करने लायक है कि खाद्य पदार्थों के दाम घटते हैं लेकिन उसी अनुपात में जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनके दाम नहीं घटते। चीनी का भाव 8 रुपये किलो हो, तब भी चाय की कीमत 45 पैसे कप और जब चीनी तीन साढ़े तीन रुपये बिके तब भी चाय 45 पैसे कप मिलती है। नियम के अनुसार बाजार दर के अनुपात में रेस्टरां और होटलों को भी अपने सामानों की कीमत कम करनी चाहिये लेकिन उसकी तरफ हम लोगों का ध्यान कम है। मेरा विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी इस तरफ जरूर ही ध्यान रखेंगे।

माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर शोर के साथ कहा कि मेरे यहां चीनी का कोटा बढ़ गया है। जब आपका चीनी का कोटा बढ़ गया है तो सांस्कृतिक और सामाजिक अवसरों के लिये जो विशेष परमिट मिलने की प्रथा थी उसको आपने खतम क्यों कर दिया ? अब आपने यह नियम बना दिया है कि लड़की की शादी में 50 किलो और लड़के की शादी में 25 किलो चीनी मिलेगी। लेकिन हम लोग एक धर्म प्रधान देश में रहते हैं। मरना, जीना, पैदा होना यही सब अवसर हैं जब कि गांव वालों को थोड़ा बहुत मिष्ठान मिल जाता है। इस अवसर से आपने उनको वंचित कर दिया है। इसे आप कृपया न करें। जब आप का कोटा बढ़ा है तो जो पुराना नियम था कि सांस्कृतिक व धार्मिक अवसरों पर यज्ञ वगैरह के समय चीनी अवश्य मिलती थी, इसका प्राविधान फिर से कर देना चाहिये।

इसके साथ ही इसी आदरणीय सदन में माननीय मंत्री जी ने एक विशेष वक्तव्य दिया था रेंट कन्ट्रोल के विषय में। मुझे आज अफसोस हुआ कि पूरे भाषण मे आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपने इस सदन में घोषणा की थी कि रेंट कन्ट्रोल के बारे में शीघ्र ही एक विधेयक जिसे क्रान्तिकारी और समाजवादी विधेयक की संज्ञा दी थी वह विधेयक कब तक आने वाला है, इसकी कोई सूचना आपने हम लोगों को नहीं दी और उसके बारे में कोई भी चीज सदन के सामने नहीं रखी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं डीजल के बारे में। अक्सर डीजल की कमी होने की स्थिति हमारे सामने आती रहती है। कभी डीजल की स्थिति अच्छी हुई तो कभी डीजल की किल्लत हो गयी और जब किल्लत होतीहै तो लोगों को परेशानी होती है। सरकार को उसके नियन्त्रण पर विचार करना चाहिये। डीजल पम्प प्राइवेट कम्पनियां इंडियन आयल गैस कमीशन या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लोगों को दे देती हैं और जब डीलर की किल्लत होती है तो सही ढंग से डीजल के बांटने का भार राज्य सरकार के कंधे पर आ जाता है। अगर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के हाथ में डीजल पम्पों के आवंटन का अधिकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह--

दे दें और प्रदेश की सरकार, हर ब्लाक हेड क्वार्टर पर राज्य सरकार की ओर से एक-एक डीजल पम्प खुल जाय तो यह स्थिति जो किल्लत की आ जाती है उस स्थिति का निदान हो जायगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि जो बहुमूल्य सुझाव माननीय मंत्री जी को दिये गये हैं उनका वे आदर करेंगे और उनका इम्प्लिमेंटेशन अपने विभाग के द्वारा करायेंगे।

एक और सुझाव मैं नाप तौल विभाग के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। उस विभाग को जिस अधिकारी के अन्तर्गत आपने रखा है उनके कारण बड़ा असन्तोष है। उनके बारे में मेरे पास तो शिकायतों की बड़ी लम्बी सूची है। मैंने समय-समय पर आपको पत्र भी लिखा है। माधुरी श्रीवास्तव के कार्य कलापों के बारे में। मैं चाहता हूं कि उन शिकायतों की जांच निष्पक्षता से उच्च स्तर पर होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं।

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोहन सिंह तथा और विरोधी दल के नेताओं और हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं,जो उचित आलोचना की है,.मैं उन सब का स्वागत करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो सुझाव आये हैं और जिन्हें क्रियान्वित किया जा सके, जो रचनात्मक प्रकृति के हैं, उन को हम शीघ्र लागू करें।

जो रेन्ट कन्ट्रोल के बारे में माननीय मोहन सिंह ने बात कही वह ठीक, है। यह अभी मंत्रि परिषद् के विचाराधीन है। एक मुद्दे पर इस के पहले विचार हुआ था। एक मर्तबा यह विधान सभा में आया। लेकिन इस को, जैसी कि माननीय मोहन सिंह की इच्छा है, कुछ समाजवादी और कुछ सामान्य से भिन्न बनाने की कोशिश है और यथा समय आयेगा।

जो पत्र उन्होंने लिखा शिकायती माप तथा बाट के नियन्त्रक के विरुद्ध उस के जांच के मैंने आदेश दिये हैं और कुछ जो बात मोहन सिंह ने लिखी हैं अगर वे बातें सही पायी जायेंगी तो उचित कार्यवाही होगी। और जो यह शादी, विवाह के लिये, 25 किलो, 50 किलो चीनी की बात है, बहुत से ऐसे हैं जो त्योहार के लिये चीनी चाहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो दवा के लिए चीनी चाहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिये चाहते हैं, बहुत से और दूसरी चीजों के लिये चाहते हैं, चीनी की उपलब्धता ज्यों-ज्यों होगी, मैं श्री मोहन सिंह के सुझावों से बिलकुल सहमत हूं और मेरी इच्छा है, लेकिन इच्छा और कार्यान्वियन में भिन्नता हो जाती है, लेकिन यह कोशिश होगी कि चीनी की उपलब्धता ठीक कर दी जाय। अब जैसे चीनी हमको लगभग 22 लाख टन मिलती है और अगर हम हिसाब लगायें तो कम से कम 10 लाख टन हम भारत सरकार से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर आधारित कोटा को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, शासन कर रहा है और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस में विशेष रुचि ले रहे हैं। मैं भी मिलता हूं लोगों से पूरा ब्योरा बना कर और इस तरह से जो कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।

अब जैसे सीमेंट की बात है। इस वक्त हमको साल का लगभग 20 लाख टन मिला और हमको चाहिए कुल 120 लाख टन। हमारा जो उत्पादन है पूरे देश का वह है 55 लाख मीट्रिक टन। इस हिसाब से मैं समझता हूं हमको मिलना चाहिए 8,80,000 मीट्रिक टन। प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। हमारा उत्पादन थोड़ा बढ़ता है, आवंटन बढ़ता है तो उसकी जो आवश्यकता है वह तीव्र गति

से घोड़े की चाल से बढ़ जाती है। जैसे मिट्टी का तेल है हमको मिला है करीब 6 लाख किलो-लीटर कुल 5,77,484 किलो लीटर इस समय और हमको चाहिए नौ लाख किलो लीटर।

अब एक बात यह है कुछ माननीय सदस्य बार-बार बात करते हैं जैसे वृद्धि नारायण सिंह ने कहा गावों की बात। जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है और इन सब चीजों का सवाल है हम ध्यान दे रहे हैं गांवों पर ज्यादा और 30 सैकड़ा मिट्टी का तेल शहरी क्षेत्री के लिए और 70 सैकड़ा ग्रामीण अंचलों के लिए आवंटित करते हैं। तो यह जो समस्या है वह हर विकास शीलदेश के सामने आती है। मान्यवर, पुरानी राजनीति के आधार पर नये सवालों की विकरालता को तेजी से बदलना एक कला है। हम समझते हैं कि हम पुरानी दृष्टि से काम नहीं करेंगे, आगे देखा दृष्टि से इस प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम जन आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में प्रभावी कदम उठायेंगे और हमको इत्मीनान है कि हम धीरे-धीरे शनैः शनैः, हल्के-हल्के जिस समाजवाद को पकड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मोहन सिंह जी को तथा श्री ऊदल जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को तो हो सकती है।

श्री मोहम्मद नबी- -

मान्यवर, हमारे जिले में जिलाधिकारी ने लिखा है और बार-बार लिखते हैं कि वहां पर बहुत सी मस्जिदें वैसी ही पड़ी हुई हैं, हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिये वहां जाते हैं, धूप और बरसात में नमाज पढ़ते हैं लेकिन शासन उस ओर कोई तवज्जह नहीं देता है। इसके सम्बन्ध में शासन स्तर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वासुदेव सिंह---

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि बफर स्टाक होने चाहिए। यह हमारी कोशिश होगी कि हम बफर स्टाक में चीजों को रखें। जो केन्द्र से कोटा बढ़ाने की उनकी इच्छा है उसके लिये भी हम क्रमिक प्रयास कर रहे हैं। राशन कार्ड्स के बारे में भी माननीय सदस्यों ने संकेत किया। 16 लाख छपने हैं। 7 लाख रुपया की मंजूरी हुई। यह बात अवश्य है कि इन कार्ड्स के छापने में विलम्ब हुआ है। मैं स्वीकार करता हूं कि इनकी स्वीकृति लेने में विलम्ब आवश्यकता से अधिक हो गया है लेकिन जो छपे हैं उनको बांटने की दिशा में कामयाबी हमें तब मिलेगी जब हमारा कुटुम्ब रजिस्टर ठीक होगा, चैकिंग का रजिस्टर ठीक होगा। नहीं तो फिर वही हालत हो जायेगी। फर्जी कार्डों के बनाने में प्रचुरता हो जायेगी।

इसलिये इस ओर सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा विभाग और पंचायत राज विभाग इस ओर सक्रिय है। इस दिशा में कुछ जिलों में कार्य हुआ भी है लेकिन सब जगह नहीं हुआ है। वह तैयार हो जाय। यदि इन दूकानों से सामान ले लिया जाय और जब वह प्रमाणित हो जाय तभी हम दूसरे राशन कार्डों का वितरण कर सकेंगे। उसके बाद पुराने कार्ड अपने आप खतम हो जायेंगे।

माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि माननीय सदस्यों को भी इसमें साझेदारी दी जाय। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शासन प्रशासनिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मंडलीय व्यवस्था इसके लिये की है वह एक अर्थ है इति नहीं है और उसका जो परिणत का स्वरूप है वह भी माननीय सदस्यों के सामने आयेगा। उस स्थिति में जो चुने हुए लोग है उनका वितरण प्रणाली में हाथ होना चाहिए, यदि इस तर्क से सहमत हुए तो उनको यह अवसर मिलेगा।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्तावक महोदय माननीय मोहन सिंह जी एक पुराने सोशलिस्ट हैं और हमारे माननीय मंत्री जी तो पुराने समाजवादी नेता रहे हैं, सन् 56 में लोहिया जी ने क्या कहा था कि प्राइस फिक्शेसन होना चाहिए, इस पर मंत्री जी के क्या सुझाव हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

मूल्य नीति के बारे में उसके सिद्धांत के पक्ष का प्रतिपादन मैं कर सकता हू लेकिन मूल्य नीति का निर्धारण केन्द्र का विषय है। मैं समझता हूं कि कारखाने से बनी हुई चीज और खेत से पैदा की हुई चीज का सामंजस्य होना चाहिए। दाम के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं कि जो 1 जनवरी, 81 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया गया मैंने देखा कि उससे फायदा हुआ है। वैसे जो पैसे वाला होता है वह उद्योग धंधों के सबक होता है, जो उत्पादन और वितरण के काम में लगे हुए हैं वह धनी हो जाते हैं और किसान जो बिखरा हुआ है, जिनका संगठन नहीं है उनका मामला अछूता रह जाता है।

वितरण प्रणाली की बात बताता हूं 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो मुझे पाकिस्तान में रिसालपुर, डेरानानकपुर, भांजीखां, पेशावर, लायलपुर मुल्तसुर आदि जगहों से हिन्दू शरणार्थियों को लाने और मुसलमान शरणार्थियों को वहां पहुंचानने का मौका मिला। तो वहां से जो शरणार्थी आये वह केवल 14 पौंड अपने साथ ला पाये और अपनी चीजें भी नहीं ला पाये। लेकिन जब बाद में वे लोग मुझको मिले तो उस समय जो बच्चे थे उनको मैं पहचान नहीं पाया उन्होंने मुझे पहचान लिया तो उन्होंने वितरण का काम किया जब वे मुझे बाद में मिले तो 10 लाख की हैसियत के हो गये। इसका कारण यह है कि वह वितरण के काम में लगे। आज गांवों से लक्ष्मी का हरण हो रहा है। किसान एक चीज पैदा करता है और हजारों चीजें खरीदता है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी राशन कार्ड के यूनिट पहले ग्राम सभा का प्रधान प्रमाणित करता था अब यह काम आपने पंचायत सेवक को दे दिया है और ग्राम प्रधानों पर अविश्वास किया गया है। तो आप प्रजातन्त्र के हामी हैं क्या उनको फिर यह अधिकार देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह इस प्रसंग से अलग है। मैं कह रहा था कि सामान बेंच कर, कपड़ा बेंच कर लोग धनी हो गये हैं। गांव की जो लक्ष्मी है, खेत की जो लक्ष्मी है उसका हरण न हो उसके लिये सहकारिता एक पंक्ति है, उसके द्वारा इसे हम रोक सकते हैं। गांव के रहने वाले का जो शोषण होता है उसकी हम इस सहकारिता के जरिये मुक्ति दिला सकते हैं। हम चाहते हैं कि तीन-चार साल में एक-एक साधन सहकारी समिति एक करोड़ की हैसियत की हो जाय। मैंने सहकारी आंदोलन को बल देने की बात कही थी जिससे गरीबी को हटाया जा सकता है। अगर एक करोड़ की हैसियत सहकारी समितियों की हो जाती है तो 10 गांव के एक-एक ब्लाक में एक-एक सहकारी समिति को एक एक लाख का फायदा हो गया तो वह अपने स्कूल बना सकते हैं। अपने घर बना सकते हैं बिना सहकारिता के माध्यम के यह कोई काम पूरा नहीं कर सकते हैं।

उसी प्रसंग में मैंने सोचा कि केन्द्र शासन हर जरूरी चीज को उत्तर प्रदेश शासन को दे और उत्तर प्रदेश शासन अपने ढंग से उसका वितरण करे, सहकारिता के माध्यम से करे तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह एक क्रांतिकारी योजना है इसको चलाने की हमारी कोशिश है, बीच में व्यवधान होते रहते हैं क्योंकि जहां राम वहीं रावण भी पैदा हो जाता है.....

(5 बजकर 15 मिनट)

लेकिन यह निश्चय ही शासन की मूल नीति रीति है और इन व्याप्त बुराइयों को दूर करने का यह सक्रिय उपाय सोचा गया है और है। जहां तक दूसरे माननीय सदस्यों ने गेहूं आदि के मूल्य के बारे में कहा। इस पर हमने कहा है और केन्द्र को इसके बारे में लिखा भी है और वह मान्य होता है। इसलिये जिन्होंने यह कहा कि कहीं-कहीं डी0 एस0 ओ0 नहीं है या कहीं और कोई पद रिक्त है जैसे कुंवर सिंह नेगी ने कहा, तो यह पद अब सारी जगह शीघ्र भर दिये जाएंगे। जो बाढ़ के बारे में अकबाल हुसैन साहब ने कहा था, बाढ़ के इलाके में राजस्व विभाग का पटवारी सामग्री बांटता है।

हमारी जो सीमेंट है उसे हम सभी सम्बन्धित विभागों-उद्योग विभाग, सिंचाई विभाग, पी0 डब्लू0 डी0 व जल निगम आदि को दे देते हैं जो माननीय सदस्य कहते हैं कि उद्योग के लिये नहीं है तो उनको मालूम होना चाहिए कि हम उद्योग विभाग को 40 या 45 हजार मीट्रिक टन देते हैं। वहां से उनको लेना चाहिए। जानकारी न होने के कारण भी बहुत सा मामला बिगड़ता है। अतः आवश्यक वस्तुओं के बारे में एक छोटी पुस्तिका भी माननीय सदस्यों के लिए पुलिस और विभागीय अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के लिए बांट दें, यह हमने निश्चय किया है। क्योंकि प्रायः जानकारी के अभाव में मामला बिगड़ता है। बिहारीलाल जी ने जो पर्वतीय अंचल के लिए अपेक्षा की है तो पर्वतीय अंचल को तो कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों को होनी चाहिए कि पर्वतीय अंचलों के लिये बहुत ज्यादा किया जा रहा है।

पिछली विधान सभा में ऐसा ध्वनित भी हुआ था। कितना स्टाक है, इसके बारे में ढाई सौ है, इस पर भी सोचा जाता है जो वृद्धिनारायण सिंह जी ने सुझाव दिए हैं उस पर हम विचार करेंगे। भंडारी जी जो आ रहे हैं, उनकी तो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। वह स्वयं नहीं जानते हैं जो कह रहे हैं। तफसील में कहीं कोई गड़बड़ हो तो उसे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो माननीय सदस्यों का काम होता है, हमसे जो कहते हैं, हमने अपने पी0 आर0 ओ0 से कह दिया है कि वह विधायकों का कार्य तत्परता से करें, विधायकों के अलावा दूसरे लोगों का कहना वह नहीं मानता है। वह जो काम होने वाला है, उसे हमसे पूछकर कर देता है।

दूधनाथ राजभर ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर भी हम विचार करेंगे। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आयातित खाद्य तेल के बारे में कहा है, उसके बारे में भी निर्णय ले लिया गया है वह व्यवसायिक थोक विक्रेताओं को नहीं दिया जाता है। यह 15–16 किलो एक साथ न देकर 1–1, 2–2 किलो के हिसाब से सामान्य उपभोक्ताओं को बांटा जाता है। इसमें और अन्य वितरण में अच्छी और सुन्दर व्यवस्था की गई है तो अब इसमें भ्रष्टाचार कहां से और कैसे आ गया। खाद्य तेल सब्सीडाईज्ड है और उसी रेट पर राशनकार्ड के माध्यम से बांटा जाता है। जितने हमारे पास सुझाव आए हैं, जितनी आलोचनाएं आई हैं उन सबका ने संक्षेप मैंमें उत्तर दे दिया है।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जिले में जो सीमेंट की बिक्री हो रही है, उसके बारे में जिला स्तर पर शिकायत मिलती हैं कि इनके बोरों में निर्धारित मात्रा से काफी कम सीमेंट होती है और वही कम सीमेंट उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसकी जब मैंने जिले में जांच कराने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि फैक्टरियों से ही कम मात्रा में सीमेंट आ रही है। तो इस संदर्भ में भी आप कुछ बता दें ?

श्री वासुदेव सिंह---

सीमेंट और चीनी के वितरण की जो व्यवस्था है इसमें उपभोक्ताओं को नुकसान न हो उस पर शासन सक्रिय तौर पर विचार कर रहा है और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि जब सीमेंट का वितरण ब्लौक स्तर पर सुनिश्चित कर दिया जायगा तो हर चीज का वहां पर एकीकरण कर दिया जायेगा। तो सीमेंट के कम होने का सवाल नहीं उठेगा। माननीय मोहन सिंह जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में रखा है विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय सदस्य ने आलोचना भी की और सुझाव भी दिए। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष---

क्या मोहन सिंह जी, आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री मोहन सिंह---

जी नहीं। उन्होंने हमारी मंशा बता दी है। वापस तो लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11-खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,25,25,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(5 बजकर 22 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से माननीय हुक्म सिंह, माननीय मित्रसेन, माननीय गोपीनाथ वर्मा, माननीय भीखालाल, माननीय विद्यासागर नौटियाल और माननीय गौरी शंकर भैय्या की जो सब एक ही विषय पर थीं, वक्तव्य के

लिए स्वीकृत हुई। ये दिनांक 23 फरवरी, 1982 को जनपद मेरठ के ग्राम पोथी में कुछ हरिजन परिवारों को लूटे जाने से संबंधित है।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई।

मंत्री जी, आप इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह---

4 तारीख को या किसी दूसरे दिन जब आप कहें वक्तव्य दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

4 तक तो वक्तव्य लगे हैं तो आप 5 मार्च को वक्तव्य दे दें ?

श्री वासुदेव सिंह---

ठीक है, 5 मार्च को वक्तव्य दे देंगे।

मथुरा के किशोरी रमण इन्टर कालेज स्थित सिन्डीकेट बैंक की शाखा को दिन दहाड़े लूटे जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(5 बजकर 23 मिनट)

(गृह मन्त्री को पुकारे जाने और गृह राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री गौरी शंकर भैय्या---

हमारे दल ने यह घोषणा की थी और यह मांग की थी कि सदन में जब माननीय मुख्य मंत्री रहेंगे तभी विरोधी दल के लोग माननीय गृह मंत्री के उत्तर सुनेंगे। चूंकि आज सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, अतः इसके विरोध में जनता विधान मंडल दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री गौरी शंकर भैय्या सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विद्या सागर नौटियाल---

हमने भी यह मांग की थी कि जब सदन में इस प्रकार के उत्तर आया करें जिनमें सारे प्रदेश का जीवन असुरक्षित हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में रहे। चूंकि इस समय वे सदन में नहीं हैं तो इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री विद्यासागर नौटियाल भी सदन त्याग कर चले गये।)

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी) ---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3 फरवरी, 1982 को सिंडीकेट बैंक, किशोरी रमण इन्टर कालेज, शाखा मथुरा में दो बदमाशों द्वारा चाकू व तमंचा दिखाकर रु0 47,502 की लूट के संबंध में श्री अनन्त भटनागर, असिस्टेंट मैनेजर द्वारा थाना कोतवाली पर उसी दिन 4-10 बजे शाम को सूचना दी गई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर अपराध संख्या 72/82 धारा 392 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों का पता लगाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गई, किन्तु अभियुक्तों का अभी तक पता नहीं लग सका है।

विवेचना के दौरान कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आये हैं, जिनसे यह घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। मामले की गहराई से जांच किये जाने हेतु यह मामला अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया है। यह सही नहीं है कि जनपद की जनता में भारी भय एवं आतंक व आक्रोश व्याप्त है तथा जनता द्वारा पुलिस के कार्य की निन्दा की जा रही है।

श्री सरदार सिंह--

माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वह तथय क्या हैं, जिससे घटना को असत्य माना जा रहा है या संदेह किया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य वहां अगर कुछ लोगों से जानकारी किये होते, तो संदेह की पुष्टि उनको भी हो जाती, लेकिन संदेह की पुष्टि जो कागजों और साक्ष्य में आ रही है, उसको मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं। (1) उसमें उन्होंने कहा था कि टेलीफोन से सूचना इसलिये नहीं दी कि टेलीफोन का तार चाकू से काट दिया गया था और चाकू से काटने की बात जब जांच की गयी, तो एक कैंची वहां पर मिली। कटा हुआ जो कटाव था, चाकू से न होकर कैंची से दिखाई दे रहा था। (2) एक चपरासी का उल्लेख किया गया। एक कालेज का चपरासी वहां पर अपना रुपया जमा करने के लिये आया था, उसने अपना रुपया जमा करने से पूर्व बिल जमा करने के लिये 1300 रुपया लेकर आया था, उसका नाम किशन लाल सिंह था।

वह जब आया 3 बजे, तो दरवाजा बन्द मिला। यहां के मैनेजर ने चपरासी से शोर करने के लिये कहा, लेकिन चपरासी ने कहा कि हमको हाथ दिखा कर कहा कि चुप रहो, तो शोर करने का प्रमाण नहीं मिला। वहां जब आस-पास के लोगों से पूछा कि कोई शोर गुल हुआ, तो वहां के लोगों ने कहा कि कोई शोर-गुल नहीं हुआ। पहले मान्यवर, ये आते हैं 4 बजे रिपोर्ट लिखा देते हैं, जिसकी जांच, हो रही है। श्वान दल बुलाया गया। श्वान दल जब आये तो वे सूंघकर वहीं रह गये। तो श्रीमन, ऐसी चीज इसमें आ रही है। इस लिये इसकी जांच शासन ने स्वयं अनुसंधान विभाग को सौंप दिया है, जिससे माननीय सदस्य को संतोष होना चाहिये।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, कब घटना घटी, किस समय घटी और कब पुलिस वहां पर पहुंची ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो मैंने आपको बुलाया नहीं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि अगर सम्मानित सदन में कोई तर्कसंगत उत्तर न हो, तो माननीय सदस्यों को नाराजगी हो जाती है। लेकिन अगर को प्रश्न और तर्क से संबंधित हो, तो उसके लिये क्या हो सकता है? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

भावनाओं के संबंध में मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता। मुझको न दुःखी करें, बाकी सब ठीक है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, कोई भी डकैती होती है, तो चोरी लिखी जाती है। चोरी होती है, तब भी बड़े मुश्किल से थाने में दर्ज किया जाता है। देहाती थानों में तो नित्य-प्रति ऐसा होता रहता

है । बैंक में डकैती पड़ी, उसको भी छिपाया जा रहा है । यह पुलिस की बड़ी बदनामी है । मैंने स्वयं वह जो चपरासी है, उससे बात की । वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों से बात की । उन्होंने हर तरह से यह विश्वास दिलाया कि घटना वास्तव में सही है ।

श्री अध्यक्ष---

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सरदार सिंह---

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी एफ0 आई0 आर0 को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य यदि प्रश्न का समुचित उत्तर आ जाय तो पूरक प्रश्न न हों तो हर प्रश्न पूछने का मौका देने में ठीक रहता है । इसका समुचित उत्तर दिया गया है ।

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एफ0 आई0 आर0 के लिये कहा था । लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है । मान्यवर, मंत्री जी ने घटना के संदेह के संबंध में उत्तर दिया है जिसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इनका सबसे बड़ा तर्क है कि पुलिस के कुत्तों को विश्वास नहीं हुआ, इसलिये संदेह की घटना हुई । दूसरी बात टेलीफोन के तार कटे मिले वह चाहे फिर कैंची से या चाकू से काटे गये हों इसमें विशेष अंतर नहीं । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जांच अपराध अनुसंधान शाखा को सौंपी है, वह किसकी संस्तुति पर सौंपी है । मैनेजर ने मांग किया था या स्वयं आप समझे कि लोकल पुलिस सक्षम नहीं है, इसलिये जांच अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिये उसको सौंपी ।

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य के पैरा 2 में लिखा है कि विवेचना के दौरान कुछ तथ्य ऐसे प्रकाश में आये जिससे यह घटना संदेहास्पद प्रतीत हुई ।

श्री शंकर सिंह---

मैंने तो पहले ही कहा कि पुलिस के कुत्तों पर विश्वास नहीं हुआ ।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो सिंडीकेट बैंक है जहां से रुपया लूटना बताया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि बैंक की तरफ से कोई सुरक्षा गार्ड तैनात था कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

सुरक्षा गार्ड के बारे में बैंकवालों ने कुछ नहीं कहा । यह उनका काम है । लेकिन घटना के 1 घंटा 10 मिनट बाद रिपोर्ट किया जबकि मा0 सदस्य जानते हैं कि थोड़ी दूर पर ही कोतवाली थी ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मैं जानना चाहता हूं कि बैंक से कोतवाली कितनी दूर है । दूसरा प्रश्न है कि विवेचना के दौरान बैंक में और कर्मचारी भी काम करते होंगे तो किन-किन लोगों से पूछ-ताछ की गयी उनके क्या बयान हैं ? तीसरा प्रश्न एफ0 आई0 आर0 के लिये मा0 सदस्य ने कहा तो उसको पढ़ दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, पहला प्रश्न पूछा कि कोतवाली कितनी दूर पर है तो मैं प्रश्नकर्ता, सरदार जी हैं उन्हीं के अनुरूप कहना चाहता हूं कि 200 मीटर की दूरी पर है। जो सहायक मैनेजर और खजांची हैं उनसे पूछा गया है क्योंकि वह दो वहां पर मौजूद थे। एफ0 आई0 आर0 की जो बात है तो वह आंग्ल भाषा मे लिखी गयी है, मान्यवर, कहें तो उद्धरण कर दूं, नहीं तो रूपान्तरण कर दूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26-2-1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी (क)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 565 पर)

गन्ना संघ में दिनांक 31–10–81 को कार्यरत प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम	जिसे पद एवं विभाग में कार्यरत थे	गन्ना संघमें किस पद पर कार्य कर रहे हैं	गन्ना संघ में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री:—	गन्ना विकास विभाग (गन्ना आयुक्त)		
1	डा0 एस0 एन0 राय	जिला गन्ना अधिकारी।	अतिरिक्त सचिव	6–9–80
2	एस0 सी0 हिंगोरानी	,, ,,	संयुक्त सचिव (उर्वरक)	5–6–71
3	एन0 के0 भट्ट	,, ,,	संयुक्त सचिव (ट्रेनिंग)	3–9–76
4	के0 एस0 भटनागर	,, ,,	संयुक्त सचिव (जांच-दल)।	12-12-77
5	नरसिंह सिंह	ज्ये0 ग0 वि0 निरीक्षक	जांच दल अधिकारी	27-12-77
6	दया शंकर द्विवेदी	,, ,,	जांचदल अधिकारी	15–2–75
7	सरोज सुमन मिश्रा	,, ,,	जांचदल अधिकारी	20-11-80
8	हनुमान प्रसाद सिंह	सहा0 सांख्यिक अधिकारी	सहा0 सांख्यिक अधिकारी	22-10-80
9	निर्मल कुमार बनर्जी	क्षेत्रीय लेखाकार	लेखाकार	28–3–77
10	हीरा वल्लभ जोशी	क्षेत्रीय लेखाकार	लेखाकार	12–2–75
11	सै0 अस्करी मेंहदी	गन्ना विकास निरीक्षक।	गन्ना विकास निरीक्षक	4–12–80
12	वरुणेन्द्र कुमार	गन्ना पर्यवेक्षक	गन्ना पर्यवेक्षक	26–8–76
13	मुमताज अली	चालक	चालक	1–7–77
14	प्रयाग दत्त मिश्रा	चालक,	चालक	1–5–78
		वित्त विभाग उ0 प्र0 शासन		
15	एन0 पी0 श्रीवास्तव	लेखाधिकारी	मुख्य वसूली अधिकारी	30-12-77
		मुख्य सम्परीक्षा अधिकारी सह0 समितियां तथा पंचायतें, लखनऊ		
16	सुरन्द्र प्रकाश सक्सेना	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	बैलेन्सशीट अधिकारी	17-10-81
17	सन्तराम पाठक	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	28–6–80
18	विजय बहादुर सिंह	,, ,,	,, ,,	7–6–80
19	तपेश्वरी लाल वर्मा	,, ,,	,, ,,	14–7–80
20	जगदीश चन्द्र जोशी	,, ,,	,, ,,	9–9–75
21	प्यारे लाल शर्मा	,, ,,	जांच दल अधिकारी	17–5–78
22	दयाकृष्ण भट्ट	,, ,,	जांच दल अधिकारी	6–5–78

नत्थी (ख)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 567 पर।)

संघ के सम्बन्धी निवास सुविधा प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रम0सं0	नाम		पद
	सर्व श्री—		
1	राम दुलारे	..	भू0 पू0 अतिरिक्त सचिव
2	डा0 ए स0 एन0 राय	..	अपर सचिव
3	आर0 एल0 शुक्ला	..	खंड प्रभारी/अवधाता
4	सच्चिदानन्द शर्मा	..	खंड प्रभारी
5	मारकण्डे पांडे	..	खंड प्रभारी
6	कन्हैया लाल श र्ा	..	लिपिक
7	ओम प्रकाश मिश्र	..	जूनियर सहायक
8	चन्द्र प्रकाश मिश्र	..	लिपिक
9	देव नरायण मिश्र	..	ड्राइवर
10	लोध सिंह	..	आर्म गार्ड
11	सन्तराम	..	चौकीदार
12	हुलास	..	चपरासी
13	बनारसी	..	अतिथि गृह सेवक
14	राम गरीब	..	,, ,,
15	राम हरख	..	चपरासी
16	सन्त बक्स	..	चपरासी
17	छेदी लाल नं0 1	..	,, ,,
18	गौरी शंकर शुक्ल	..	,, ,,
19	केसर सिंह	..	,, ,,
20	श्रीमती तारा देवी	..	,, ,,
21	छेदी नं0 3	..	माली
22	गौरी शंकर नं0 2	..	चपरासी
23	गोपी कृष्ण सैनी	..	ट्यूबवेल आपरेटर
24	श्रीमती रज्जो	..	जमादारिनी
25	ओम नारायण पांडेय	..	टाइमकीपर प्रेस
26	देवीदीन	..	कास्ट क्लर्क प्रेस
27	रामफेर चौबे	..	,, ,,
28	बहादुर सिंह	..	चौकीदार
29	महाराज बहादुर	..	मशीन सहायक
30	सन्त प्रसाद	..	बाइन्डर
31	ज्ञानू	..	चपरासी
32	राजाराम नं0	..	स्वीपर
33	राम अभिलाख	..	पैकर
34	जगजीवन राम	..	चपरासी
35	शिवशंकर पांडे	..	जमादार
36	गोपाल दत्त उपाध्याय	..	मुख्य प्रचार अधिकारी

डबल ड्यूटी एलाउन्स (अतिरिक्त पद पर कार्य के लिये अतिरिक्त वेतन) पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :—

सर्वश्री :—

1—सूर्यनाथ सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी (उर्वरक)
2—विभव नाथ पाण्डे, अतिरिक्त उर्वरक अधिकारी ।
3—बीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, ज्येष्ठ सहायक ।
4—नन्हें प्रसाद मिश्र, ज्येष्ठ सहायक ।
5—सच्चिदानन्द शर्मा, खण्ड कार्यवाहक ।
6—पीताम्बर दत्त तिवारी, जू0 सहायक ।
7—गणेश प्रसाद लिपिक ।
8—राजेन्द्र श्रीवास्तव, लिपिक ।
9—प्रमोद वर्मा, लिपिक ।
10—शिवकुमार लाल, लिपिक ।
11—चन्द्र मोहन शुक्ल (मध्य क्षेत्र) फर्टिलाइजर इन्सपेक्टर ।
12—विजय कुमार भटनागर, लिपिक ।
13—रविकुमार भार्गव, लिपिक ।
14—राहतउल्लाह, लिपिक ।
15—भुनेश्वर बख्श सिंह ।
16—श्याममनोहर श्रीवास्तव, ज्ये0 सहायक ।
17—चन्द्र प्रकाश मिश्र, लिपिक ।
18—स्वामी नाथ पाण्डे, लिपिक ।
19—प्रभाकर सिंह, जूनियर सहायक ।

प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

सर्वश्री—

1—बी0 पी0 मिश्रा	..	प्रबन्ध निदेशक
2—राम दुलारे	..	अतिरिक्त सचिव ।
3—एस0 एन0 राय	..	अतिरिक्त सचिव
4—एस0 सी0 हिंगोरानी	..	संयुक्त सचिव
5—जे0 एन0 श्रीवास्तव	..	संयुक्त सचिव
6—के0 एस0 भटनागर	..	संयुक्त सचिव
7—नन्द किशोर भट्ट	..	संयुक्त सचिव
8—नरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	..	मुख्य वसूली अधिकारी
9—महेन्द्र त्रिपाठी	..	अतिरिक्त मुख्य वसूली अधिकारी
10—दया शंकर द्विवेदी	..	जांच दल अधिकारी
11—सरोज सुमन मिश्रा	..	जांच दल अधिकारी
12—नरसिंह सिंह	..	जांच दल अधिकारी
13—प्यारेलाल शर्मा	..	ज्ये0 सम्परीक्षक अधिकारी
14—दया कृष्ण भट्ट	..	ज्ये0 सम्परीक्षक अधिकारी
15—तपेश्वरी लाल वर्मा	..	ज्ये0 सम्प0 बैलेंशसीट
16—विजय बहादुर सिंह	..	ज्ये0 सम्प0 बैलेंशशीट
17—सन्तराम पाठक	..	ज्ये0 सम्प0 बैलेंशसीट
18—हनुमान प्रसाद सिंह	..	सहायक सांख्यिक अधिकारी
19—सैयद असकरी मेंहदी	..	गन्ना विकास निरीक्षक
20—वरुणेन्द्र कुमार	..	गन्ना पर्यवेक्षक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ग)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 574 पर।)

सूची--1

मैकेनिकल प्लान्ट इरेक्शन सर्किल, टाण्डा तापीय परियोजना के अन्तर्गत निबन्धित फर्मों की सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम	फर्म द्वारा पत्राचार हेतु दिये गये पते
1	मसर्स रानेक्स इन्जीनियरिंग कम्पनी	8/1, केदार नाथ दियरुती लेन, पोस्ट बाक्स 123, हावड़ा।
2	मेसर्स ग्लोब ही-फा	पुन 0-,10, कनाट सर्कस नई दिल्ली---110001
3	मेसर्स अशोका इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन	श्री राम विला अलीगढ़---202001
4	मेसर्स चन्द्रा इंजीनियरिंग	13 सिविल लाइन्स, बरेली।
5	मेसर्स स्टीवर्ट्स एण्ड एलायड्स आफ इंडिया लिमिटेड	41, चौरंगी रोड, पोस्ट बाक्स 270, कलकत्ता।
6	मेसर्स राम चन्द्र राधेश्याम जायसवाल	खवासपुरा, फैजाबाद।
7	मेसर्स देवीदयाल स्टील डिस्ट्रीब्यूटरर्स	71/312, हर्षनगर, कानपुर।
8	मेसर्स कानपुर सप्लाई कम्पनी	93/85, नई सड़क, कानपुर।
9	मेसर्स सत्य नारायण फूलचन्द्र	हैलसी रोड, कानपुर।
10	मेसर्स हस्तिनापुर मेटल्स प्राइवेट, लिमिटेड	8-ए कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
11	मेसर्स एलकान इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	8/डी आत्माराम हाउस, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली
12	मसर्स बाम्ब वर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	प्लाट नं0 2, कन्जर विलेज रोड, कन्जर मार्ग, (ईस्ट) बम्बे---400078।
13	मेसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रूमेंट	33/145 गया प्रसाद लेन (बगिया मनीराम) कानपुर।
14	मेसर्स एफकों लिमिटेड	प्लाट नं0 2, कन्जर विलेज रोड, कन्जर मार्ग (ईस्ट) बम्बई---400078।
15	मेसर्स अन्जनी इलेक्ट्रिकल्स	58/16 ए नीलवाली गली, बिरहाना रोड, कानपुर।
16	मेसर्स राडला केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड	69/5ए, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली--- 110015।

17	मेसर्स कैलाश इलेक्ट्रिकल्स कारपोरेशन	न्यू कमला नेहरू भवन, फतेहगंज, फैजाबाद।
18	मेसर्स एन0 जी0 ई0 एफ0 लिमिटेड	बैंक आफ बडौदा बिल्डिगं (पांचवां फ्लोर) पो0 बाक्स 633, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
19	मेसर्स एस0 के0 ट्रेडर्स	124, ए/387, गोबिन्द नगर, कानपुर।
20	मैसर्स इन्डिया सप्लाई कारपोरेशन	17/11 दि माल, कानपुर।
21	मैसर्स इलेक्ट्रिक इन्सट्रक्शन एण्ड इक्विपमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।	15/46 ए, सिविल लाइन्स, कानपुर।
22	मेसर्स हावड़ा केमिकल वर्क्स	146 महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता।
23	मैसर्स नानक इलैक्ट्रिक स्टोर्स	गया प्रसाद स्ट्रीट, कानपुर---20800
24	मैसर्स ईस्टर्न इंडिया इरैक्टर्स लिमिटेड	पोस्ट बाक्स 731 सहयादरी सदन, तिलक रोड, पूना।
25	मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी	3जी आई डी सी, 8--मकरपुरा इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पोस्ट बाक्स 713, बदोदरी (गुजरात)
26	मैसर्स लूथरा इंजीनियरिंग वर्क्स	दिल्ली रोड, सोनीपत, 131001
27	मैसर्स ए0 एन0 भास्कर सन्स	अमर नगर (20.4 किलोमीटर मथुरा रोड) फरीदाबाद--121003।
28	मैसर्स एम0 के0 इंजीनियर्स	सी- 16, सर्वोदय नगर, कानपुर।
29	मैसर्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	एग्रो हाउस, 28---लालबाग रोड, बंगलौर।
30	मैसर्स श्याम इलैक्ट्रिकल एण्ड सन्स	10बी, बिपलाबी रोड, बिहारी बासु रोड (दूसरा फ्लोर), कलकत्ता।
31	मैसर्स रिलायबिल बियरिंग कारपोरेशन	1/1 वनसित्तारत रोड, बी0 डी0 बैग, कलकत्ता।
32	मैसर्स कान्टीनेन्टर इरेक्टर्स	1/1 वनसित्तारत, रोड बी बी डी बैग, कलकत्ता।
33	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	बेस्टकाट बिल्डिंग, महात्मां गांधी रोड, कानपुर।
34	मैसर्स एलेक्को अलीगढ़	विष्णुपुरी, अलीगढ़।
35	मेसर्स आटो सर्विस इक्वीपमेंट	7 नवल किशोर रोड, लखनऊ।
36	मैसर्स कंवल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	1203 रोहित हाउस मार्ग, नई दिल्ली
37	मैसर्स यू0 पी0 इलेक्ट्रिक एण्ड मैकेनिकल स्टोर्स (सेल्स)	32/139 बगिया मनीराम, कानपुर।
38	मैसर्स मोहम्मद सईद एण्ड सन्स	मेठवालिया, डोमरियागंज, बस्ती।

क्रम संख्या	फर्म का नाम	फर्म द्वारा पत्राचार हेतु दिय गये पते
39	मैसर्स मुन्नी लाल वर्मा	सुलेमानपुर, टांडा (फैजाबाद)।
40	मेसर्स राज इंजीनियरिंग वर्क्स	फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ।
41	मैसर्स डी एण्ड एच सेकेरन इलैक्ट्रोडस प्राइवेट लिमिटेड	44–46, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, सुप्रीम किला मैदान, इन्दौर 452006।
42	मैसर्स किशन लाल पवन कुमार जैन	46/78 राज गद्दी, कानपुर।
43	मैसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग कारपोरेशन	लोहा बाजार, अयोध्या रोड, फैजाबाद।
44	मैसर्स विजय इंडस्ट्रीज	मीरनपुरा, टांडा (फैजाबाद)।
45	मेसर्स अनिल कुमार अग्रवाल	हयातगंज, टांडा (फैजाबाद)।
46	मेसर्स दशरथ जी अग्रवाल	हयातगंज, टांडा (फैजाबाद)।
47	मेसर्स विजय नरायन कपूर	हयातगंज, डांटा (फैजाबाद)।
48	मेसर्स कान्टीनेन्टल कन्सट्रक्शन कारपोरेशन	वटरटैंक के निकट, हयातगंज, टांडा (फैजाबाद)।
49	मेसर्स श्याम मनोहर वर्मा	सलेमपुर, टांडा (फैजाबाद)।
50	मेसर्स संघा इंजीनियरिंग वर्क्स	देवकली, फैजाबाद।
51	मेसर्स नसीम कन्स्ट्रक्शन	बी–11, क्वार्टर नं 42, टाइप तीन, न्यू कालोनी, कासिमपुर (अलीगढ)।
52	मैसर्स अरविन्द, बोल्ट एण्ड टूल्स स्टोर्स	रुवासपुरा, फैजाबाद।
53	मैसर्स बजाज बन्धु	हयातगंज, टांडा (फैजाबाद)
54	मैसर्स हनुमन्त कम्पनी	शारदा भवन, देवकली रोड, फैजाबाद।
55	मैसर्स रामा इलेक्ट्रिक हाउस	रकाबगंज, फैजाबाद।
56	मैसर्स त्रिभुवन कान्टैक्टर्स	ताराकुंज देवकली रोड, फैजाबाद।
57	मैसर्स वैस्टर्न इरैक्टर्स	356, कूचा धासी राम, छगानी चौक, दिल्ली।
58	मैसर्स आल इन वन ट्रेडर्स	40/1, प्रैस कालोनी, अलीगढ़
59	मैसर्स लाल जी गुप्त	उसरा भादी, पोस्ट शाहगंज, जौनपुर।

60	मैसर्स बीबियान इंजीनियर्स ..	जेड–69, ओखला इन्डस्ट्रियल एस्टेट फैस–दो नई दिल्ली।
61	मैसर्स राओफर कम्बाइन (इन्डिया) प्राइवेटलिमिटेड	ग्रोवन मेन्सन, आर एम 17 चौथा फलोर, 3/17 आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
62	मैसर्स सपन ट्रेडिंग कारपोरेशन	दोहरीघाट, आजमगढ़।
63	मैसर्स रियाज अहमद ..	सकरवाल (पश्चिम), टांडा (फैजाबाद)
64	मैसर्स चौहान इंजीनियरिंग वर्क्स	डी–271, न्यू कालोनी, कासिमपुर (अलीगढ़)।
65	मैसर्स प्रभात स्टील इन्डस्ट्रीज	चुंगी नाका रोड, अखेरपुर (फैजाबाद)।
66	मैसर्स भारत कृषि यन्त्र उद्योग केन्द्र	मीरानपुरा, टांडा (फैजाबाद)।
67	मैसर्स मथुरा प्रसाद एण्ड सन्स	फतेहगंज, अमीनाबाद रोड, लखनऊ।
68	मेसर्स माइनिंग इक्यूपमेंट	5/1, फकीरपारा रोड, कलकत्ता–34
69	मैसर्स एस0 के0 जैन एण्ड कम्पनी	जैन स्ट्रीट, छिपाती, अलीगढ़।
70	मैसर्स स्पेयर फैब्रीकेटर्स	84/82, जी0 टी0 रोड, कानपुर।
71	मैसर्स एम0 एम0 गौतम	1, जमुना नगर, अलीगढ़।
72	मैसर्स इंजीनियरिंग कारपोरेशन	1848, मनीराम दास, मथुरा।
73	मेसर्स एस0 डी0 आटो कारपोरेशन	8 सेक्टर–प्रथम, प्लाट नं 07221, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा।
74	मैसर्स के0 इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन आफ इंडिया	दूसरा फ्लोर एस0 पी0 हाउस, मानिक चालू, अलीगढ़
75	मैसर्स राजेन्द्र कृष्ण गुप्ता एण्ड ब्रदर्स	13/238, मानिकचाल, अलीगढ़।
76	मैसर्स शेफ मैन्यूफैंचरिंग कारपोरेशन	192–डी, दुर्गा भवन, दिल्ली रोड, मेरठ।
77	मैसर्स बाटलीबाई एण्ड कम्पनी लिमिटेड,	मशीनरी पोस्ट बाक्स 74, 76/59 बिरहाना रोड, कानपुर
78	मैसर्स एस के ट्रेडर्स ..	27/1, बिरहाना रोड, यूनाइटेड बैंक, आफ इंडिया के सामने कानपुर।
79	मैसर्स एयरड्राइव इक्यूपमेंट कम्पनी	अमन चैम्बर प्रथम फ्लोर 113–न्यू क्यून्स रोड, बम्बई 400004।
80	मैसर्स कटारिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी	133/198, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।
81	मैसर्स सनराइज इन्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन	स्टेशन रोड, गोंडा।

प्रेस विधान सभा

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	फर्म द्वारा पत्राचार हेतु दिये गये पते
82	मैसर्स रतनाकाटेज इंडस्ट्रीज	86, स्वामीपारा, मेरठ।
83	मैसर्स केशरी राम	3/15/34, कटाराही बाजार, फैजाबाद।
84	मैसर्स दी बैहर इरैक्टरस	एफ–18 न्यू कालोनी, कासिम पुर पावर हाउस अलीगढ़
85	मैसर्स के मोहन कारपोरेशन	88/473, पटेल पुरवा, कानपुर।
86	मैसर्स वर्मा सन्स	109/280 रामकृष्ण नगर, विवेकानन्द पार्क, कानपुर।
87	मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स	एम 397, मीरपुर, कैंट, कानपुर–4
88	मैसर्स एकम इन्डिया	853 एकम पूनामलाई हाई इन्डिया रोड, मद्रास–600010।
89	मैसर्स कमला एण्ड सन्स	सलारपुर, सादतगंज, फैजाबाद।
90	मैसर्स राकेश कन्सट्रक्शन	मिल्कपुर बाजार, पो0 मुटकल्लीपुर, आजमगढ़।
91	मैसर्स न्यू बाबू एण्ड कम्पनी	रकाबगंज, फैजाबाद।
92	मैसर्स बिन्नी इन्जीनियरिंग इन्टर प्राइजेज	17ए पैलेस कोर्ट, तीसरा फ्लोर, 1 केवाई डी स्ट्रीट, कलकत्ता।
93	मैसर्स सिकरौरा सीमेंट उद्योग	ग्राम व पोस्ट सिकरौरा, आजमगढ़।
94	मैसर्स दीवाकरन स्टोरेज एण्ड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड	पो0 बाक्स 17330, भाटडुप, बम्बई–700078।
95	मैसर्स जेनिथ फायर सर्विस	वाधानी इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घटकोपर, बम्बई।
96	मैसर्स मशीन टूल्स (इण्डिया)	चौक टांडा (फैजाबाद)।
97	मैसर्स सिंह इन्डस्ट्रीज	बिल्ली (ओबरा), जिला मिर्जापुर।
98	मैसर्स गौतम इलैक्ट्रिकल	320–विष्णुपुरी, अलीगढ़।
99	मैसर्स लिफ्टिंग इक्यूपमेंट एण्ड एक्ससरीज	बी–13/1, झेलमिल इन्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली।
100	मैसर्स निरन्कार सिंह	सिविल लाइन्स (मोधा) फैजाबाद।
101	मेसर्स हिन्द इन्जीनियरिंग एण्ड वैल्डिंग वर्क्स	हुसैनाबाद रोड, लखनऊ।
102	मैसर्स आदर्श कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	निकट आर्य कन्या स्कूल प्लाट नं0 88/3, फैजाबाद।
103	मैसर्स हाइड्रोलिक एण्ड इन्जीनियरिंग इक्यूपमेंट	59/4–बी नरैना इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–2 नई दिल्ली–110028।

104	मेसर्स प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस	रानो पाली, अयोध्या (फैजाबाद)।
105	मैसर्स सुनिल एण्ड कम्पनी	रानो पाली, आयोध्या (फैजाबाद)
106	मैसर्स साकेत बाइन्डिगं वर्क्स	कन्धारी बाजार, फैजाबाद।
107	मैसर्स डावल इरैक्टर्स	853, पूनामलाई हाई रोड, मद्रास।
108	मैसर्स सुशील इंजीनियरिंग वर्क्स	जनौरे, फैजाबाद।
109	मेसर्स एस0 इन्जीनियरिंग वर्क्स	105/228, फूलबाग, हुसेनगंज, लखनऊ।
110	मैसर्स ईगल पेन्टस एण्ड पिगमेन्टस इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	16–बी, ताशक़ंद मार्ग, इलाहाबाद।
111	मैसर्स एखलाक अहमद	एस0 एस0 समिति, हास्पिटल रोड टांडा, फैजाबाद।
112	मैसर्स भारत स्विचगीयर एण्ड कन्सलटेन्ट	3, फैवीरिट इन्डस्ट्रियल एस्टेट, मसानी लेन, कुरला, बम्बई-400070।
113	मेसर्स आफताब अहमद	द्वारा डा0 ए0 ए0 अंसारी टांडा (फैजाबाद)।
114	मेसर्स इलेक्ट्रिक एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग	17/25, आर्या नगर, सूरज कुंड रोड, मेरठ।
115	मैसर्स यंग इंजीनियरिंग ट्रेडिंग एण्ड मैन्यूफक्चरिंग कम्पनी	283–शांती भवन, बेगम बाग, मेरठ।
116	मैसर्स बियरिंग एण्ड मिल स्टोर कम्पनी	31/79 धुमनी बाजार, कानपुर।
117	मैसर्स वेद प्रकाश गोयल	मालवीय नगर, बस्ती।
118	मैसर्स सिंघल एण्ड ब्रदर्स	गान्धी नगर, बस्ती।
119	मैसर्स अग्रवाल बन्धु	मालवीय रोड, बस्ती।
120	मैसर्स हाजी गुलाम हुसैन एण्ड सन्स	रुड़की।
121	मैसर्स जोली इन्जीनियरिंग कम्पनी	14/1 नंद लाल बोस लेन, कलकत्ता–700003।
122	मैसर्स भारती कला मंदिर	183, रकाबगंज, फैजाबाद।
123	मैसर्स गायत्री कृषि उद्योग	सिविल लाइन्स, फैजाबाद।
124	मैसर्स टेलब्रोज इन्जीनियरिंग कम्पनी	229, फिरागढ़ी रोहतक रोड, दिल्ली–11004।
125	मैसर्स मीदरीपन इन्टरप्राइजेज	26/91 न्यू कालोनी रामगंज, अजमेर।
126	मेसर्स रवि इन्डस्ट्रीज	3ए/274, प्रथम फ्लोर, आजाद नगर, कानपुर।
127	मैसर्स एक्सपो इन्डस्ट्रीज	पी–36, इण्डिया एक्सचेन्ज प्लेस, चौथा फ्लोर, कलकत्ता।
128	मेसर्स मोहम्मद जीनाली मोहम्मद एण्ड ब्रदर्स	मो0 कसबा, टांडा (फैजाबाद)।
129	मैसर्स ए0 एच0 कन्सट्रक्शन	मो0 कसया, टांडा (फेजाबाद)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	फर्म द्वारा पत्राचार हेतु दिये गये पते
130	मैसर्स ईस्टर्न इन्जीनियरिंग कम्पनी	ए–10008, रामसागर मिश्रा नगर, लखनऊ।
131	मैसर्स तिरूपति इन्जीनियरिंग कारपोरेशन	563/18 चित्रगुप्त नगर, आलमबाग, लखनऊ।
132	मैसर्स जयन्ती एग्रो सेल्स	1210, फतेहगंज, फैजाबाद।
133	मेसर्स संजय इन्जीनियरिंग वर्क	मखदूमनगर, टांडा, फैजाबाद।
134	मैसर्स शर्मा कान्ट्रेक्टर	हयातगंज, टांडा (फैजाबाद)।
135	मैसर्स नवीन कन्सट्रक्शन	हयातगंज, टांडा (फैजाबाद)।
136	मैसर्स टूल्स एण्ड प्लांट सेल्स	एम0 करीम बक्स बिल्डिंग, सी–43/75 नवल किशोर रोड, लखनऊ।
137	मैसर्स स्टीलाजा इन्डस्ट्रियल लिमिटेड	मिनीमोक्स डिवीजन, प्लाट-दो, ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर।
138	मैसर्स ग्लोब इन्जीनियरिंग कारपोरेशन	411, राजगर, चैम्बरस, मस्जिद साइडिंग रोड, पो0 बाक्स 5119, बम्बई।
139	मैसर्स दी यूनियन कामर्शियल एण्ड इन्डस्ट्रियल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड; रबर प्रोडक्ट डिवीजन।	2/1 हाची मिन सेरानी, कलकत्ता।
140	मैसर्स यूनिवर्सल सेल्स कारपोरेशन	जी0 टी0 रोड, परादी कोठी, वाराणसी कैंट।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची–2

मैकेनिकल प्लांट इरेक्शन सर्किल, टांडा तापीय परियोजना के अन्तर्गत फर्मों के निबन्धन के पश्चात 1–9–1980 से 31–12–1981 की अवधि में निबन्धित फर्मों को दिये गये कार्यों की धनराशि का विवरण

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	कार्यादेशों की संख्या	कार्यादेशों की सम्मिलित धनराशि (रु० में)
1	मेसर्स कान्टीनेन्टल कन्सट्रक्शन कारपोरेशन, हयातगंज, टांडा	1	10,000–00
2	मेसर्स सिंह इन्डस्ट्रीज, बिल्ली (ओबरा), मिर्जापुर	2	18,502–00
3	मेसर्स मोहम्मद सईद एण्ड सन्स, डोमरियागंज, बस्ती	1	9,750–00
4	मेसर्स रामा इलेक्ट्रिक हाउस, रकाबगंज, फैजाबाद	2	17,051–20
5	मेसर्स श्याम इलेक्ट्रिकल एण्ड सन्स, टांडा	2	6,930–00
6	मेसर्स विजय इन्डस्ट्रीज, मीरानपुरा, टांडा	1	9,900–00
7	मेसर्स एखलाख अहमद, टांडा	5	27,741–50
8	मेसर्स संजय इन्जीनियरिंग वर्क्स, मखदूमनगर, टांडा	3	15,674–50
9	मेसर्स बजाज बन्धु, हयातगंज, टांडा	4	27,180–00
10	मेसर्स कटारिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर	2	5,146–00
	योग ..	23	1,47,875–20

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 577 पर।)

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के घाघरा नदी के भराव वाले ग्रामों की सूची

1--रायपुरा चकलाल खादर
2--बरहज खादर
3--पैना खादर
4--सिसवनिया खादर
5--मईल खादर
6--मईलौटा खादर
7--भागलपुर खादर
8--देवसिया खादर
9--छितुपुर खादर
10--नरसिंह डाड खादर
11--बलिया उत्तर खादर
12--बलिया दक्षिण खादर
13--तकिया धरहरा खादर
14--डुमरो खादर
15--महाल मंझरिया
16--खरवनिया खादर
17--चुरिया
18--घुरहट खादर
19--सहिया खादर

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 25 वि0 सभा 30-7-83-(1582)-1983-813(हिन्दी)।

विधान सभा सचिवालय उ0प्र0